



**पहली
FIRST**

**अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

**(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)**

2008-2009

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अक्टूबर October, 2008

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच, 2008-2009

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 97 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 2,37,285.84 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 1,05,613.38 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 1,31,672.29 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 17 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2008-2009.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2008-2009 includes 97 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 2,37,285.84 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 1,05,613.38 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregate to Rs. 1,31,672.29 crore. Besides, token provision of Rs. 17 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	7.75	26.38	34.13
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदानों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	4.13	-	4.13
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदानों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	209.30	209.30
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदानों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	3.69	-	3.69
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	0.45	0.45

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3. पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	17.89	17.89
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (6.76 करोड़ रुपए) और "केन्द्रीय बीमारी नैदानिक प्रयोगशालाओं" की योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक उपकरणों की अधिप्राप्ति (2.75 करोड़ रुपए) हेतु तथा 'राष्ट्रीय मवेशी तथा भेड़ प्रजनन परियोजना' की स्कीम तहत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को (28 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.6.76 crore) and Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostics Laboratories for procurement of scientific equipments under the Scheme 'Central Disease Diagnostic Laboratories (Rs.2.75 crore) and to State Implementing Agencies under the Scheme 'National Project for Cattle and Buffalo Breeding' (Rs.28 crore).	6.76	-	6.76
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	566.74	566.74
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पूर्ण सहायता प्राप्त स्वशासी निकायों को सहायता अनुदानों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to fully aided autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	79.77	79.77
5. नाभिकीय विद्युत योजना	5 Nuclear Power Schemes			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	6.23	6.23
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर (क) स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान (3.22 करोड़ रुपए) और (ख) वेतन आदि के कारण अतिरिक्त व्यय (3.89 करोड़ रुपए) और वर्धित उच्चतम सीमा दर पर बोनस की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of (a) Grants-in-aid to autonomous bodies (Rs.3.22 crore) and (b) salaries, etc (Rs.3.89 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	7.11	7.11

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
7. उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	2.56	2.56
(ख) (i) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों (25550 करोड़ रुपए), (ii) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों (15870 करोड़ रुपए), (iii) आयातित यूरिया (6443 करोड़ रुपए) और (iv) स्वदेशी उर्वरकों (5000 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी हेतु।	(b) For subsidy on (i) indigenous decontrolled fertilisers (Rs.25550 crore), (ii) imported decontrolled fertilisers (Rs.15870 crore), (iii) imported urea (Rs.6443 crore), and (iv) indigenous fertilisers (Rs.5000 crore).	-	38,863.00	38,863.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8. नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.04	8.73	8.77
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.37	1.37
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9. कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.06	2.52	2.58
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (52.09 करोड़ रुपए) और (ii) जून, 2007 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को पट्टा किराया प्रभारों का भुगतान (7.94 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.52.09 crore) and (ii) payment of lease rent charges by Directorate General of Supplies and Disposals for the period June'2007 to March'2009 (Rs.7.94 crore).	-	52.09	52.09
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	8.56	-	8.56

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) (i) रुपया निर्यात ऋण के सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता के लम्बित दावों का निपटान (300 करोड़ रुपए), (ii) टर्मिनल उत्पादशुल्क के लिए समनिर्यातों पर शुल्क वापसी दावों का निपटान (143.31 करोड़ रुपए), (iii) वर्धित समेकित फ्रेमवर्क ट्रस्ट को अंशदान (4.50 करोड़ रुपए) के लिए।	(c) for (i) settlement of pending claims of Interest subvention of Scheduled Commercial Banks in respect of Rupee Export Credit (Rs.300 crore), (ii) settlement of duty drawback claims on deemed exports towards terminal excise duty and reimbursement of Central Sales Tax (Rs.143.31 crore), (iii) contribution of Enhanced Integrated Framework Trust (Rs.4.50 crore).	-	300.00	300.00
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	11 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	20.76	20.76
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	7.13	7.13
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
12. डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (1705.55 करोड़ रुपए) और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन (239.70 करोड़ रुपए)।	For (a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.1705.55 crore) and (b) pensions on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations (Rs.239.70 crore) .	-	1,945.25	1,945.25
14. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	14 Department of Information Technology			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	90.48	9.52	100.00
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	8.66	8.66

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
16. खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.10	10.24	10.34
(ख) कोर्ट डिक्री के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. को ब्याज के सम्बन्ध में भुगतान हेतु।	(b) For meeting payments towards interest to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited as per court decree.	-	0.92	0.92
(ग) भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न सब्सिडी।	(c) For Foodgrains subsidy to Food Corporation of India.	-	4,064.00	4,064.00
(घ) आयातित खाद्य तेल सब्सिडी के लिए।	(d) For Imported Edible Oil Subsidy.	-	1,000.00	1,000.00
(ङ) गन्ना उद्योग के विकास हेतु विशेषज्ञ समूह की स्थापना के सम्बन्ध में व्यय	(e) For expenses towards establishing Group of Experts for development of Sugar Industry.	-	0.13	0.13
(च) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	(f) For meeting expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India.	-	0.72	0.72
(छ) "गन्ना उपक्रमों को वित्तीय सहायता बढ़ाने सम्बन्धी योजना, 2007" के अन्तर्गत नोडल एजेंसियों/बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता के लिए (34.98 करोड़ रुपए)।	(g) For interest subvention to Nodal agencies/Banks under the "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007" (Rs.34.98 crore).	-	14.58	14.58
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
(क) (i) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के लिए भूमि का अधिग्रहण (2 करोड़ रुपए) और निर्माण कार्य (12 करोड़ रुपए) तथा (ii) आईआईसीए परिसर हेतु शेष भूमि के अधिग्रहण (16 करोड़ रुपए) पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure (i) on acquisition of land for Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) (Rs.2 crore) and construction work (Rs.12 crore) and (ii) on acquisition of the remaining land for the IICA campus (Rs.16 crore).	30.00	-	30.00
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	14.48	14.48
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के सम्बन्ध में सार्वजनिक सुविधाओं के संरक्षण, बहाली तथा उन्नयन पर किए जाने वाले व्यय (1 करोड़ रुपए) के लिए तथा भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय (5 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए।	(a) For meeting expenditure to be incurred by Archaeological Survey of India on conservation, restoration and up-gradation of public amenities in connection with Commonwealth Games, 2010 (Rs.1 crore) and for Grants-in-aid to meet additional expenditure for modernisation and strengthening of the security system in Indian Museum, Kolkata (Rs.5 crore).	1.00	-	1.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) डांडी स्थित डांडी स्मारक का निर्माण (4 करोड़ रुपए) और (ii) गुरु-ता-गद्दी नांदेड की 300वीं वर्षगांठ के आयोजन के भाग के रूप में आनन्दपुर साहिब और तलवंडी साबो का विकास (50 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid to meet additional expenditure for (i) construction of Dandi Memorial at Dandi (Rs.4 crore) and (ii) development of Anandpur Sahib and Talwandi Sabo, as part of commemoration of Ter-Centenary of Guru-Ta-Gaddi, Nanded (Rs.50 crore).	-	54.00	54.00
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	1.32	42.57	43.89
रक्षा मंत्रालय				
19. रक्षा मंत्रालय				
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	331.89	331.89
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of grants-in-aid to Indian Institute of Defence Studies and Analyses on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	3.00	3.00
(ग) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नव स्थापित 'सशस्त्र बल अधिकरण' की स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting establishment related expenses of the newly set up 'Armed Forces Tribunal' constituted under the Armed Forces Tribunal Act, 2007.	-	19.50	19.50
(घ) नव स्थापित 'सशस्त्र बल अधिकरण' और इसकी क्षेत्रीय शाखाओं के ढांचागत विकास हेतु।	(d) For infrastructure development for the newly set up 'Armed Forces Tribunal' and its regional branches.	-	9.81	9.81
20. रक्षा पेंशन				
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of pensions on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1,941.00	1,941.00
21. रक्षा सेवाएं - थल सेना				
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6259.26 करोड़ रुपए) और 'सेंटर फॉर लैंड वारफेयर सिस्टम' को सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.6259.26 crore) and for providing grants-in-aid to 'Centre for Land Warfare System' (Rs.5 crore).	-	6,259.26	6,259.26
22. रक्षा सेवाएं - नौ सेना				
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (649.91 करोड़ रुपए) और (i) सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज (5 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (5 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.649.91 crore) and for providing grants-in-aid to (i) Centre for Joint Warfare Studies (Rs.5 crore) and (ii) National Maritime Foundation (Rs.5 crore).	-	649.91	649.91

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
23. रक्षा सेवाएं - वायु सेना सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1120.79 करोड़ रुपए) और 'वायु शक्ति अध्ययन केन्द्र' को सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए)।	23 Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.1120.79 crore) and for providing grants-in-aid to 'Centre for Air Power Studies' (Rs.5 crore).	-	1,120.79	1,120.79
24 रक्षा आयुध निर्माण फैक्ट्रियां सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	24 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings .	-	100.00	100.00
25. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान तथा विकास (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	25 Defence Services - Research and Development (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings . (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	254.14 5.51	254.14 5.51
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	27 Ministry of Development of North Eastern Region For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.90	1.90
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
28. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.45 करोड़ रुपए) और (ii) भूकम्प मापन तथा भूकम्प की पूर्व सूचना देने वाले कार्यक्रमों सम्बन्धी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपए)। (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	28 Ministry of Earth Sciences (a) For (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.3.45 crore) and (ii) Grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity and Earthquake Precursors Programmes (Rs.4 crore). (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	3.45 -	- 40.60	3.45 40.60

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर (i) स्वायत्तशासी निकायों (5.71 करोड़ रुपए) (ii) एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबन्धन कार्यालय (1 करोड़ रुपए), तटीय समुद्री मॉनीटरिंग और पूर्वानुमान प्रणाली (1 करोड़ रुपए) और भ्रुवीय विज्ञान गतिविधियों (6 करोड़ रुपए) और (iii) क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन पर्सिपिटेशन इन्हासमेंट एक्सपेरिमेंट के अन्तर्गत क्लाउड सिडिंग प्रयोग (7 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(c) For providing grants-in-aid (i) for autonomous bodies on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations accepted by the Government (Rs.5.71 crore), (ii) to Integrated Coastal and Marine Area Management Programme (Rs.1 crore), Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (Rs.1 crore) and Polar Science activities (Rs.6 crore), and (iii) for cloud seeding experiments under Cloud Aerosol Interaction Precipitation Enhancement Experiment (Rs.7 crore).	5.71	-	5.71
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
29. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	29 Ministry of Environment and Forests For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	7.92	19.81	27.73
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
30. विदेश मंत्रालय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर (क) वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय (177.51 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, (ख) स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान (2.40 करोड़ रुपए), (ग) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग विकास निधि को सोशल विंडो के सम्बन्ध में अंशदान पर व्यय (598.20 करोड़ रुपए) और (घ) आसियान क्षेत्रीय मंच के लिए व्यय (0.80 करोड़ रुपए)।	30 Ministry of External Affairs For meeting (a) additional expenditure on account of salaries, (Rs.177.51 crore), (b) Grants in aid to autonomous bodies (Rs.2.40 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government, (c) the expenditure of contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation Development Fund (Rs.598.20 crore and (d) expenditure towards ASEAN Region Forum activities (Rs.0.80 crore).	-	778.11	778.11
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31. आर्थिक कार्य विभाग (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	31 Department of Economic Affairs (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings .	-	10.79	10.79
(ख) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) में एडीबी के तकनीकी कार्यक्रमों को सहायता देने हेतु इंडियन ट्रस्ट फंड के सृजन हेतु।	(b) For Creation of an India Trust Fund in the Asian Development Bank (ADB) for supporting technical programmes of ADB.	-	4.30	4.30
32. वित्तीय संस्थानों को भुगतान (क) भारत के लोक लेखे में किसान ऋण राहत निधि जमा करने हेतु।	32 Payments to Financial Institutions (a) For crediting Farmer's Debt Relief Fund in the Public Account of India.	-	15,000.00	15,000.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सम्बन्ध में अंशदान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards contribution to International Development Association.	-	3.75	3.75
(ग) भारत के कोटे में वृद्धि हेतु पूंजी भुगतान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को भुगतान।	(c) For payment to International Monetary Fund (IMF) towards capital payment for India's quota increase.	-	2,912.67	2,912.67
(घ) पात्र सदस्य देशों की गरीबी घटाने तथा विकास सुविधा हेतु आपत्कालीन प्राकृतिक आपदा सहायता के सम्बन्ध में भारत के अंशदान हेतु आईएमएफ को भुगतान।	(d) For payment to IMF towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance to Poverty Reduction and Growth Facility eligible member countries.	-	2.31	2.31
33. वित्तीय सेवा विभाग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	33 Department of Financial Services For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	9.00	9.00
35. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण (क) (i) राष्ट्रमंडल युवा खेलकूद, पूणे को अनुदान (60 करोड़ रुपए), (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुदान संघटक (1600 करोड़ रुपए), (iii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1636.87 करोड़ रुपए) और (iv) परिसम्पत्तियों के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1093 करोड़ रुपए)। (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण संघटक हेतु।	35 Transfers to State and Union Territory Governments (a) For (i) Grants for Commonwealth Youth Games, Pune (Rs.60 crore), (ii) Grants Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Rs.1600 crore), (iii) Additional Central Assistance (Rs.1636.87 crore), and (iv) Additional Central Assistance for long term reconstruction of assets (Rs.1093 crore). (b) For Loan Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	2,296.87 2,000.00	- -	2,296.87 2,000.00
38 व्यय विभाग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	38 Department of Expenditure For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	6.68	6.68
39. पेंशन सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों आदि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	39 Pensions For meeting additional expenditure on account of pensions and other retirement benefits, etc on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	2,050.00	2,050.00
40. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन आदि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	40 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	351.55	351.55
41. राजस्व विभाग निम्नलिखित के लिए (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (40.49 करोड़ रुपए) तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (ii) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए)।	41 Department of Revenue For (i) meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 40.49 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings and (ii) Grants-in-aid to National Institute of Public Finance and Policy (Rs. 1.35 crore).	-	40.49	40.49

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
42. प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	42 Direct Taxes For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	303.55	303.55
43. अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	43 Indirect Taxes For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	373.29	373.29
44. विनिवेश विभाग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	44 Department of Disinvestment For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.57	0.57
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	45 Ministry of Food Processing Industries For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.10	2.00	2.10
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (41.18 करोड़ रुपए) और इंडियन फार्माकोपी कमीशन को सहायता अनुदान (0.81 करोड़ रुपए)। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (198.42 करोड़ रुपए), (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान (31 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन को अतिरिक्त निधियां (0.36 करोड़ रुपए) और (iv) इंडिया फार्माकोपी कमीशन को सहायता अनुदान (2.54 करोड़ रुपए)।	46 Department of Health and Family Welfare (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.41.18 crore) and for grants-in-aid to Indian Pharmacopoeia Commission (Rs.0.81 crore). (b) For (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.198.42 crore), (ii) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs.31 crore), (iii) additional funds to Gandhi Memorial Leprosy Foundation under the scheme "National Leprosy Control Programme" (Rs.0.36 crore) and (iv) Grants-in-aid to Indian Pharmacopoeia Commission (Rs.2.54 crore).	41.18	-	41.18
		-	198.42	198.42

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	4.08	134.62	138.70
47 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	1.47	0.98	2.45
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	8.94	24.21	33.15
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	48 Department of Health Research			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.02	0.05	0.07
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मन्त्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग	49 Department of Heavy Industry			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	1.86	1.86
50 लोक उद्यम विभाग	50 Department of Public Enterprises			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.79	0.79
गृह मन्त्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मन्त्रालय	51 Ministry of Home Affairs			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	1.12	-	1.12
(ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
व्यय की पूर्ति हेतु (253.45 करोड़ रुपए)। (ii) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के कार्यशाला/संगोष्ठियों के आयोजन पर व्यय की पूर्ति हेतु (1.08 करोड़ रुपए) (iii) चौथे अन्तर्राष्ट्रीय संघवाद सम्मेलन पर व्यय के भुगतान हेतु (10 करोड़ रुपए) तथा (iv) संघ मंच को वार्षिक अंशदान के भुगतान हेतु (0.25 करोड़ रुपए)।	as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.253.45 crore) and for (ii) meeting expenditure on organising workshops/seminars for Commission on Centre-State Relations (Rs.1.08 crore), (iii) payment towards expenditure incurred on 4th International Conference on Federalism (Rs.10 crore) and (iv) payment of annual contribution to the Forum of Federations (Rs.0.25 crore).	-	253.45	253.45
52 मंत्रिमण्डल सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	52 Cabinet For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	41.78	41.78
53 पुलिस सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5065.79 करोड़ रुपए) तथा अन्य प्रशासनिक व्यय (8 करोड़ रुपए) और इण्डो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के वेतन (0.20 करोड़ रुपए) हेतु।	53 Police For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.5065.79 crore) and for other Administrative Expenses (Rs.8 crore) and wages (Rs.0.20 crore) of Indo-Tibetan Border Police.	-	5,065.79	5,065.79
54 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय (क) (i) आतंकी हिंसा के शिकार परिवारों को सहायता प्रदान करना (10 करोड़ रुपए) (ii) पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित परिवारों को भूमि अभाव दावों के निपटारे के लिए सहायता प्रदान करने (47 करोड़ रुपए) हेतु (ख) आपदा जोखिम प्रबन्धन सम्बन्धी द्वितीय एशियाई मिनिसट्रीयल सम्मेलन (0.13 करोड़ रुपए) हेतु तथा सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.51 करोड़ रुपए)। (ग) (i) वर्ष 2002 गुजरात साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने (50 करोड़ रुपए), (ii) बिहार के भागलपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को राहत पुनर्वास प्रदान करने (10 करोड़ रुपए) और (iii) वर्ष 1984 के दंगों के शिकार लोगों को वर्धित क्षतिपूर्ति प्रदान करने (12.84 करोड़ रुपए) हेतु।	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs (a) For (i) providing assistance to families of the victims of terrorist violence (Rs.10 crore), (ii) providing assistance to displaced families of Pakistan Occupied Kashmir for settlement of land deficiency claims (Rs.47 crore). (b) For 2nd Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Management (Rs.0.13 crore) and meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.1.51 crore). (c) For providing (i) additional relief to the 2002 Gujarat communal riots victim (Rs.50 crore), (ii) relief and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (Rs.10 crore) and (iii) enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.12.84 crore).	-	10.00 1.51 72.84	10.00 1.51 72.84

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	55 Transfers to Union territory Governments			
(क) पुडुचेरी सरकार को सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid to the Government of Puducherry towards Tsunami Rehabilitation Programme.	15.00	-	15.00
(ख) पुडुचेरी सरकार को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid to the Government of Puducherry towards meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	150.00	150.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मन्त्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
56 आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मन्त्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.19	0.35	0.54
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.79	0.84	1.63
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित को सहायता हेतु (i) नवोदय विद्यालय समिति (195 करोड़ रुपए), (ii) नेशनल बाल भवन (5 करोड़ रुपए), (iii) समाज कल्याण शिक्षा संस्थान (0.11 करोड़ रुपए), (iv) चिल्ड्रन्स एसोसिएशन रेजिडन्स एज्युकेशन सेवा समिति (0.07 करोड़ रुपए), (v) बापूजी ग्रामीण विकास समिति (0.08 करोड़ रुपए) तथा (vi) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to (i) Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs.195 crore), (ii) National Bal Bhawan (Rs.5 crore), (iii) Samaj Kalyan Shiksha Sansthan (Rs.0.11 crore), (iv) Children's Association Residence Education Seva Samiti (Rs.0.07 crore), (v) Bapuji Grahmeen Vikas Samiti (Rs.0.08 crore) and (vi) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.1 crore).	1.00	-	1.00
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.91 करोड़ रुपए) तथा सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (280.44 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.0.91 crore) and for meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.280.44 crore).	-	281.35	281.35

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
58 उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (1.75 करोड़ रुपए) तथा निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (9 करोड़ रुपए), (ii) तीन सम-विश्वविद्यालयों अर्थात् चैन्नई मेटेमेटिकल इन्सटीट्यूट, इण्डियन लॉ इन्सटीट्यूट और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.1.75 crore) and for Grants-in-aid to (i) Central Institute of Classical Tamil (Rs.9 crore), (ii) three Deemed Universities viz., Chennai Mathematical Institute, Indian Law Institute and Ramakrishna Mission Vivekananda University (Rs.20 crore).	1.75	-	1.75
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	13.30	13.30
(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	539.63	539.63
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.06	31.79	31.85
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	206.34	206.34
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) राज्य सरकारों को उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के तहत आईटीआई के उन्नयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For Grants-in-aid to State Governments for establishment of Centres of Excellence/Up gradation of Industrial Training Institutes (ITI) and for up gradation of ITI under Vocational Training Improvement Project.	50.00	-	50.00
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	9.25	58.10	67.35

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61 चुनाव आयोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	61 Election Commission For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.87	1.87
62 विधि एवं न्याय (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ग) लोकसभा 2009 के आम चुनावों के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (190 करोड़ रुपए) तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान खरीदी गई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों हेतु (1.54 करोड़ रुपए)	62 Law and Justice (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. (c) For meeting additional expenditure for purchase of Electronics Voting Machines for use during General Elections to Lok Sabha 2009 (Rs.190 crore) and for the additional Electronics Voting Machines purchased during financial year 2004-2005 (Rs.1.54 crore).	-	15.79	15.79
63. विनियोग-भारत का सर्वोच्च न्यायालय सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	63 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.95	0.95
		-	191.54	191.54
		-	12.41	12.41
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	1.39	14.92	16.31
		0.60	36.72	37.32
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	65 Ministry of Mines (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	5.94	70.22	76.16

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.86	0.86
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
66 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	66 Ministry of Minority Affairs			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.72	1.72
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67 नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	67 Ministry of New and Renewable Energy			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	1.51	2.04	3.55
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
68 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Overseas Indian Affairs			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.38	1.38
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
69 पंचायती राज मंत्रालय	69 Ministry of Panchayati Raj			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.64	0.09	0.73
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
70 संसदीय कार्य मंत्रालय	70 Ministry of Parliamentary Affairs			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	0.92	0.92
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.08	146.92	147.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	2.54	2.54
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73 योजना मंत्रालय (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	73 Ministry of Planning (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous body on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.87 -	8.75 1.21	9.62 1.21
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	74 Ministry of Power (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.47 -	15.28 14.04	15.75 14.04
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
75 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	75 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	3.08	3.08

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
76 लोक सभा सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	76 Lok Sabha For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	24.89	24.89
77 राज्य सभा सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (10.28 करोड़ रुपए) तथा राज्य सभा सचिवालय द्वारा 'संसद अध्ययन में अनुसंधान पीठ' की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.26 करोड़ रुपए)	77 Rajya Sabha For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.10.28 crore) and for meeting additional expenditure for setting up a 'Research Chair in Parliament Studies' by Rajya Sabha Secretariat (Rs.0.26 crore).	-	10.28	10.28
78 विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	78 Appropriation - Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	11.54	11.54
79 उप राष्ट्रपति का सचिवालय सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	79 Secretariat of the Vice-President For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	0.30	0.30
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान को बढ़ाने सहित ग्रामीण आवास के तहत इन्दिरा आवास योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional requirement of Indira Awaas Yojana under Rural Housing including augmentation of the lumpsum provision for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.	350.00	-	350.00
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (21000 करोड़ रुपए)	(b) For meeting the additional requirement under the National Rural Employment Guarantee Scheme (Rs.21000 crore).	10,500.00	-	10,500.00
(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.19	3.52	3.71
(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	4.16	2.70	6.86
81 भू संसाधन विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	81 Department of Land Resources For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.79	0.79

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
82 पेयजल आपूर्ति विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	82 Department of Drinking Water Supply For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.42	0.42
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
83 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	83 Department of Science and Technology (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.16 34.50	83.49 -	83.65 34.50
84 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	84 Department of Scientific and Industrial Research (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Council for Scientific and Industrial Research on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	- 118.97	1.06 87.06	1.06 206.03
85 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	85 Department of Biotechnology (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings. (b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	- 8.57	3.75 -	3.75 8.57
पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 पोत परिवहन विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा	86 Department of Shipping (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.30 करोड़ रुपए) तथा किनारे से 1000 नौटिकल मील दूरी तक के सभी समुद्री जलयानों की खोज एवं पहचान के लिए लॉग रेंज आइडेंटिफिकेशन एण्ड ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए)	recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.1.30 crore) and for meeting expenditure for setting up of the Long Range Identification and Tracking System for identifying and tracking all Ocean going vessels upto a distance of 1000 nautical miles from the shore (Rs.3 crore).	1.30	-	1.30
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	6.73	6.73
87 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	87 Department of Road Transport and Highways			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	13.22	13.22
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	5.18	5.18
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	7.54	7.54
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
89 अन्तरिक्ष विभाग	89 Department of Space			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	18.93	5.31	24.24
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (20.35 करोड़ रुपए) तथा 'राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र' के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.20.35 crore) and for meeting establishment related expenditure of 'National Remote Sensing Centre' (Rs.3 crore).	20.35	-	20.35

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (176.36 करोड़ रुपए) तथा 'राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र' के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (27 करोड़ रुपए)।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.176.36 crore) and for meeting establishment related expenditure of 'National Remote Sensing Centre' (Rs.27 crore).	-	176.36	176.36
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
90 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	2.14	38.68	40.82
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्तशासी निकायों को सहायता अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	16.07	16.07
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
91 इस्पात मंत्रालय	91 Ministry of Steel			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	2.88	2.88
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। (0.32 करोड़ रुपए)। (ii) हथकरघा, हस्तशिल्प के तहत बृहत समूहों के रूप में विकास (25 करोड़ रुपए)। (iii) ऊन विकास बोर्ड को सहायता (0.50 करोड़ रुपए) (iv) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए) और कल्याण और अन्य योजनाएँ (0.15 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings (Rs.0.32 crore), (ii) Development as mega-clusters under Handloom, Handicrafts (Rs.25 crore), (iii) assistance to Wool Development Board (Rs.0.50 crore), (iv) additional grants-in-aid under Design and Technical Upgradation Scheme (Rs.3 crore) and Welfare and other Schemes (Rs.0.15 crore).	0.32	-	0.32
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	30.30	30.30

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	34.43	34.43
(घ) निम्नलिखित के लिए (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत अतिरिक्त व्यय (300 करोड़ रुपए) (ii) एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत स्थापना संबंधी व्यय (1 करोड़ रुपए) और (iii) विदेशी निवेश संवर्धन योजना के तहत प्रावधान का संवर्धन (4.94 करोड़ रुपए)।	(d) For (i) additional expenditure under Technology Upgradation Fund Scheme (Rs.300 crore), (ii) establishment related expenditure under the scheme for Integrated Textile Park (Rs.1 crore) and (iii) augmentation of provision under Foreign Investment Promotion Scheme (Rs.4.94 crore).	180.00	-	180.00
पर्यटन मंत्रालय				
93 पर्यटन मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	5.70	5.70
जनजातीय कार्य मंत्रालय				
94 जनजातीय कार्य मंत्रालय	94 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	2.06	2.06
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	2.21	-	2.21
गृह मंत्रालय				
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
95 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	21.13	100.00	121.13
(ख) सुनामी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्थायी शरण गृहों के निर्माण हेतु।	(b) For construction of permanent shelters for the persons affected by Tsunami.	200.00	-	200.00
97 दादरा एवं नागर हवेली	97 Dadra and Nagar Haveli			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	2.71	11.47	14.18
98 दमन एवं दीव	98 Daman and Diu			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	1.33	10.70	12.03

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
99 लक्षदीप सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	99 Lakshadweep For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.48	17.27	17.75
शहरी विकास मंत्रालय 100 शहरी विकास विभाग	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 100 Department of Urban Development			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	11.01	11.01
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	1.07	1.07
(ग) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पास थ्रू सहायता प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Pass Through Assistance to Delhi Metro Rail Corporation Limited.	400.00	-	400.00
101 लोक निर्माण कार्य	101 Public Works			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.71	111.54	112.25
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous body on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	0.40	0.40
102 लेखन सामग्री और मुद्रण सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	102 Stationery and Printing For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	40.23	40.23
जल संसाधन मंत्रालय 103 जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES 103 Ministry of Water Resources			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	19.82	57.96	77.78
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	4.94	1.59	6.53

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) “नदी प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी निर्माण कार्य” की चालू योजना के तहत बिहार राज्य की सरकार को जारी करने हेतु।	(c) For release to State Government of Bihar under the ongoing scheme “River Management and Works related to Border Areas”.	30.00	-	30.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
104 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	104 Ministry of Women and Child Development			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	0.15	5.17	5.32
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	2.35	5.40	7.75
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा मामले और खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	0.73	2.30	3.03
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to autonomous bodies on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	32.17	6.87	39.04
(ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को भारतीय टीम की तैयारी के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (145 करोड़ रुपए) और (ii) एसएआई स्टेडियमों के विकास तथा उन्नयन/जीर्णोद्धार के लिए (210 करोड़ रुपए), (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय/जामिया मिलिया विश्वविद्यालय/दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, नई दिल्ली में प्रतियोगिता/प्रशिक्षण स्थलों के विकास और उन्नयन/जीर्णोद्धार हेतु व्यय की पूर्ति हेतु (146 करोड़ रुपए), (iv) अखिल भारतीय टेनिस संघ को टेनिस स्टेडियम के उन्नयन/जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (3 करोड़ रुपए) और (v) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (5 करोड़ रुपए)।	(c) For Grants-in-aid to (i) Sports Authority of India (SAI) for additional expenditure for preparation of Indian Team (Rs.145 crore) and (ii) for development and upgradation/renovation of SAI Stadia (Rs.210 crore), (iii) meet the expenditure for development and upgradation/renovation of competition/training venues at Delhi University/Jamia Millia Islamia University/Delhi Public School, R.K. Puram, New Delhi (Rs.146 crore), (iv) All India Tennis Association to meet the additional expenditure for upgradation/renovation of Tennis Stadia (Rs.3 crore) and (v) Central Reserve Police Force (Rs.5 crore).	509.00	-	509.00
जोड़ नकद व्यय	Total Cash Outgo	17,081.61	88,531.77	105,613.38

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 1,31,672.29 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी, पूर्ति अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की तदनुसारी बचतों से की जाती है। मुख्य मदें निम्नलिखित हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs.1,31,672.29 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The main items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें कृषि मंत्रालय 1 कृषि एवं सहकारिता विभाग	Technical Supplementary Demands for Grants MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में से दि. 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार एकत्र हानियों के निपटान हेतु।	(a) For setting off of accumulated losses as on 31.3.2007, against equity of State Farms Corporation of India Limited.	-	117.12	117.12
(ख) कृषि के बृहत प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For Grants to State Governments/Implementing Agencies under the scheme of Macro Management of Agriculture.	125.00	-	125.00
(ग) (i) दि.31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ऋण पर ब्याज देयता का स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएफसीआई) की इक्विटी में रूपांतरण (65.68 करोड़ रुपए)। (ii) एसएफसीआई की इक्विटी में ऋण का रूपांतरण (58.74 करोड़ रुपए) और (iii) 'राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना' योजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्य (4.95 करोड़ रुपए)।	(c) For (i) conversion of interest liability on Government of India Loan as on 31.3.2007 into equity to State Farms Corporation of India Limited (SFCI) (Rs.65.68 crore), (ii) conversion of loan into equity in respect of SFCI (Rs.58.74 crore) and (iii) major works under the scheme 'National Project on Promotion of Organic Farming' (Rs.4.95 crore).	65.68	-	65.68
3 पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म एंड रीजनल स्टेशन फॉर फोरेज प्रोडक्शन एंड डेमन्स्ट्रेशन के कामगारों को भुगतान हेतु।	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries For payment to the workers of Central Cattle Breeding Farm and Regional Station for Forage Production and Demonstration, Chennai as per the direction of the High Court of Madras.	-	0.43	0.43
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7 उर्वरक विभाग निम्नलिखित पर सब्सिडी हेतु (i) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (25550 करोड़ रुपए), (ii) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (15870 करोड़ रुपए) (iii) आयातित यूरिया (6443 करोड़ रुपए), और (iv) स्वदेशी उर्वरक (5000 करोड़ रुपए)।	7 Department of Fertilisers For subsidy on (i) indigenous decontrolled fertilisers (Rs.25550 crore), (ii) imported decontrolled fertilisers (Rs.15870 crore), (iii) imported urea (Rs.6443 crore), and (iv) indigenous fertilisers (Rs.5000 crore).	-	14,000.00	14,000.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 दूरसंचार विभाग मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान करने हेतु।	13 Department of Telecommunications For making payment towards compensation as per the award given by Motor Accident Claim Tribunal.	-	0.07	0.07
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग "चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता योजना, 2007" के तहत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु (34.98 करोड़ रुपए)।	16 Department of Food and Public Distribution For interest subvention to Nodal agencies/Banks under the "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007" (Rs.34.98 crore).	-	20.40	20.40

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा सेवाएं - थल सेना	21 Defence Services - Army			
22 सैनिक स्कूलों में आधारभूत ढांचे के तत्काल सुधार हेतु।	For immediate improvement of infrastructure at 22 Sainik Schools.	-	44.00	44.00
22 रक्षा सेवाएं - नौ सेना	22 Defence Services - Navy			
सामरिक बल कमान के तहत नवनिर्मित यूनिटों के व्यय हेतु।	For expenditure of the newly raised units placed under Strategic Forces Command.	-	38.97	38.97
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 आर्थिक कार्य विभाग	31 Department of Economic Affairs			
(क) रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकॉनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड को प्रति गारंटीकृत राशि (166.62 करोड़ रुपये) के निपटान हेतु और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (22.72 करोड़ रुपये) को आस्थगित भुगतान आधार पर इराक में परियोजना पूरा करने हेतु।	(a) For settlement of amount counter guaranteed to Rail India Technical and Economic Services Limited (Rs.166.62 crore) and IRCON International Limited (Rs.22.72 crore) for execution of project in Iraq on deferred payment basis.	-	189.34	189.34
(ख) नवगठित राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम को भारत सरकार के अंशदान के हिस्से के भुगतान हेतु।	(b) For payment of Government of India's share of contribution to newly constituted National Skill Development Corporation.	-	1,000.00	1,000.00
(ग) अवसंरचना संबंधी सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए इंटरनेट आधारित डाटाबेस के डिजाइन और विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु।	(c) For providing assistance in connection with design and development of Internet based database for Infrastructure Public Private Partnership projects.	-	0.60	0.60
32 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	32 Payments to Financial Institutions			
(क) (i) भारत के लोक लेखे में किसान ऋण राहत निधि से आहरण के पश्चात किसानों को ऋण माफी और ऋण राहत के बदले में ऋणदात्री संस्थाओं को धन जारी करने हेतु (25,000 करोड़ रुपये) और (ii) जनश्री बीमा योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देख-रेख की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा निधि में क्रेडिट करने हेतु (500 करोड़ रुपये)।	(a) For (i) releasing money to lending institutions against debt waiver and debt relief to farmers (Rs.25,000 crore) after drawal for the Farmer's Debt Relief Fund in the Public Accounts of India and (ii) crediting to the Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India under Janshree Bima Yojana (Rs.500 crore).	-	25,500.00	25,500.00
(ख) 'खोदे गए कुओं के जरिए भूजल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना' योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को भुगतान हेतु।	(b) For payment to National Rural Bank for Agriculture and Rural Development towards implementation of 'Artificial Recharge of Ground Water through Dug wells' Scheme.	-	168.40	168.40
(ग) मूल्य के अनुक्षण (एमओवी) हेतु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान हेतु।	(c) For payment to International Monetary Fund for the Maintenance of Value (MOV).	-	1,077.49	1,077.49
(घ) आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम निधि के संवर्धन हेतु।	(d) For augmenting the Aam Aadmi Bima Yojana Premium Fund.	-	1,000.00	1,000.00
35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
(क) चेन्नई के निकट विलवणीकरण संयंत्र के अधिष्ठापन पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure on installation of de-salination plant near Chennai.	300.00	-	300.00
(ख) गोवा राज्य की सरकार के ऋणों (239.22 करोड़ रुपये) और ब्याज (401.88 करोड़ रुपये) और केरल राज्य की सरकार के ऋण (2.69 करोड़ रुपये) को बट्टे-खाते डालने हेतु।	(b) For write off of loans (Rs.239.22 crore) and interest to the State Government of Goa (Rs.401.88 crore) and State Government of Kerala (Rs.2.69 crore).	-	643.79	643.79
37 विनियोग- ऋण की वापसी अदायगी	37 Appropriation-Repayment of Debt			
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के कोटे के वर्धित अंशदान संबंधी व्यय हेतु।	For expenditure on increased subscription of Government of India's quota in International Monetary Fund.	-	8,622.63	8,622.63

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
38 व्यय विभाग संस्थागत विकास निधि के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	38 Department of Expenditure For meeting expenditure under Institutional Development Fund.	-	0.50	0.50
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग नीचे दी गई कम्पनियों के अनुमोदित पूँजी पूर्णगठन योजना के भाग के रूप में निम्नलिखित आवश्यक लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु (i) भारत सरकार ऋण पर बकाया ब्याज की माफी, बकाया भारत सरकार ऋण को बट्टे-खाते डालना और दि.31.3.2006 की स्थिति के अनुसार नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड की इक्विटी को बट्टे-खाते डालना (236.94 करोड़ रुपए), (ii) दि.31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. के ब्याज और दंड ब्याज की माफी और इक्विटी को बट्टे-खाते डालना (159.58 करोड़ रुपए), (iii) भारत हेवी प्लेट्स एवं वेसल्स लिमिटेड के बकाया ऋण को बट्टे-खाते डालना और ब्याज की माफी (415.61 करोड़ रुपए। (ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (0.10 करोड़ रुपए) और (ii) नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (1.81 करोड़ रुपए)	49 Department of Heavy Industry For carrying out necessary accounting adjustments viz.,(i) Waiver of interest outstanding on Government of India Loan, write off of outstanding Government of India Loan and write down of equity as on 31.3.2006 in respect of National Instruments Limited (Rs.236.94 crore), (ii) waiver of interest and penal interest as on 31.3.2007, write down of equity in respect of Bharat Wagon and Engineering Company Limited (Rs.159.58 crore), (iii) write off of outstanding loan and waiver of interest in respect of Bharat Heavy Plates and Vessels Limited (Rs.415.61 crore) as a part of approved capital restructuring plan for these companies and (b) For Grants-in-aid to (i) National Industrial Development Corporation Limited (Rs.0.10 crore) and (ii) National Instruments Limited (Rs.1.81 crore).	-	812.13	812.13
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय (क) एनीमी संपत्तियों के अभिरक्षक की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।	51 Ministry of Home Affairs (a) For meeting establishment related expenditure of Custodian of Enemy Properties. (b) For payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal Case.	-	0.79	0.79
53 पुलिस (क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु। (ख) भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य के तहत विवाचन अधिनिर्णय के भुगतान (0.58 करोड़ रुपए) और न्यायालय की डिक्री की देयता (0.22 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।	53 Police (a) For payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case. (b) For payment of Arbitration Awards under Indo-Pak Border Works (Rs.0.58 crore) and meeting court decree liability (Rs.0.22 crore).	-	0.10	0.10
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग “राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (750 करोड़ रुपए) के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आधारभूत निधि के सृजन और योजना के प्रशासनिक व्यय (11.54 करोड़ रुपए) हेतु।	57 Department of School Education and Literacy For creating Corpus Fund for providing scholarships to student under the “National Means-cum-Merit Scholarship Scheme” (Rs.750 crore) and for administrative expenses of the scheme (Rs.11.54 crore).	761.54	-	761.54

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संस्था प्रबंधन समिति को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	For providing interest free loan to Institute Management Committee of the concerned Industrial Training Institute in various States/Union Territories and also in North Eastern States.	625.00	-	625.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु।	For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products.	-	65,942.00	65,942.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (21000 करोड़ रुपए)	For meeting the additional requirement under the National Rural Employment Guarantee Scheme (Rs.21000 crore).	10,500.00	-	10,500.00
82 पेय जलापूर्ति विभाग	82 Department of Drinking Water Supply			
(i) ग्रामीण स्कुलों में स्टैंडालोन जल शुद्धीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रावधानों के संवर्धन सहित राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों को सहायता अनुदान प्रदान करने (100 करोड़ रुपए) तथा (ii) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में व्यय की पूर्ति हेतु स्टेटबोर्ड प्राधिकरणों आदि को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3.06 करोड़ रुपए)।	For (i) providing grants-in-aid to the State Boards, Authorities, etc including augmentation of provisions in the North Eastern Areas for implementation of Standalone Water Purification System in Rural Schools (Rs. 100 crore) and (ii) additional Grants-in-aid to State Board Authorities, etc. for meeting the expenditure on Rural Water Supply Programmes (Rs.3.06 crore).	100.00	-	100.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 पोत परिवहन विभाग	86 Department of Shipping			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	10.47	10.47
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
39 अंतरिक्ष विभाग	39 Department of Space			
सिविल निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on Civil Works.	5.00	-	5.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	12,482.22	119,190.07	131,672.29

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोजन से की जाएगी।	4. Supplementary Grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक माँग कृषि मंत्रालय	Token Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE			
1. कृषि और सहकारिता विभाग “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन” योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान से संवर्धन हेतु।	1 Department of Agriculture and Cooperation For augmentation of provision for North Eastern Region under the Scheme of “Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttranchal”.	45.00	-	45.00
3 पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी (क) कोऑपरेटिव की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (ख) ‘पशु संगरोधन एवं प्रमाणन सेवा’ योजना के तहत अवसंरचना की स्थापना तथा मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए।	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (a) For Grants-in-aid to National Dairy Development Board for Assistance to Cooperative. (b) For acquisition of land for setting up and upgradation of existing infrastructure under the scheme ‘Animal Quarantine and Certification Services’.	2.00 5.45	- -	2.00 5.45
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग (क) जोरहट में टॉकलई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को विशेष शतवर्षीय अनुदान (20 करोड़ रुपए) और सेंटर फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम को एकबारगी अनुदान (5 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। (ख) निर्यात क्रेडिट (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 के तहत न्यायालय की डिक्री के अनुपालन में इंडियन बैंक को धनवापसी हेतु। (ग) कोलकाता में वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशक और सांख्यिकी भवन के सिविल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्यों को पूरा करने के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग को भुगतान हेतु।	10 Department of Commerce (a) For providing special centenary grant to the Tocklai Experimental Station at Jorhat (Rs.20 crore) and one time grant to Centre for Developmental Studies, Thiruvananthapuram (Rs.5 crore). (b) For refund to Indian Bank in compliance of court decree under Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968. (c) For payment to Central Public Works Department towards completion of civil and electrical works of Director General Commercial Intelligence and Statistics Building at Kolkata.	25.00 - 2.00	- 0.02 -	25.00 0.02 2.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
28 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एकीकृत समुद्रतटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत आँकड़ों के संग्रहण हेतु उपस्कर की खरीद संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	28 Ministry of Earth Sciences For meeting the expenditure towards purchase of equipment to collect data under Integrated Coastal and Marine Area Management programme.	0.60	-	0.60

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	32 Payments to Financial Institutions			
(i) पंजाब एंड सिंध बैंक (560 करोड़ रुपए) और	For restructuring the equity capital of (i)			
(ii) यूको बैंक (250 करोड़ रुपए) की इक्विटी	Punjab and Sind Bank (Rs.560 crore) and			
पूँजी के पुनर्गठन हेतु।	(ii) UCO Bank (Rs.250 crore).	-	810.00	810.00
44 विनिवेश विभाग	44 Department of Disinvestment			
तीन चुनिंदा फंड प्रबंधकों को अर्थात् (क) एलआईसी	For re-allocation of funds to the three			
म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड,	selected Fund Managers i.e. (a) LIC Mutual			
(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मैनेजमेंट प्रा.	Fund Asset Management Company			
लिमिटेड, (ग) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट	Limited, (b) State Bank of India Funds			
मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लिमिटेड की निधियों के	Management Pvt Limited, (c) Unit Trust			
पुनःआवंटन हेतु।	of India Asset Management Company Pvt.	-	1,165.00	1,165.00
	Limited.			
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, राँची को आवासीय	For providing additional funds to Central			
क्वार्टरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधियाँ प्रदान	Institute of Psychiatry, Ranchi for			
करने हेतु।	construction of residential quarters.	8.15	-	8.15
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग	49 Department of Heavy Industry			
दि. 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बकाया	For carrying out necessary accounting			
ऋण के रूपांतरण संबंधी आवश्यक लेखा समायोजनों	adjustments relating to conversion of loan			
को पूरा करने हेतु (79.81 करोड़ रुपए) और (ख)	outstanding as on 31.3.2008 into equity			
भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में	(Rs.79.81 crore) and (b) for equity			
इक्विटी निवेश हेतु (24.32 करोड़ रुपए)।	investment (Rs.24.32 crore) in Bharat			
	Wagon and Engineering Company			
	Limited.	104.13	-	104.13
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 पुलिस	53 Police			
(क) दिल्ली पुलिस के मोटर वाहन (0.75 करोड़	(a) For meeting expenditure on Motor			
रुपए) और मशीन एवं उपस्कर (0.25 करोड़	Vehicle (Rs.0.75 crore) and Machinery			
रुपए) पर व्यय की पूर्ति हेतु।	and Equipment (Rs.0.25 crore) of Delhi	1.00	-	1.00
	Police.			
(ख) भारत बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग	(b) For expenditure on flood lighting on			
संबंधी व्यय हेतु।	India-Bangladesh Border.	-	110.00	110.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
69 पंचायती राज मंत्रालय	69 Ministry of Panchayati Raj			
मीडिया और प्रचार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता	For meeting additional requirement towards			
की पूर्ति हेतु।	Media and Publicity.	12.00	-	12.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के संसाधनों में अंतर	For meeting the gap in resources of British			
को पूरा करने हेतु।	India Corporation.	-	25.00	25.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
95 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अस्थायी शरणगृहों में रहने वाले सुनामी पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त राशन की आपूर्ति हेतु।	95 Andaman and Nicobar Islands For supply of free ration to Tsunami affected people residing in temporary shelters.	-	49.19	49.19
शहरी विकास मंत्रालय 100 शहरी विकास विभाग चुनिंदा शहरों में एयरपोर्ट के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना हेतु सहायता अनुदान के लिए।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 100 Department of Urban Development For Grants-in-aid for pilot project on solid waste disposal near airport in selected cities.	22.00	-	22.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.11	0.06	0.17
5. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 100.04 करोड़ रुपए के छः अग्रिम मंजूर किए गए। अनुदानों की पूरक मांगों के मंजूर किए जाने के पश्चात इनकी निधि में पूर्ति कर दी जाएगी।	5. Six advances aggregating Rs.100.04 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	29,563.94	207,721.90	237,285.84
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	17,081.61	88,531.77	105,613.38
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	12,482.22	119,190.07	131,672.29
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.11	0.06	0.17

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	280.39	65.68	346.07	1-2
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	213.44	...	213.44	3
3. पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	भारित स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Charged Voted	0.43 24.66	... 0.01	0.43 24.67	4-5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	609.12	37.39	646.51	6
5. न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	6.23	...	6.23	7
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	7.11	...	7.11	8
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	52865.56	...	52865.56	9-10
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	10.14	...	10.14	11
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	2.58	...	2.58	12
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	10. Department of Commerce	Charged Voted	0.01 360.66	... 0.01	0.01 360.67	13-14
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	11. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	27.89	...	27.89	15
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
12. डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted	1945.25	...	1945.25	16
13. दूरसंचार विभाग	भारित	13. Department of Telecommunications	Charged	0.07	...	0.07	17
14. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	14. Department of Information Technology	Voted	100.00	...	100.00	18
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	8.66	...	8.66	19
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribution	Charged Voted	1.64 5109.45	1.64 5109.45	20-21
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	14.48	30.00	44.48	22

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	98.89	...	98.89	23
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Defence	Voted	354.39	9.81	364.20	24-25
20. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	20. Defence Pensions	Voted	1941.00	...	1941.00	26
21. रक्षा सेवा-थल सेना	स्वीकृत	21. Defence Services - Army	Voted	6303.26	...	6303.26	27
22. रक्षा सेवा-नौसेना	स्वीकृत	22. Defence Services - Navy	Voted	688.88	...	688.88	28
23. रक्षा सेवा-वायु सेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Air Force	Voted	1120.79	...	1120.79	29
24. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	स्वीकृत	24. Defence Ordnance Factories	Voted	100.00	...	100.00	30
25. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	25. Defence Services - Research and Development	Voted	259.65	...	259.65	31
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	1.90	...	1.90	32
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
28. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Earth Sciences	Voted	49.76	0.01	49.77	33-34
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Environment and Forests	Voted	27.03	0.70	27.73	35
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
30. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of External Affairs	Voted	778.11	...	778.11	36
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
31. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	31. Department of Economic Affairs	Voted	204.43	1000.60	1205.03	37-38
32. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	32. Payments to Financial Institutions	Voted	40668.40	4996.23	45664.63	39-40
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	9.00	...	9.00	41
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union territory Governments	Charged	...	2000.00	2000.00	42-43
	स्वीकृत		Voted	3240.66	...	3240.66	
37. विनियोग-ऋण की अदायगी	भारित	37. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	8622.63	8622.63	44
38. व्यय विभाग	स्वीकृत	38. Department of Expenditure	Voted	7.18	...	7.18	45
39. पेंशन	स्वीकृत	39. Pensions	Voted	2050.00	...	2050.00	46
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित	40. Indian Audit and Accounts Department	Charged	6.58	...	6.58	47
	स्वीकृत		Voted	344.97	...	344.97	
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	40.49	...	40.49	48
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	303.55	...	303.55	49
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	373.29	...	373.29	50
44. विनिवेश विभाग	स्वीकृत	44. Department of Disinvestment	Voted	0.57	0.01	0.58	51
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	2.10	...	2.10	52

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	378.30	0.01	378.31	53-55
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	35.60	...	35.60	56-57
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	0.07	...	0.07	58
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49. Department of Heavy Industry	Voted	813.99	0.01	814.00	59-60
50. सरकारी उद्यम विभाग	स्वीकृत	50. Department of Public Enterprises	Voted	0.79	...	0.79	61
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
51. गृह मंत्रालय	भारित	51. Ministry of Home Affairs	Charged	0.10	...	0.10	62-63
	स्वीकृत		Voted	255.36	...	255.36	
52. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	52. Cabinet	Voted	41.78	...	41.78	64
53. पुलिस	भारित	53. Police	Charged	0.04	0.80	0.84	65-66
	स्वीकृत		Voted	5065.79	0.02	5065.81	
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	54. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	84.35	...	84.35	67
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	55. Transfers to Union territory Governments	Voted	165.00	...	165.00	68
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	2.17	...	2.17	69
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	282.35	761.54	1043.89	70-71
58. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	554.68	...	554.68	72-73
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	238.19	...	238.19	74
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	117.35	625.00	742.35	75-76
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	61. Election Commission	Voted	1.87	...	1.87	77
62. विधि और न्याय	स्वीकृत	62. Law and Justice	Voted	208.28	...	208.28	78-79
63. विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	63. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	12.41	...	12.41	80

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	53.63	...	53.63	81-82
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	77.02	...	77.02	83
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Minority Affairs	Voted	1.72	...	1.72	84
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	3.55	...	3.55	85
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
68. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	1.38	...	1.38	86
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
69. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.74	...	0.74	87
संसदीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS					
70. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.92	...	0.92	88
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
71. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित स्वीकृत	71. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged Voted	4.45 142.55	4.45 142.55	89
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	65944.54	...	65944.54	90
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
73. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Planning	Voted	10.83	...	10.83	91
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	29.79	...	29.79	92
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT					
75. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	भारित	75. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	Charged	3.08	...	3.08	93
76. लोकसभा	स्वीकृत	76. Lok Sabha	Voted	24.89	...	24.89	94

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
77. राज्यसभा	स्वीकृत	77. Rajya Sabha	Voted	10.28	...	10.28	95
78. विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग	भारित	78. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	11.54	...	11.54	96
79. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	79. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.30	...	0.30	97
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
80. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	80. Department of Rural Development	Voted	21360.57	...	21360.57	98-99
81. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	81. Department of Land Resources	Voted	0.79	...	0.79	100
82. पेय जलापूर्ति विभाग	स्वीकृत	82. Department of Drinking Water Supply	Voted	100.42	...	100.42	101-102
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
83. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	83. Department of Science and Technology	Voted	118.15	...	118.15	103
84. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	84. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	207.09	...	207.09	104
85. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	12.32	...	12.32	105
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
86. नौवहन विभाग	स्वीकृत	86. Department of Shipping	Voted	17.20	1.30	18.50	106
87. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	87. Department of Road Transport and Highways	Voted	13.22	...	13.22	107
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	12.72	...	12.72	108
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
89. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	89. Department of Space	Voted	220.95	5.00	225.95	109-110
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	56.89	...	56.89	111
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
91. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Steel	Voted	2.88	...	2.88	112
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	245.05	0.01	245.06	113-114
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	5.70	...	5.70	115
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Tribal Affairs	Voted	4.27	...	4.27	116
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	95. Andaman and Nicobar Islands	Voted	116.14	205.00	321.14	117-118

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
97. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	97. Dadra and Nagar Haveli	Voted	14.18	...	14.18	119-121
98. दमन और दीव	स्वीकृत	98. Daman and Diu	Voted	12.03	...	12.03	122-124
99. लक्षद्वीप	स्वीकृत	99. Lakshwadweep	Voted	17.73	0.02	17.75	125-127
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	100. Department of Urban Development	Voted	12.09	400.00	412.09	128-129
101. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	101. Public Works	Voted	112.65	...	112.65	130
102. लेखन-सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत	102. Stationery and Printing	Voted	40.23	...	40.23	131
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	112.70	1.61	114.31	132-133
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Women and Child Development	Voted	13.07	...	13.07	134-135
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	551.07	...	551.07	136-137
कुल जोड़		GRAND TOTAL		218522.44	18763.40	237285.84	
	भारित		Charged	40.35	10623.43	10663.78	
	स्वीकृत		Voted	218482.09	8139.97	226622.06	
अनुबंध		ANNEXURE					139

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि तथा सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	...	188.80	188.80
स्वीकृत	Voted:	10455.20	90.45	10545.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	280.39	65.68	346.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10735.59	344.93	11080.52
भारित	Charged:	...	188.80	188.80
स्वीकृत	Voted:	10735.59	156.13	10891.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			
स्वीकृत	Voted:	...	1.35 (का)	1.35
2401-फसल कार्य	2401-Crop Husbandry			
स्वीकृत	Voted:	8.36 (खb)	128.05 (गc)	136.41
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation			
स्वीकृत	Voted:	1.97 (घd)	0.42 (ङe)	2.39
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes			
स्वीकृत	Voted:	0.81 (चf)	5.78 (छg)	6.59
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (जh)	...	0.01
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	0.74 (झi)	7.90 (ञj)	8.64
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			
स्वीकृत	Voted:	125.00 (टk)	...	125.00
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted: 136.89	143.50	280.39
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry			
स्वीकृत	Voted:	65.68 (ठl)	...	65.68
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: 202.57	143.50	346.07

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क), (घ), (ङ), (छ), (झ) और (ञ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.04 करोड़ रुपए)। "बीजों के उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा सुदृढीकरण" सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना स्कीम तहत बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम में बढ़ोतरी हेतु आत्महत्या प्रभावित जिलों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री के पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान (400.21 करोड़ रुपए); समेकित तिलहन/ऑइलपाम दालों तथा मक्का विकास के लिए सहायता अनुदान (80 करोड़ रुपए); राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a), (d), (e), (g), (i) & (j) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 5.04 crore). Grants-in-aid for implementation of PM's Rehabilitation Package for farmers in suicide-affected districts for enhancing Seed replacement Programme under Central Sector Plan scheme "Development & Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" (Rs. 400.21 crore); Grants-in-aid for Integrated Oilseed/ Oilpalm/

हेतु कृषि बीमा निगम को अंशदान (50 करोड़ रुपए); मौसम आधारित फसल बीमा योजना को अंशदान (50 करोड़ रुपए); पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन हेतु सहायता अनुदान (40 करोड़ रुपए)। सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों, पेंशन आदि के लिए - केन्द्रीय विस्तार निदेशालय संस्थान (0.72 करोड़ रुपए); वृक्ष जनित तिलहनों (0.29 करोड़ रुपए) को विस्तार सहायता हेतु सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु; राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान (0.97 करोड़ रुपए) तथा नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (1.34 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत 620.21 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 8.36 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (10.93 करोड़ रुपए)। और भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि. (एसएफसीआई) को इक्विटी के लिए दिनांक 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार संचित हानियों को समंजित करने हेतु (117.12 करोड़ रुपए)।

चूंकि राजस्व भाग में 117.12 करोड़ रुपए की समकक्ष प्राप्तियां उपलब्ध होंगी, इसलिए इसमें 10.93 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और पेंशनों के लिए लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफसीआई) को सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को अनुदान (0.41 करोड़ रुपए) के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ज) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में "समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" की स्कीम में व्यय के लिए जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किया जाएगा (45 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ट) कृषि विस्तृत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत संशोधित वित्त पोषण पैटर्न के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य सरकार/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को अनुदान।

चूंकि अनुदान के पूंजी/भारित भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ड) दिनांक 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि. (एसएफसीआई) के सम्बन्ध में भारत सरकार के ऋण से सम्बन्ध ब्याज सब्सिडी देयता को इक्विटी में बदलना। भारतीय राज्य फार्मा निगम लि. के विरुद्ध दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया ऋणों को इक्विटी में बदलना (58.74 करोड़ रुपए) और "जैविक खेती के प्रोत्साहन सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना" स्कीम के तहत वृहद् निर्माण कार्य (4.95 करोड़ रुपए)।

चूंकि ब्याज देयता को इक्विटी में बदलने हेतु राजस्व भाग में 65.68 करोड़ रुपए की समकक्ष प्राप्तियां अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 58.74 करोड़ रुपए के ऋणों को इक्विटी में बदलना; और राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोत्साहन परियोजना के सम्बन्ध में अनुदान के उसी भाग में 4.95 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध होंगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Pulses and Maize Development (Rs. 80 crore); Contributions to Agriculture Insurance Corporation(AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS) (Rs. 50 crore); Contributions to Weather-based Crop Insurance Scheme (Rs. 50 crore); and Grants-in-aid for Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North-East States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttranchal (Rs. 40 crore). For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Extension Support to Central Institutes of Directorate of Extension (Rs. 0.72 crore); Tree Born Oilseeds (Rs. 0.29 crore); Grants-in-aid to National Horticulture Board (Rs. 0.97 crore) and Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut (Rs. 1.34 crore) towards salaries, pensions, etc on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.

As savings of Rs. 620.21 crore are available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs. 8.36 crore.

(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 10.93 crore) and for setting off of accumulated losses as on 31.3.2007, against equity of State Farms Corporation of India Ltd. (SFCI) (Rs. 117.12 crore).

As there will be equivalent receipts of Rs.117.12 crore in the Revenue section, this will entail net cash outgo of Rs. 10.93 crore.

(f) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC) (Rs.0.40 crore) and Grants to National Institute of Agricultural Marketing (Rs.0.41 crore) towards salaries, pensions, etc on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(h) For expenditure in the scheme of "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttranchal" to be incurred in North Eastern Areas (Rs. 45 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(k) For Grants to State Government/Implementing Agencies as a result of implementation of revised funding pattern under the scheme of Macro Management of Agriculture.

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital/Charged section of the Grant, there will be no cash outgo.

(I) For conversion of interest liability on Government of India loan as on 31.3.2007 into equity to State Farms Corporation of India Ltd. (SFCI) (Rs. 65.68 crore); For conversion of Government of India loan outstanding as on 31.3.2007 against State Farms Corporation of India Ltd. (SFCI) into equity (Rs. 58.74 crore) and for Major Works under the scheme "National Project on Promotion of Organic Farming" (Rs. 4.95 crore).

As there will be equivalent receipts in the Revenue section of Rs.65.68 crore for conversion of interest liability into equity; towards conversion of loan into equity of Rs.58.74 crore within the same section of the Grant; and the availability of savings of Rs.4.95 crore in the same section of the Grant towards National Project on Promotion of Organic Farming, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2680.00	...	2680.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	213.44	...	213.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	2893.44	...	2893.44

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	Voted:	...	209.30 (का)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	3.69 (खb)	...
3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	...	0.45 (गc)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	3.69	209.75
				213.44

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा पेंशनों आदि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों, पेंशन आदि के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.</p> <p>(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.</p> <p>(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1357.97	16.00	1373.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.43	...	0.43
	स्वीकृत	Voted:	24.66	0.01	24.67
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1383.06	16.01	1399.07	
	भारित	Charged:	0.43	...	0.43
	स्वीकृत	Voted:	1382.63	16.01	1398.64

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403-पशुपालन	भारित 2403-Animal Husbandry	Charged:	...	0.43 (का)	0.43
	स्वीकृत	Voted:	2.89 (खb)	4.57 (गc)	7.46
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (घd)	6.80 (ङe)	6.81
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत 2405-Fisheries	Voted:	3.21 (चf)	4.52 (छg)	7.73
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत 3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	0.66 (जh)	2.00 (झi)	2.66
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	6.77	18.32	25.09	
	भारित	Charged:	...	0.43	0.43
	स्वीकृत	Voted:	6.77	17.89	24.66
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	0.01 (ञj)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	6.78	18.32	25.10	
	भारित	Charged:	...	0.43	0.43
	स्वीकृत	Voted:	6.78	17.89	24.67

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(क) उच्च न्यायालय, मद्रास के निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) और चारा उत्पादन तथा

(a) For recoupment of an advance obtained from the Contingency Fund of India towards payment to the

प्रदर्शन क्षेत्रीय केन्द्र, चेन्नई के कामगारों को भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं जिन्हें इस लेख में अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय (2.89 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, चूंकि 'केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं' की योजना के तहत वैज्ञानिक उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (2.75 करोड़ रुपए) और 'राष्ट्रीय मवेशी तथा भेड़ प्रजनन योजना (28 करोड़ रुपए) की स्कीम तहत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 30.75 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है, इसलिए इसमें 2.89 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

- (घ) सहकारिता सहायता हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान योजना के तहत दुग्ध संघों को वचनबद्ध देयताओं तथा गतिविधियों के विकास हेतु सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ङ) से (झ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

- (ज) 'पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवाओं' की योजना के तहत मौजूदा आधारभूत संरचना की स्थापना तथा उन्नयन के लिए भूमि के अधिग्रहण (5.45 करोड़ रुपए) हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

workers of Central Cattle Breeding Farm (CCBF) and Regional Station for Forage Production & Demonstration (RSFP&D), Chennai as per the direction of the High Court of Madras.

As equivalent savings are available within the Revenue/ Voted Section of the Grant which will be surrendered on this account, this will not entail cash outgo.

- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs. 2.89 crore); As Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories for procurement of scientific equipments under the Scheme Central Disease Diagnostic Laboratories (Rs. 2.75 crore); and to State Implementing Agencies under the scheme 'National Project for Cattle & Buffalo Breeding' (Rs. 28 crore).

As savings of Rs. 30.75 crore are available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 2.89 crore.

- (c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

- (d) Grants-in-aid towards committed liabilities of the milk unions and for development activities under the scheme 'Grants-in-aid to National Dairy Development Board for Assistance to Cooperative' (Rs. 2 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) to (i) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

- (j) For acquisition of land for setting up and up-gradation of existing infrastructure under the scheme 'Animal Quarantine and Certification Services' (Rs. 5.45 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	2919.24	2003.26	4922.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	609.12	37.39	646.51
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3529.36	2041.65	5571.01
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	3528.36	2040.65	5569.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-		3451-Secretariat-			
आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	4.69 (का)	4.69
2852-उद्योगों	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	137.01 (खब)	137.01
3401-परमाणु ऊर्जा		3401-Atomic Energy			
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	467.42 (गक)	467.42
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	609.12	609.12
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों		4861-Capital Outlay on			
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Atomic Energy Industries	Voted:	37.39 (घद)	37.39
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	646.51	646.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क), (ख) और (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर (रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेन्टर), इंदिरा गांधी सेन्टर और एटामिक रिसर्च, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवान्स टेक्नोलॉजी, वेरिसेज एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेन्टर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जेनेरल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड डायरेक्टरेट फॉर कन्सट्रक्शन, सर्विसेज एंड एस्टेट मैनेजमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स के वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (387.65 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा इस विभाग के पूर्णतः सहायता प्राप्त स्वायत्त निकायों के लिए सहायता अनुदान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a), (b) & (d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

(c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling to Bhabha Atomic Research Centre (Research and Development Sector), Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Variable Energy Cyclotron Centre, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, General Services Organisation, Atomic Energy Regulatory Board, Directorate for Construction, Services and Estate Management and Directorate of Purchase and Stores (Rs. 387.65 crore) and also for grants-in-aid towards fully aided Autonomous Bodies of the Department (Rs. 79.77 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

नाभिकीय विद्युत योजनाएं NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1486.40	1526.88	3013.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	6.23	...	6.23	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1492.63	1526.88	3019.51	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2801-विद्युत	स्वीकृत	Voted: ...	6.23	6.23

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	296.80	50.20	347.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	7.11	...	7.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	303.91	50.20	354.11

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted: ...	4.61 (का)	4.61
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत 3451-Secretariat-Economic Services	Voted: ...	2.50 (खब)	2.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: ...	7.11	7.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतानों, वर्धित बोनस उच्चतम सीमा (1.39 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) (2.02 करोड़ रुपए), इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (0.26 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (सीआईपीईटी) (0.94 करोड़ रुपए) को वेतन भुगतान पेंशन आदि सम्बन्धी सहायतानुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतानों तथा वर्धित बोनस उच्चतम सीमा के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (a) For meeting additional expenditure on account of salaries, enhanced bonus ceiling (Rs. 1.39 crore) and on account of Grants-in-Aid towards salaries, pension, etc. to National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER) (Rs.2.02 crore), Institute of Pesticide Formulation and Technology (Rs. 0.26 crore) and Central Institute of Pharmaceutical Education & Research (CIPET) (Rs. 0.94 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.
- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	34335.51	46.04	34381.55	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	52865.56	...	52865.56	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	87201.07	46.04	87247.11	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत 2401-Crop Husbandry	Voted: ...	47863.00 (का)	47863.00	
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted: ...	5000.30 (खब)	5000.30	
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत 3451-Secretariat-Economic Services	Voted: ...	2.26 (गक)	2.26	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	...	52865.56	52865.56	

अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दी गयी उन प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्हें व्यय से घटाकर समायोजित किया जाता है।

The above estimates of additional requirement do not take into account the receipts, shown below which are adjusted in reduction of expenditure.

मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
8012-विशेष जमा राशियां तथा लेखे	8012-Special Deposits and Accounts	...	(-) 14000.00	(-)14000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| (क) (i) स्वदेशी विनियमित उर्वरकों पर सब्सिडी (25550.00 करोड़ रुपए) | (a) (i) subsidy on indigenous decontrolled fertilizers (Rs.25550.00 crore) |
| (ii) आयातित विनियमित उर्वरकों पर सब्सिडी (15870.00 करोड़ रुपए) | (ii) subsidy on imported decontrolled fertilizers (Rs.15870.00 crore) |
| (iii) आयातित यूरिया पर सब्सिडी (6443.00 करोड़ रुपए) | (iii) subsidy on imported urea (Rs. 6443.00 crore) |
| (ख) (i) स्वदेशी उर्वरकों पर सब्सिडी (5000.00 करोड़ रुपए) | (b) (i) subsidy on indigenous fertilizers (Rs.5000.00 crore). |

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण तथा उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान की वजह से अतिरिक्त व्यय (0.30 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।</p> <p>(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण तथा उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान की वजह से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।</p> | <p>(ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling (Rs.0.30 crore).</p> <p>(c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling.</p> |
|--|--|

उर्वरकों यूनिटों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए 14000.00 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति (देशीय विनियंत्रित उर्वरक-6250.00 करोड़ रुपए, आयातित विनियंत्रित उर्वरक-6250.00 करोड़ रुपए और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक-1500.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के बाद इसमें नकद व्यय नहीं होगा और इस पूरक अनुदान में निवल नकद व्यय 38865.56 करोड़ रुपए होगा।

After providing compensation through issue of Special Securities to the Fertiliser Units of Rs.14000.00 crore (indigenous decontrolled fertilizers-Rs.6250.00 crore, imported decontrolled fertilizers-Rs.6250.00 crore and nitrogenous fertilizers-Rs.1500.00 crore) which does not entail cash outgo, this supplementary will entail net cash outgo of Rs.38865.56 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 8

नागरिक विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	476.06	171.98	648.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	10.14	...	10.14	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	486.20	171.98	658.18	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	0.04 (का)	7.20 (खb)	7.24
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	3075-Other Transport Services	Voted:	...	1.07 (गc)	1.07
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	1.83 (घd)	1.83
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	10.10	10.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क), (ग) तथा (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को वेतनों के भुगतान, वर्धित बोनस उच्चतम सीमा (5.83 करोड़ रुपए) तथा वेतन, पेंशन आदि (1.37 करोड़ रुपए) सम्बन्धी सहायतानुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

- (a), (c) & (d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.
- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries, enhanced bonus ceiling (Rs. 5.83 crore) and on account of Grants-in-Aid towards salaries, pension, etc. (Rs. 1.37 crore) to Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.

इसमें निवल नगद व्यय होगा।

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	345.50	30.00	375.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	2.58	...	2.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	348.08	30.00	378.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	...	1.63
2803-कोयला एवं लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	Voted:	0.06	0.89
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.06	2.52

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.10

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.50	...	0.50
स्वीकृत	Voted:	2823.74	711.00	3534.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.01	...	0.01
स्वीकृत	Voted:	360.66	0.01	360.67
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3184.91	711.01	3895.92
भारित	Charged:	0.51	...	0.51
स्वीकृत	Voted:	3184.40	711.01	3895.41
II. इस पूरक अनुदान विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2057-आपूर्ति एवं निपटान	स्वीकृत 2057-Supplies and Disposals	Voted:	...	12.38 (क)
2407-बागवानी	स्वीकृत 2407-Plantations	Voted:	0.01 (ख)	...
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत 3451-Secretariat- Economic Services	Voted:	...	7.27 (ग)
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	भारित 3453-Foreign Trade and Export Promotion	Charged:	...	0.01 (घ)
	स्वीकृत	Voted:	8.56 (ङ)	332.44 (च)
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	8.57	352.10	360.67
भारित	Charged:	...	0.01	0.01
स्वीकृत	Voted:	8.57	352.09	360.66
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 5453-Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (छ)	...
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	8.58	352.10	360.68
भारित	Charged:	...	0.01	0.01
स्वीकृत	Voted:	8.58	352.09	360.67

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान (12.38 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (ii) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा पट्टा किराया प्रभारों (7.94 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 12.38 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) टॉकलई एक्सपेरीमेंटल स्टेशन, जोरहट को विशेष शतवर्षीय अनुदान

The supplementary grant/appropriation is sought:

- (a) for (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 12.38 crore); and (ii) payment of lease rent charges by Directorate General of Supplies and Disposals (Rs. 7.94 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 12.38 crore.

- (b) for providing special centenary grant to the Tocklai

(20 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु और विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम को एक बारगी अनुदान (5 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (घ) निर्यात क्रेडिट (ब्याज सब्सिडी) योजना, 1968 के तहत न्यायालय की डिफ्री के अनुपालन में इंडियन बैंक को धन वापसी (0.02 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ङ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर (i) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली (5.83 करोड़ रुपए) (ii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग (0.70 करोड़ रुपए) और (iii) भारत विदेश व्यापार संस्थान (2.03 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (च) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय (32.44 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रुपया निर्यात ऋण (300 करोड़ रुपए) की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लंबित दावों का निपटान; (iii) आवधिक उत्पाद शुल्क संबंधी मानित निर्यातों पर शुल्क वापस लेने के दावों का निपटान; (iv) और केन्द्रीय बिक्री कर (143.31 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति वर्द्धित एकीकृत फ्रेमवर्क ट्रस्ट का अंशदान (4.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में 147.81 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं अतः इसमें 332.44 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (छ) कोलकाता में वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशक और सांख्यिकी भवन के सिविल और बिजली निर्माण कार्य को पूरा करने के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग को भुगतान (2 करोड़ रुपए) करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Experimental Station at Jorhat (Rs. 20 crore) and one time grant to Centre for Developmental Studies, Thiruvananthapuram (Rs. 5 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.
- (d) for refund to Indian Bank in compliance with court decree under Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968 (Rs.0.02 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) for meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to (i) Export Inspection Council of India, New Delhi (Rs. 5.83 crore); (ii) the Indian Institute of Packaging (Rs. 0.70 crore); and (iii) Indian Institute of Foreign Trade (Rs. 2.03 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.

This will entail cash outgo.

- (f) for (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 32.44 crore); (ii) settlement of pending claims of Interest subvention of Scheduled Commercial Banks in respect of Rupee Export Credit (Rs. 300 crore); (iii) settlement of duty drawback claims on deemed exports towards terminal excise duty and reimbursement of Central Sales Tax (Rs. 143.31 crore); and (iv) contribution of Enhanced Integrated Framework Trust (Rs. 4.50 crore).

As savings of Rs. 147.81 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 332.44 crore.

- (g) for payment to Central Public Works Department towards completion of civil and electrical works of Director General Commercial Intelligence and Statistics Building at Kolkata (Rs. 2 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	673.45	723.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	27.89	27.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	701.34	50.00	751.34
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	701.34	751.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	3.65 (का)
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	...	12.55 (खb)
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	5.89 (का)
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	5.80 (का)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	27.89	27.89

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

- (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान और वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15.34 करोड़ रुपए)।
- (ख) सरकार यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस (5.42 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा साथ ही निम्नलिखित को वेतन एवं बोनस हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान:
- (i) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (3.97 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (2.78 करोड़ रुपए) (iii) केन्द्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (0.38 करोड़ रुपए)।

इसमें 27.89 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought:

- (a) For meeting additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 15.34 crore).
- (b) For meeting additional expenditure on salaries and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 5.42 crore), and also towards providing additional grants-in-aids to (i) National Productivity Council (Rs. 3.97 crore) (ii) National Institute of Design (Rs. 2.78 crore), (iii) Central Pulp and Paper Research Institute (Rs. 0.38 crore) for salaries and pensions, on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government.

This will entail cash outgo of Rs.27.89 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.24	...	0.24
स्वीकृत	Voted:	7562.16	426.61	7988.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1945.25	...	1945.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9507.65	426.61	9934.26
भारित	Charged:	0.24	...	0.24
स्वीकृत	Voted:	9507.41	426.61	9934.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	Voted:	...	1945.25

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतानों (1511.91 करोड़ रुपए), पेंशन (239.70 करोड़ रुपए) और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस भुगतान (193.64 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on salaries (Rs.1511.91 crore), pensions (Rs.239.70 crore) on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and also on bonus based on enhanced ceiling (Rs.193.64 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	5939.25	200.75	6140.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5939.32	200.75	6140.07	
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	5939.25	200.75	6140.00

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services			
	भारित	Charged:	...	0.07
			0.07	0.07

यह पूरक विनियोग मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के अनुसार क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में किए जाने वाले भुगतान हेतु अपेक्षित है। इस उद्देश्य हेतु भारत की आकस्मिक निधि से 0.07 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृत किए गए जिन की प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पास होने के बाद निधि में कर दी जाएगी। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग के तहत बचतें उपलब्ध हैं, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is sought for making payment towards compensation as per the award given by Motor Accident Claim Tribunal, New Delhi. An advance of Rs. 0.07 crore, sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, shall be recouped to the Fund after supplementary grant is passed. As there are savings available under the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.14

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1616.50	99.50	1716.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	100.00	...	100.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1716.50	99.50	1816.00	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat- Economic Services	Voted:	71.12	6.79	77.91
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	5.46	...	5.46
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	13.90	2.73	16.63
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	90.48	9.52	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है: सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 15

उपभोक्ता कार्य विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		231.99	32.04	264.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:		8.66	...	8.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:		240.65	32.04	272.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	स्वीकृत Voted:	...	4.02	4.02
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	स्वीकृत Voted:	...	2.28	2.28
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	स्वीकृत Voted:	...	0.80	0.80
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	स्वीकृत Voted:	...	1.56	1.56
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	स्वीकृत Voted:	...	8.66	8.66

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:
स्वीकृत	Voted:	33735.55	375.45	34111.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	1.64	...	1.64
स्वीकृत	Voted:	5109.45	...	5109.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	38846.64	375.45	39222.09
भारित	Charged:	1.64	...	1.64
स्वीकृत	Voted:	38845.00	375.45	39220.45

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भंडारण एवं भंडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing			
भारित	Charged:	...	0.92 (क)a	0.92
स्वीकृत	Voted:	0.10 (ख)b	5104.85 (ग)c	5104.95
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं पर पूंजी परिव्यय	3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	...	4.50 (घ)d	4.50
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies			
भारित	Charged:	...	0.72 (ङ)e	0.72
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.10	5110.99	5111.09
भारित	Charged:	...	1.64	1.64
स्वीकृत	Voted:	0.10	5109.35	5109.45

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।**Note:** The above estimates do not include the following recoveries which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भंडारण एवं भंडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing			
स्वीकृत	Voted:	...	(-)20.40	(-)20.40

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को ब्याज भुगतान संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इस प्रयोजन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से 0.92 करोड़ रुपए का अग्रिम मंजूर किए गए, जिसकी निधि में प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पास होने के बाद की जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) For meeting expenses on the interest payment to National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) as per orders of the Hon'ble High Court of Delhi. An advance of Rs. 0.92 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. This will entail cash outgo.

(ख) और (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वेतन और बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।	(b) and (d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
(ग) (i) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी (4064.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा। (ii) मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एमएमटीसी), स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी), पीईसी लि. और नेशनल एग्रीकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को खाद्य तेल आयात सब्सिडी के भुगतान हेतु। इसमें 1000 करोड़ रुपए नकद व्यय होगा जिसमें से 93 करोड़ रुपए की राशि भारत की आकस्मिकता निधि प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् की जाएगी। (iii) चीनी उद्योग के विकास हेतु विशेषज्ञ दल गठित करने संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (0.13 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा। (iv) "चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता योजना 2007" के तहत केन्द्रक अभिकरणों/बैंकों (ऋणदाताओं) को 34.98 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता के रूप में भुगतान हेतु। 20.40 करोड़ रुपए के व्यय को चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों से प्रतिसंतुलित किया जाएगा। इसमें निवल नकद व्यय 14.58 करोड़ रुपए का होगा। (v) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वेतन और बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.74 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।	(c) (i) Food Subsidy to Food Corporation of India (Rs.4064.00 crore). This will entail cash outgo. (ii) Import of Edible Oils Subsidy to be paid to Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC), The State Trading Corporation of India Limited (STC), PEC Ltd. and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED). This will entail cash outgo of Rs. 1000 crore of which an amount of Rs.93 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. (iii) For meeting expenses on establishing Group of Experts for development of Sugar Industry (Rs. 0.13 crore). This will entail cash outgo. (iv) For payment of Rs.34.98 crore as interest subvention to Nodal agencies/Banks (lenders) under the "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007". The expenditure of Rs. 20.40 crore will be matched by recoveries from the Sugar Development Fund. This will entail net cash outgo of Rs.14.58 crore. (v) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 5.74 crore). This will entail cash outgo.
(घ) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित केन्द्रीय सर्तकता समिति संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 0.72 करोड़ रुपए के अग्रिम की पूर्ति निधि से पूरक अनुदान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् की जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा।	(e) For meeting expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India. An advance of Rs. 0.72 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	158.00	45.00	203.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	14.48	30.00	44.48
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	172.48	75.00	247.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat - Economic Services	Voted: ...	3.01 (का)	3.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted: ...	11.47 (खb)	11.47
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted: ...	14.48	14.48
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5475-Capital Outlay on other General Economic Services	Voted: 30.00 (गc)	...	30.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted: 30.00	...	30.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 30.00	14.48	44.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु मांगा गया है :-

The supplementary grant is required for :

(क) और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (14.48 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) & (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs.14.48 crore). This will entail cash outgo.

(ग) (i) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान हेतु आइएमटी मानेसर में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम से खरीदी गई 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण (2 करोड़ रुपए) तथा निर्माण कार्य (12 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

(c) (i) meeting additional expenditure on acquisition of 10 acres of land purchased from Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) at IMT, Manesar for Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) (Rs.2 crore) and construction work (Rs.12 crore).

(ii) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के परिसर के लिए भूमि (23½ एकड़) के अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (16 करोड़ रुपए)।

(ii) meeting additional expenditure on acquisition of the land (23½ acres) for the IICA campus (Rs.16 crore).

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.18

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	978.68	46.32	1025.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	98.89	...	98.89
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1077.57	46.32	1123.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	2251-Secretariat- Social Services		
	स्वीकृत	Voted:	...	2.55 (का)
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture		
	स्वीकृत	Voted:	2.32 (खब)	94.02 (गक)
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	2.32 96.57 98.89

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (2.55 करोड़ रुपए)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:
(a) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 2.55 crore).

This will entail cash outgo.

- (ख) (i) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में दिल्ली के 46 संरक्षित स्मारकों में जन सुविधाओं के संरक्षण, जीर्णोद्धार और सुधार पर किया जाने वाला व्यय (1.00 करोड़ रुपए)।

- (b) (i) Expenditure to be incurred by Archaeological Survey of India on conservation, restoration and up-gradation of public amenities at 46 protected monuments of Delhi, in connection with the Commonwealth Games, 2010 (Rs.1.00 crore).

- (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.32 करोड़ रुपए)।

- (ii) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 1.32 crore).

- (iii) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।

- (iii) Grants-in-aid to meet additional expenditure for modernization and strengthening of the security system in Indian Museum, Kolkata (Rs. 5.00 crore).

यूँकि अनुदान के उसी भाग में 5.00 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 2.32 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

As savings of Rs. 5.00 crore is available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs. 2.32 crore.

- (ग) (i) डांडी में डांडी स्मारक के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए)।

- (c) (i) Grants-in-aid to meet the additional expenditure for construction of Dandi Memorial at Dandi (Rs. 4.00 crore).

- (ii) गुरु-ता-गड्डी, नांदेड की त्रिशताब्दी के स्मरणोत्सव के रूप में आनंदपुर साहिब और तालवंडी साबो के विकास हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (50.00 करोड़ रुपए)।

- (ii) Grants-in-aid to meet the additional expenditure for development of Anandpur Sahib and Talwandi Sabo, as part of commemoration of Ter-Centenary of Guru-Ta-Gaddi, Nanded (Rs. 50.00 crore).

- (iii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (40.02 करोड़ रुपए)।

- (iii) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 40.02 crore).

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	7756.97	1006.68	8763.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	354.39	9.81	364.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8111.60	1016.49	9128.09
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	8111.36	1016.49	9127.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	Voted:	...	20.00 (का)	20.00
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	Voted:	...	41.08 (खb)	41.08
2052-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	200.00 (गc)	200.00
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	79.44 (खb)	79.44
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	13.34 (खb)	13.34
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	0.53 (खb)	0.53
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		...	354.39	354.39
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	9.81 (घd)	9.81
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		...	364.20	364.20
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	...	364.20	364.20

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगें गए हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) निम्नलिखित की पूर्ति हेतु (i) संशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत गठित, नवनिर्मित 'सशस्त्र बल

(a) For meeting (i) the establishment related expenses of the newly set up 'Armed Forces Tribunal', constituted

अधिकरण' की स्थापना संबंधी व्यय (19.50 करोड़ रुपए) और (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, संबंधी अतिरिक्त व्यय (0.50 करोड़ रुपए)।

- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (134.39 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ग) इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनलिसिस (3 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु और सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस (197 करोड़ रुपए) के संबंध में।
- (घ) नव निर्मित 'सशस्त्र बल अधिकरण' और इसकी क्षेत्रीय शाखाओं के ढांचागत विकास हेतु (9.81 करोड़ रुपए)।

इस पूरक में 364.20 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (Rs. 19.50 crore) and (ii) additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government (Rs. 0.50 crore).

- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 134.39 crore).
- (c) For providing additional grants to Institute of Defence Studies and Analyses (Rs.3 crore) and meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.197 crore).
- (d) For infrastructure development for the newly set up 'Armed Forces Tribunal' and its regional branches (Rs.9.81 crore).

This supplementary entails cash outgo of Rs. 364.20 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.24	...	0.24	
स्वीकृत	Voted:	7756.97	1006.68	8763.65	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	354.39	9.81	364.20	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8111.60	1016.49	9128.09	
भारित	Charged:	0.24	...	0.24	
स्वीकृत	Voted:	8111.36	1016.49	9127.85	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice				
स्वीकृत	Voted:	...	20.00 (का)	20.00	
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs				
स्वीकृत	Voted:	...	41.08 (खb)	41.08	
2052-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2052-Secretariat-General Services				
स्वीकृत	Voted:	...	200.00 (गc)	200.00	
2055-पुलिस	2055-Police				
स्वीकृत	Voted:	...	79.44 (खb)	79.44	
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services				
स्वीकृत	Voted:	...	13.34 (खb)	13.34	
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing				
स्वीकृत	Voted:	...	0.53 (खb)	0.53	
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	...	354.39	354.39	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works				
स्वीकृत	Voted:	...	9.81 (घd)	9.81	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	364.20	364.20	
भारित	Charged:	
स्वीकृत	Voted:	...	364.20	364.20	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगें गए हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) निम्नलिखित की पूर्ति हेतु (i) संशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत गठित, नवनिर्मित 'सशस्त्र बल

(a) For meeting (i) the establishment related expenses of the newly set up 'Armed Forces Tribunal', constituted

अधिकरण' की स्थापना संबंधी व्यय (19.50 करोड़ रुपए) और (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, संबंधी अतिरिक्त व्यय (0.50 करोड़ रुपए)।

- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (134.39 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ग) इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनलिसिस (3 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु और सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस (197 करोड़ रुपए) के संबंध में।
- (घ) नव निर्मित 'सशस्त्र बल अधिकरण' और इसकी क्षेत्रीय शाखाओं के ढांचागत विकास हेतु (9.81 करोड़ रुपए)।

इस पूरक में 364.20 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (Rs. 19.50 crore) and (ii) additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government (Rs. 0.50 crore).

- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 134.39 crore).
- (c) For providing additional grants to Institute of Defence Studies and Analyses (Rs.3 crore) and meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.197 crore).
- (d) For infrastructure development for the newly set up 'Armed Forces Tribunal' and its regional branches (Rs.9.81 crore).

This supplementary entails cash outgo of Rs. 364.20 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा पेंशन DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.25	...	0.25
स्वीकृत	Voted:	15563.75	...	15563.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1941.00	...	1941.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17505.00	...	17505.00
भारित	Charged:	0.25	...	0.25
स्वीकृत	Voted:	17504.75	...	17504.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन एवं अन्य	2071-Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति लाभ	Retirement benefits			
स्वीकृत	Voted:	...	1941.00	1941.00

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of pensions on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

DEFENCE SERVICES-ARMY

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	16.48	...	16.48
	स्वीकृत	Voted:	37661.77	...	37661.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	6303.26	...	6303.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	43981.51	...	43981.51
	भारित	Charged:	16.48	...	16.48
	स्वीकृत	Voted:	43965.03	...	43965.03

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं- थलसेना	2076-Defence Services- Army	Voted:	...	6303.26
	स्वीकृत		6303.26	6303.26
<p>टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं है, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जा</p> <p>Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.</p>				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं- थल सेना	2076-Defence Services- Army	...	(-) 44.00	(-) 44.00

टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) for providing Rs. 2 crore each to 22 Sainik Schools for immediate improvement of infrastructure including Classrooms, Laboratories, Libraries and facilities for Physical Education (Rs. 44 crore). The expenditure will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' in the Public Account of India.
- (ii) for meeting additional expenditure towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 6259.26 crore) and also towards providing grants-in-aid to 'Centre for Land Warfare System' (Rs. 5 crore) which will be met through savings available in the grant.

This entails cash outgo of Rs. 6259.26 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवाएं-नौसेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.37	...	1.37
	स्वीकृत	Voted:	7501.68	...	7501.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	688.88	...	688.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8191.93	...	8191.93
	भारित	Charged:	1.37	...	1.37
	स्वीकृत	Voted:	8190.56	...	8190.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2077-रक्षा सेवाएं- नौसेना	2077-Defence Services- Navy			
स्वीकृत	Voted:	...	688.88	688.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

- (i) सामरिक बल कमान के तहत आने वाले नवनिर्मित यूनिटों के लिए 38.97 करोड़ रुपए। चूंकि अनुदान सं. 21-रक्षा सेवाएं-थल सेना के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस (649.91 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (क) 'सेन्टर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज' (5 करोड़ रुपए) और (ख) 'नेशनल-मैरिटाइम फाउंडेशन (5 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। उपर्युक्त (क) और (ख) के प्रावधान की पूर्ति अनुदान में उपलब्ध बचतों के जरिए की जाएगी।

इस पूरक अनुदान में 649.91 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) Rs. 38.97 crore for the newly raised units placed under Strategic Forces Command. As an equal amount will be surrendered from the voted section of the Grant No. 21-Defence Services-Army, a technical supplementary is sought.
- (ii) for meeting additional expenditure towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.649.91 crore) and also for providing additional grants-in-aid to (a) 'Centre for Joint Warfare Studies' (Rs.5 crore) and (b) 'National Maritime Foundation' (Rs.5 crore). The provision for (a) and (b) above will be met through savings available in the grant.

This supplementary entails cash outgo of Rs. 649.91 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवाएं - वायु सेना
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	2.04	...	2.04
	स्वीकृत	Voted:	11286.82	...	11286.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	1120.79	...	1120.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12409.65	...	12409.65	
	भारित	Charged:	2.04	...	2.04
	स्वीकृत	Voted:	12407.61	...	12407.61

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services -Air Force			
स्वीकृत	Voted:	...	1120.79	1120.79

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा के आधार पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (1120.79 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, और साथ ही 'सेन्टर फार एयर पावर स्टडीज' को अतिरिक्त सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए) प्रदान करने के संबंध में भी अपेक्षित है जिसकी पूर्ति अनुदान में उपलब्ध बचतों के जरिए की जाएगी।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.1120.79 crore) and also towards providing additional grants-in-aid to 'Centre for Air Power Studies' (Rs. 5 crore), which will be met through savings available in the grant.

इस पूरक अनुदान में 1120.79 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

This supplementary entails cash outgo of Rs. 1120.79 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा आयुध कारखाने DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	1.00	...	1.00	
स्वीकृत	Voted:	1108.99	...	1108.99	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	100.00	...	100.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1209.99	...	1209.99	
भारित	Charged:	1.00	...	1.00	
स्वीकृत	Voted:	1208.99	...	1208.99	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079-रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	2079- Defence Services- Ordnance Factories			
स्वीकृत	Voted:	...	100.00	100.00

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है (100 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought towards meeting additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.100 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES-RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.64	...	0.64
	स्वीकृत	Voted:	3412.95	...	3412.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	259.65	...	259.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3673.24	...	3673.24
	भारित	Charged:	0.64	...	0.64
	स्वीकृत	Voted:	3672.60	...	3672.60

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास	2080-Defence Services- Research & Development				
	स्वीकृत	Voted:	...	259.65	259.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

- सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (254.14 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (क) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (4.59 करोड़ रुपए) और (ख) 'सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड रिसर्च सोसाइटी' (0.92 करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर 'वेतन' और 'पेंशन' संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- for meeting additional expenditure towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 254.14 crore).
- for providing additional grants-in-aid to (a) 'Aeronautical Development Agency' (Rs. 4.59 crore) and (b) 'Silicon Technology & Applied Research Society' (Rs. 0.92 crore) towards meeting additional expenditure on salaries and pensions on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	1327.50	143.50	1471.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	1.90	...	1.90
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	1329.40	143.50	1472.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat - General Services	Voted: ...	0.62 (का)	0.62
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted: ...	1.28 (खb)	1.28
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: ...	1.90	1.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) and (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.28

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	548.02	424.88	972.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	49.76	0.01	49.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		597.88	424.89	1022.77
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	597.78	424.89	1022.67

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	1.79 (का)
3403-समुद्र वैज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत	3403-Oceanographic Research	Voted:	3.77 (खb)	...
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	2.64 (गc)	0.57 (घd)
3455-मौसम विज्ञान	स्वीकृत	3455-Meteorology	Voted:	2.75 (ङe)	38.24 (चf)
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	9.16	40.60
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5403-समुद्र वैज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत	5403-Capital Outlay on Oceanographic Research	Voted:	0.01 (छg)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	9.17	40.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर इंडियन नेशनल सेंटर और ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद (0.47 करोड़ रुपए); नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई (2.41 और ओशन रिसर्च, गोवा (0.40 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु; (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.49 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा (iii) एकीकृत समुद्रतटीय और समुद्रतटीय महासागर अनुवीक्षण एवं पूर्वानुमान प्रणाली (1 करोड़ रुपए); समुद्रतटीय निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली (1 करोड़ रुपए) और ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रम (6 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

The supplementary grant is sought for:

(a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(b) (i) meeting additional expenditure on grants-in-aid to Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad (Rs. 0.47 crore); National Institute of Ocean Technology, Chennai (Rs. 2.41 crore); and National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa (Rs. 0.40 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government; (ii) meeting additional expenditure on salaries (Rs. 0.49 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government; and (iii) providing grants-in-aid for implementation of Integrated Coastal and Marine Area

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 8 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं अतः 3.77 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटीरियोलॉजी, पुणे (2.43 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.21 करोड़ रुपए) तथा (iii) एरोसेल इंटरएक्शन प्रीसिपिटेशन एनहैंसमेंट एक्सपेरिमेंट (सीएआईपीईईएक्स) के तहत कलाउड सीडिम एक्सपेरिमेंट जिसमें वायुयान कारिए पर लेना, उपस्करों का अधिग्रहण और उच्च निष्पादन कार्य कम्प्यूटर का पृष्ठभूमि कार्य शामिल होगा (7 करोड़ रुपए) के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में 7 करोड़ रुपए पलब्ध हैं, अतः 2.64 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय (2.75 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (ii) भूकम्पनीयता और बूकम्प पूर्वगामी कार्यक्रम में कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 4 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 2.75 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (च) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (छ) एकीकृत समुद्रतटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (0.60 करोड़ रुपए) के तहत आंकड़ों के संग्रहण हेतु उपस्करों की खरीद हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Management Programme (Rs. 1 crore); Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (Rs. 1 crore); and Polar Science activities (Rs. 6 crore).

As savings of Rs. 8 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 3.77 crore.

- (c) (i) meeting additional expenditure on grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs. 2.43 crore); (ii) salaries (Rs. 0.21 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government; and (iii) for providing grants-in-aid for cloud seeding experiments under Cloud Aerosol Interaction Precipitation Enhancement Experiment (CAIPEEX) involving hiring of Aircraft, acquisition of instruments and back ground work for the High Performance Computer (Rs. 7 crore).

As savings of Rs. 7 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 2.64 crore.

- (d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (e) (i) meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 2.75 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government; and (ii) providing grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity and Earthquake Precursors Programmes (Rs. 4 crore).

As savings of Rs. 4 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 2.75 crore.

- (f) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.
- (g) purchase of equipment to collect data under Integrated Coastal and Marine Area Management Programme (Rs. 0.60 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.29

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1676.67	30.33	1707.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	27.03	0.70	27.73	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1703.70	31.03	1734.73	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat- Economic Services	Voted:	...	4.24	4.24
2406-वानिकी एवं वन्यजीव	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	3.15	5.02	8.17
3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	Voted:	4.77	9.85	14.62
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	7.92	19.11	27.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संबंधी अनुसंधान	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	...	0.70	0.70
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	7.92	19.81	27.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है: सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	4216.04	845.93	5061.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	778.11	...	778.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4994.18	845.93	5840.11
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	4994.15	845.93	5840.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	16.42 (का)	16.42
2601-विदेश मामले	स्वीकृत	2061-External Affairs	Voted:	...	761.69 (खब)	761.69
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	778.11	778.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है :

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) (i) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) विकास निधि (एसडीएफ) के सोशल विंडो के लिए भारत के निर्धारित एवं स्वैच्छिक अंशदान संबंधी व्यय (598.20 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ii) दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के क्षेत्रीय मंच के कार्यकलापों के लिए (0.80 करोड़ रुपए) इसकी पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी।

(iii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) (0.25 करोड़ रुपए) इंडिया काउंसिल ऑफ कल्चरल, रिलेशन्स (आईसीसीआर) (1.75 करोड़ रुपए) और रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज (आरआईएस) (0.40 करोड़ रुपए) को वेतन, वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस और (161.09 करोड़ रुपए) वेतन एवं पेंशन संबंधी सहायता अनुदान आदि के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.

(b) (i) For meeting the expenses of India's assessed and voluntary contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Development Fund (SDF) (Rs. 598.20 crore).

(ii) Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Region Forum activities (Rs. 0.80 crore) which shall be met from savings within the same Section of the Grant.

(iii) For meeting additional expenditure on account of salaries, enhanced bonus ceiling (Rs. 161.09 crore) and on account of Grants-in-aid etc. to Indian Council of World Affairs (ICWA) (Rs.0.25 crore), Indian Council of Cultural Relations (ICCR) (Rs. 1.75 crore) and Research and Information System for Developing Countries (RIS) (Rs. 0.40 crore) towards salaries and pension on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.

मांग संख्या DEMAND NO.31

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	4124.84	599.12	4723.96	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	204.43	1000.60	1205.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	4329.27	1599.72	5928.99	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	Voted: ...	1.98 (का)	1.98	
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted: ...	7.75 (खb)	7.75	
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted: ...	0.96 (गc)	0.96	
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	Voted: ...	189.34 (घd)	189.34	
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted: ...	4.40 (ङe)	4.40	
जोड़ - राजस्व भाग	Total - Revenue Section	Voted: ...	204.43	204.43	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465-सामान्य वित्तीय व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	1000.00 (चf)	1000.00	
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on other General Economic Services	Voted: ...	0.60 (छg)	0.60	
जोड़ - पूंजी भाग	Total - Capital Section	Voted: ...	1000.60	1000.60	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: ...	1205.03	1205.03	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services		(-) 189.34	(-) 189.34	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	(-) 1000.00	(-) 1000.00	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के

The supplementary grant is sought for the following purposes:
(a) meeting additional expenditure on account of salaries on

- कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (घ) रेल मंत्रालय को भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवाएं (आरआईटीईएस) को प्रति प्रत्याभूति राशि के निपटारे (166.62 करोड़ रुपए) तथा इरकॉन इन्टरनेशनल निमिटेड (22.72 करोड़ रुपए) को इराक में परियोजनाओं के निष्पादन हेतु आस्थगित भुगतान आधार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु। इसे 'गारंटी मोचन निधि' से समतुल्य वसूली से पूरा किया जाएगा।
- (ङ) (i) प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में 14 विकासशील सदस्य राष्ट्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से सम्बन्धित एशियाई विकास बैंक के तकनीकी कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए एशियाई विकास बैंक (4.30 करोड़ रुपए) में इण्डिया ट्रस्ट फण्ड के सृजन हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस भुगतान के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.10 करोड़ रुपए)। इसमें नगद व्यय होगा।
- (च) नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) निकाय को अंशदान (995.10 करोड़ रुपए) तथा एनएसडीसी को भारत सरकार के अंशदान की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित 4.90 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की क्षतिपूर्ति हेतु। इसे सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से समतुल्य वसूली द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (छ) अवसंरचना संबंधित सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए इन्टरनेट आधारित डाटाबेस के अभिकल्प एवं विकास के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (d) providing assistance to Ministry of Railways for settlement of the amount counter guaranteed to Rail India Technical and Economic Services (RITES) (Rs.166.62 crore) and to IRCON International Ltd.(Rs.22.72 crore) for execution of projects in Iraq on deferred payment basis. This will be matched by an equivalent recovery from the 'Guarantee Redemption Fund'.
- (e) (i) creation of an India Trust Fund in the Asian Development Bank (Rs 4.30 crore) for supporting technical programmes of Asian Development Bank relating to Information and Communication Technology (ICT) and renewable energy projects in the 14 Developing Members Countries (DMCs) in the pacific region. This will entail cash outgo.
- (ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.10 crore). This will entail cash outgo.
- (f) contribution to the corpus of the National Skill Development Corporation (NSDC) (Rs.995.10 crore) and for recoupment of an advance of Rs.4.90 crore drawn from the Contingency Fund of India to meet Government of India's share of contribution to NSDC. This will be matched by an equivalent recovery from the Social and Infrastructure Development Fund.
- (g) providing assistance in connection with design and development of Internet based database for infrastructure related Public Private Partnership (PPP) projects. As equivalent savings are available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.32

वित्तीय संस्थाओं को भुगतान
PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	7263.64	2809.23	10072.87	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	40668.40	4996.23	45664.63	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	47932.04	7805.46	55737.50	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	40500.00 (का)	40500.00
2416-कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416-Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	168.40 (खb)	168.40
जोड़ - राजस्व भाग	Total - Revenue Section	Voted:	...	40668.40	40668.40
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
5466-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	Voted:	...	3996.22 (घd)	3996.22
7465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	7465-Loans for General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	1000.00 (ङe)	1000.00
जोड़ - पूंजी भाग	Total - Capital Section	Voted:	...	4996.23	4996.23
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	45664.63	45664.63

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-Social Security and Welfare		(-) 25500.00	(-) 25500.00	
2416-कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416-Agricultural Financial Institutions		(-) 168.40	(-) 168.40	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	7465-Loans for General Financial and Trading Institutions		(-) 1000.00	(-) 1000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) किसानों को ऋण एवं ऋण राहत के लिए किसान ऋण राहत निधि में 15000 करोड़ रुपए जमा करवाने तथा संस्थाओं को उधार जारी करने के लिए भारतीय लोक लेखा में किसान

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) (i) crediting Rs.15000 crore in Farmer's Debt Relief Fund and drawal of Rs.25000 crore from the Farmer's Debt Relief Fund in the Public Account of India for

ऋण राहत निधि से 25000 करोड़ रुपए के आहरण हेतु। चूंकि 25000 करोड़ रुपए की राशि भारतीय लोक लेखा में किसान ऋण राहत निधि से पूरे किए जाएंगे, अतः निवल नगद व्यय 15000 करोड़ रुपए का होगा।

- (ii) एलआईसी द्वारा धारित सामाजिक सुरक्षा निधि में सभी महिला स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के तहत प्रीमियम का 50% हिस्सा प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए जमा करवाने हेतु। व्यय भारतीय लोक लेखा में धारित 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से पूरा किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) (168.40 करोड़ रुपए) को 'डगवेल्ल्स के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण' योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भुगतान हेतु। व्यय भारतीय लोक लेखा में 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से पूरा किया जाएगा।
- (ग) (i) 160 करोड़ रुपए की राशि को 'नवाचार अविरत ऋण प्रपत्र' (स्तर-1 के तहत) में, 200 करोड़ रुपए की राशि को अविरत असंचयी अधिमान शेयर (स्तर-1 पूंजी के तहत) में तथा 200 करोड़ रुपए की राशि को अविरत संचयी अधिमान शेयर (स्तर-II पूंजी) में रूपान्तरण कर पंजाब एवं सिंध बैंक की इक्विटी पूंजी (560 करोड़ रुपए) की पुनर्संरचना हेतु।
- (ii) सरकार द्वारा धारित इक्विटी पूंजी के बराबर राशि को अविरत असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) में परिवर्तन पर यूको बैंक (250 करोड़ रुपए) की इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना हेतु।
- चूंकि दोनों मामलों में इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना है तथा इसमें कोई नगद व्यय नहीं है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) (i) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को भारत के अंशदान के संबंध में अतिरिक्त व्यय (3.75 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को भारतीय रुपए के अपने नियंत्रण के अनुक्षण मूल्य (1077.49 करोड़ रुपए) के लिए भुगतान। चूंकि इसे रुपया प्रतिभूतियाँ जारी कर समतुल्य किया जाएगा, अतः तकनीकी पूरक की मांग की गई है।
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को आईएमएफ में भारतीय कोटा बढ़ोतरी के लिए पूंजी भुगतान के संबंध में 2912.67 करोड़ रुपए के भुगतान हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2.31 करोड़ रुपए को पात्र सदस्य देशों में आपात काल प्राकृतिक विपदा सहायता (ईएनडीए) तथा पोवर्टी रिडक्शन एण्ड ग्रोथ फेसिलिटी (पीआरजीएफ) को भारतीय अंशदान के संबंध में भुगतान हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम भुगतान के अपने हिस्से के संबंध में अपने दायित्व की पूर्ति के लिए एलआईसी के साथ धारित आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम निधि को बढ़ाने हेतु। व्यय को भारतीय लोक लेखा में 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से पूरा किया जाएगा।

release to lending institutions against debt waiver and debt relief to farmers. As an amount of Rs.25000 crore will be met from Farmer's Debt Relief Fund in the Public Account of India, the net cash out go will be Rs.15000 crore.

- (ii) crediting Rs.500 crore to the Social Security Fund maintained by LIC for providing 50% share of premium under Janshree Bima Yojana (JBY) for all Women Self Help Groups (SHGs). The expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' in the Public Account of India.
- (b) payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs.168.40 crore) towards implementation of 'Artificial Recharge of Ground Water through Dugwells' Scheme. The expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' in the Public Account of India.
- (c) (i) restructuring the equity capital of Punjab & Sind Bank (Rs.560 crore) by conversion of an amount of Rs.160 crore into 'Innovative Perpetual Debt Instrument' (under Tier-I); Rs.200 crore into Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (under Tier-I Capital); and Rs.200 crore into Perpetual Cumulative Preference Shares (under Tier-II Capital).
- (ii) restructuring the equity capital of UCO Bank (Rs.250 crore) by converting an equal sum of the equity capital held by the Government into Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS).

As restructuring of equity capital is involved in both cases and there is no cash out go, a token supplementary is sought.

- (d) (i) To meet additional expenditure (Rs.3.75 crore) towards India's contribution to International Development Association (IDA). This will entail cash out go.
- (ii) payment to International Monetary Fund (IMF) for the Maintenance of Value (MOV) (Rs. 1077.49 crore) of its holding of Indian Rupees. As this will be matched by issue of Rupee Securities, a technical supplementary is sought.
- (iii) payment of Rs.2912.67 crore to IMF towards capital payments for India's quota increase at the IMF. This will entail cash outgo.
- (iv) payment to IMF (Rs.2.31 crore) towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) to Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) eligible member countries. This will entail cash outgo.
- (e) augmenting the Aam Aadmi Bima Yojana Premium Fund maintained with LIC for meeting the liability of the Central Government towards its share of premium payment. The expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' in the Public Account of India.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	59.98	0.02	60.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	9.00	...	9.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	68.98	0.02	69.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	स्वीकृत	2047-Other Fiscal Services	Voted:	...	0.65 (का)	0.65
2052-सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	2052-Secretariat- General Services	Voted:	...	1.52 (खब)	1.52
2070-अन्य प्राशासनिक सेवाएँ	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	...	6.83 (गक)	6.83
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	9.00	9.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य एवम् संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	34392.42	4867.50	39259.92
	स्वीकृत	Voted:	52083.34	...	52083.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	2000.00	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	3240.66	...	3240.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		89716.42	6867.50	96583.92
	भारित	Charged:	34392.42	6867.50	41259.92
	स्वीकृत	Voted:	55324.00	...	55324.00

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-Aid to State Governments	Voted:	2596.87 (का)	...	2596.87
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	643.79 (खब)	643.79
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	2596.87	643.79	3240.66
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	2000.00 (गं)	...	2000.00
		Voted:
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4596.87	643.79	5240.66
	भारित	Charged:	2000.00	...	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	2596.87	643.79	3240.66

टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-Aid to State Governments		(-) 300.00	...	(-) 300.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:-

(क) (i) राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पूणे हेतु (60.00 करोड़ रुपए);

(a) (i) For Commonwealth Youth Games, Pune (Rs.60.00 crore);

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान संगठक हेतु (1600.00 करोड़ रुपए);</p> <p>(iii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु (1636.87 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iv) अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु (1093 करोड़ रुपए)।</p> <p>(v) चेन्नई के निकट विलवणीकरण संयंत्र संख्यापित करने हेतु 300 करोड़ रुपए के व्यय के लिए। इसकी प्रतिपूर्ति भारत के लोक लेखे में धारित 'सामाजिक एवं अवरसंचना विकास निधि' से प्राप्त वसूलियों से की जाएगी।</p> <p>अनुदान के उसी भाग में 300 करोड़ रुपए की समतुल्य वसूलियों और 2093 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए 2296.87 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता ऋणों (239.22 करोड़ रुपए) तथा गोवा राज्य सरकार (401.88 करोड़ रुपए) तथा केरल सरकार (2.69 करोड़ रुपए) के ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु है। इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ग) यह पूरक विनियोग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।</p> | <p>(ii) For Grant Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Project (EAPs) (Rs.1600.00 crore);</p> <p>(iii) For Additional Central Assistance (Rs.1636.87 crore).</p> <p>(iv) For Additional Central Assistance for Other Projects (Rs.1093 crore).</p> <p>(v) For meeting the expenditure of Rs.300 crore to install desalination plant near Chennai. This will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India.</p> <p>Taking into account the matching recoveries of Rs.300 crore and savings of Rs.2093 crore in the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.2296.87 crore.</p> <p>(b) The Supplementary Grant is required for write off of loans (Rs.239.22 crore) and interest to the State Governments of Goa (Rs.401.88 crore) and Kerala (Rs.2.69 crore). These will be matched by receipts, and hence will not entail any cash outgo.</p> <p>(c) The supplementary appropriation is required for Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs). This will entail cash outgo.</p> |
|--|--|

संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	...	1745574.44	1745574.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	...	8622.63	8622.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
भारित	Charged:	...	1754197.07	1754197.07

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का	6001-Internal Debt of			
आन्तरिक ऋण	Central Government			
भारित	Charged:	...	8622.63	8622.63

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कोटे में वर्धित अभिदान पर व्यय के सम्बन्ध में भुगतान हेतु है।

इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा, चूंकि व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

The Supplementary Appropriation is required to make payment towards expenditure on increased subscription of Government of India's quota in International Monetary Fund (IMF).

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO. 38

व्यय विभाग
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)।

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	41.86	6.00	47.86	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	7.18	...	7.18	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	49.04	6.00	55.04	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय -	2052-Secretariat -				
समान्य सेवाएं	General Services	Voted:	...	6.34 (का)	6.34
2070-अन्य प्रशासनिक	2070-Other Administrative				
सेवाएं	Services	Voted:	...	0.84 (खb)	0.84
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	7.18	7.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख)(i) लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के आधुनिकीकरण हेतु संस्थागत विकास निधि (आईडीएफ) अनुदान के तहत वचनबद्ध व्यय (0.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा, अतः इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय (0.34 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

(b) (i) meeting committed expenditure (Rs. 0.50 crore) under Institutional Development Fund (IDF) grant for modernisation of the Office of Controller General of Accounts. As this is matched by receipts, this will not entail net cash outgo.

(ii) meeting additional expenditure (Rs.0.34 crore) on account of Salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 39

पेंशन

PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT			
	भारित Charged:	35.38	...	35.38
	स्वीकृत Voted:	7930.76	...	7930.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत Voted:	2050.00	...	2050.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10016.14	...	10016.14
	भारित Charged:	35.38	...	35.38
	स्वीकृत Voted:	9980.76	...	9980.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य		2071- Pensions and Other				
सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत	Retirement Benefits	Voted:	...	2050.00	2050.00
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	2050.00	2050.00

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए माँगा गया है:

- (i) अधिवर्षिता (852.53 करोड़ रुपए)
 - (ii) पारिवारिक पेंशन (184.45 करोड़ रुपए)
 - (iii) पेंशन का परिणत मूल्य (251.26 करोड़ रुपए)
 - (iv) छुट्टी का नकदीकरण (236.73 करोड़ रुपए)
 - (v) उपदान (320.97 करोड़ रुपए); तथा
 - (vi) नई पेंशन योजना (204.06 करोड़ रुपए)
- इसमें का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of Pensions and other Retirement Benefits mentioned below on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- (i) Superannuation (Rs. 852.53 crore);
- (ii) Family Pension (Rs. 184.45 crore);
- (iii) Commuted Value of Pension-(Rs.251.26 crore);
- (iv) Leave Encashment- (Rs.236.73 crore);
- (v) Gratuity (Rs.320.97 crore); and
- (vi) New Pension Scheme (Rs. 204.06 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	36.85	...	36.85
स्वीकृत	Voted:	1243.70	2.95	1246.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	6.58	...	6.58
स्वीकृत	Voted:	344.97	...	344.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1632.10	2.95	1635.05
भारित	Charged:	43.43	...	43.43
स्वीकृत	Voted:	1588.67	2.95	1591.62

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	Charged: ...	6.58	6.58
भारित	Voted:	...	344.97	344.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	351.55	351.55
भारित	Charged:	...	6.58	6.58
स्वीकृत	Voted:	...	344.97	344.97

यह पूरक अनुदान/विनियोग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendation of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	6196.98	0.82	6197.80
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:	Voted:	40.49	...	40.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6237.49	0.82	6238.31
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	6237.47	0.82	6238.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2047-Other Fiscal				
	Services	Voted:	...	9.92 (का)	9.92
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2052-Secretariat-General				
	Services	Voted:	...	16.27 (खb)	16.27
2070-अन्य-प्रशासनिक सेवाएँ	2070-Other Administrative				
	Services	Voted:	...	7.17 (गc)	7.17
2875-अन्य उद्योग	2875-Other Industries	Voted:	...	7.13 (घd)	7.13
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	40.49	40.49

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय (9.92 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ii) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए। चूंकि इसे अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (a) (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.9.92 crore). This will entail cash outgo.
- (ii) providing additional Grants-in-aid (Rs.1.35 crore) to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP). As this will be met from the savings available in the same section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 42

प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.02	...	0.02	
स्वीकृत	Voted:	1771.98	203.00	1974.98	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	303.55	...	303.55	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2075.55	203.00	2278.55	
भारित	Charged:	0.02	...	0.02	
स्वीकृत	Voted:	2075.53	203.00	2278.53	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2020-आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure				
स्वीकृत	Voted:	...	303.55	303.55	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	...	303.55	303.55	

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.43

अप्रत्यक्ष कर
INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिए)।

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.20	...	1.20
	स्वीकृत	Voted:	1804.60	315.20	2119.80
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:	Voted:	373.29	...	373.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2179.09	315.20	2494.29
	भारित	Charged:	1.20	...	1.20
	स्वीकृत	Voted:	2177.89	315.20	2493.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037-सीमा शुल्क	स्वीकृत 2037-Customs	Voted:	...	117.27 (क)	117.27
2038-संघ उत्पाद शुल्क	स्वीकृत 2038-Union Excise Duties	Voted:	...	256.02 (ख)	256.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	373.29	373.29

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सीमा शुल्क कार्यालयों के वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) meeting additional expenditure on account of salaries of Customs Offices on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) meeting additional expenditure on account of salaries of Central Excise Offices on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.44

विनिवेश विभाग
DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	21.00	2330.00	2351.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.57	0.01	0.58	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	21.57	2330.01	2351.58	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic				
स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.57 (का)	0.57
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	...	0.57	0.57
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5467-राष्ट्रीय निवेश निधि के निवेश पर पूंजी परिव्यय	5467-Capital Outlay on Investment of National				
स्वीकृत	Investment Fund	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.58	0.58

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.57 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि में तीन चयनित फंड प्रबंधकों यथा (i) एल.आई.सी. म्यूचुअल फंड परिसम्पत्ति प्रबंध कंपनी लि.; (ii) भारतीय स्टेट बैंक फंड प्रबंधन प्रा.लि., और (iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी प्रा.लि. में 1165.00 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति, समान अनुपात में पुनः आवंटित करने हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.57 crore).

This will entail cash outgo.

(b) A token supplementary is sought to re-allocate in equal proportion, the estimated receipt of Rs.1165.00 crore in the National Investment Fund to the three selected Fund Managers i.e. (i) LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited; (ii) State Bank of India (SBI) Funds Management Pvt. Limited; and (iii) Unit Trust of India (UTI) Asset Management Company Pvt. Limited.

मांग संख्या DEMAND NO.45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	254.60	44.40	299.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	2.10	...	2.10	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	256.70	44.40	301.10	
स्वीकृत	Voted:	256.70	44.40	301.10	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य प्रसंस्करण एवं भण्डारण	2408-Food Processing and Warehousing	Voted:	...	0.84	0.84
3451-सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat and Economic Services	Voted:	0.10	1.16	1.26
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.10	2.00	2.10

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण तिरिक्त बोनस के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Governemnt and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling. This entails cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	17955.03	931.68	18886.71	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	378.30	0.01	378.31	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	18333.33	931.69	19265.02	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	Voted:	37.89 (का)	317.12 (खb)	355.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	Voted:	5.95 (गc)	9.32 (घd)	15.27
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	Voted:	...	6.60 (ङe)	6.60
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	1.42 (चf)	...	1.42
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	45.26	333.04	378.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	45.27	333.04	378.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- क. (1) इण्डियन फार्माकोपिया कमीशन (आईपीसी) को संस्थापन प्रभारों तथा पूर्व के सेंट्रल इण्डियन फार्माकोपीया लेबरेट्री जिसे आईपीसी में विलय कर दिया गया है, से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.81 करोड़ रुपए)।
- (2) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (33.81 करोड़ रुपए)।
- (3) निम्नलिखित संस्थानों को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
- (i) लाला राम स्वरूप टीबी एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (0.09 करोड़ रुपए)
- (ii) कस्तूरबा स्वास्थ्य समाज, वर्धा (0.50 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- a. (1) Grants-in-aid to Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) for meeting establishment charges and other contingent expenditure relating to erstwhile Central Indian Pharmacopoeia Laboratory which has been merged with IPC (Rs. 0.81 crore).
- (2) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.33.81 crore):
- (3) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:-
- (i) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (Rs.0.09 crore).
- (ii) Kasturba Health Society, Wardha (0.50 crore).

- (iii) पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (1.28 करोड़ रुपए)।
- (iv) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (1.37 करोड़ रुपए)।
- (v) लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलीई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर (0.07 करोड़ रुपए)।
- (vi) क्षेत्रीय पैरा मेडीकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान आइजवाल (0.12 करोड़ रुपए)।
- (vii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (0.31 करोड़ रुपए)।
- (viii) राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान, नोएडा (0.34 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 0.81 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 37.89 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

- (ख) (1) (i) स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ को वेतन एवं अन्य स्थापना सम्बन्धी व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (31.00 करोड़ रुपए)
- (ii) गांधी मेमोरियल कुष्ठ संस्थान को “राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम” योजना के तहत अन्तरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (0.36 करोड़ रुपए)।
- (iii) इण्डियन फार्माकोपिया कमीशन (आईपीसी) को संस्थापन प्रभारों तथा पूर्व के सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपिया लेबरेट्री जिसे आईपीसी में विलय कर दिया गया है से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.54 करोड़ रुपए)।
- (2) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (187.54 करोड़ रुपए)।
- (3) निम्नलिखित संस्थाओं को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान:-
 - (i) ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (65.42 करोड़ रुपए)।
 - (ii) स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ (44.04 करोड़ रुपए)।
 - (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएनएस), बेंगलूर (9.86 करोड़ रुपए)।
 - (iv) लाला राम स्वरूप क्षय एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (3.47 करोड़ रुपए)।
 - (v) वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली यूनिवर्सिटी (3.16 करोड़ रुपए)।
 - (vi) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता (1.93 करोड़ रुपए)।
 - (vii) अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (1.08 करोड़ रुपए)।
 - (viii) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.06 करोड़ रुपए)।
 - (ix) नई दिल्ली क्षय केन्द्र (0.36 करोड़ रुपए)।
 - (x) भारतीय चिकित्सा परिषद (0.20 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 33.90 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है, इसलिए इसमें 317.12 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (iii) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (Rs. 1.28 crore).
- (iv) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs. 1.37 crore)
- (v) Lokpriya Gopinath Bardolai Regional Institute of Mental Health. Tezpur (Rs. 0.07 crore)
- (vi) Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (Rs. 0.12 crore)
- (vii) Pasteur Institute of India, Coonoor (Rs. 0.31 crore).
- (viii) National Institute of Biologicals, NOIDA (Rs. 0.34 crore)

As saving of Rs.0.81 crore is available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs.37.89 crore.

- b. (1) (i) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh for meeting additional requirement on salaries and other establishment expenditure (Rs. 31.00 crore)
- (ii) To provide additional funds to Gandhi Memorial Leprosy Foundation under the scheme “National Leprosy Control Programme” for International Gandhi Award (Rs. 0.36 crore).
- (iii) Grants-in-aid to Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) for meeting establishment charges and other contingent expenditure relating to erstwhile Central Indian Pharmacopoeia Laboratory which has been merged with IPC (Rs. 2.54 crore).
- (2)- For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.187.54 crore).
- (3)- Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:-
 - (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 65.42 crore).
 - (ii) Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh (Rs. 44.04 crore).
 - (iii) National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangalore (Rs. 9.86 crore).
 - (iv) Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi (Rs. 3.47 crore).
 - (v) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University (Rs. 3.16 crore).
 - (vi) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 1.93 crore).
 - (vii) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (Rs. 1.08 crore).
 - (viii) National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.06 crore).
 - (ix) New Delhi T.B. Centre (0.36 crore)
 - (x) Medical Council of India (Rs.0.20 crore).

As saving of Rs.33.90 crore is available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs.317.12 crore.

- ग. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.95 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- घ. (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.28 करोड़ रुपए)।
(2) निम्नलिखित संस्थानों को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:-
- (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (3.40 करोड़ रुपए)।
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुम्बई (1.64 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- ङ. सरकार द्वारा यथास्वीकृत केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6.60 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- च. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.42 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- छ. केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची को नागराजा समिति की सिफारिशों पर आधारित आवासीय क्वार्टरों के निर्माण तथा निरीक्षण समिति की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करने हेतु (8.15 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- c. For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.5.95.crore). This will entail cash outgo.
- d. (1)-For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.4.28 crore).
(2)- Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :-
(i) National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (Rs. 3.40 crore).
(ii) International Institute of Population Sciences, Mumbai (Rs. 1.64 crore). This will entail cash outgo.
- e. For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.6.60 crore). This will entail cash outgo.
- f. For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs. 1.42 crore). This will entail cash outgo.
- g. To provide additional funds to Central Institute of Psychiatry, Ranchi for construction of residential quarters based on the recommendations of Nagraja Committee and requirement of Oversight Committee (Rs.8.15 crore). As saving is available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.47

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं
होम्योपैथी (आयुष) विभागDEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	621.00	2.00	623.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	35.60	...	35.60
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	656.60	2.00	658.60

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय-सामाजिक		2251- Secretariat-Social				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	0.86 (का)	0.06 (खb)	0.92
2210-चिकित्सा एवं		2210-Medical and Public				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	9.55 (गc)	25.13 (घd)	34.68
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	10.41	25.19	35.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.86 करोड़ रुपए)।

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.86 crore).

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.06 करोड़ रुपए)।

(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.06 crore).

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

(ग) (1) निम्नलिखित संस्थानों को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान।

(c) (1) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government:

(i) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद् (2.43 करोड़ रुपए)

(i) Central Council for Research in Ayurveda & Siddha (Rs. 2.43 crore)

(ii) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद् (1.54 करोड़ रुपए)

(ii) Central Council for Research in Unani Medicine (Rs. 1.54 crore)

- (iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (1.72 करोड़ रुपए)
- (iv) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडू (0.63 करोड़ रुपए)
- (v) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (1.74 करोड़ रुपए)
- (vi) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे (0.12 करोड़ रुपए)
- (vii) राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बँगलोर (0.76 करोड़ रुपए)

- (2) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.61 करोड़ रुपए)

इसमें नकद व्यय होगा।

- (घ) (1) निम्नलिखित संस्थानों को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदानः
 - (i) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (10.20 करोड़ रुपए)
 - (ii) केन्द्रीय यूनानी औषधीय अनुसंधान परिषद (4.02 करोड़ रुपए)
 - (iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (1.65 करोड़ रुपए)
 - (iv) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (0.29 करोड़ रुपए)
 - (v) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (0.50 करोड़ रुपए)
 - (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, (0.67 करोड़ रुपए)
 - (vii) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (4.36 करोड़ रुपए)
 - (viii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (2.47 करोड़ रुपए)
 - (ix) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (0.05 करोड़ रुपए)
- (2) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.92 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (iii) Central Council for Research in Homoeopathy (Rs.1.72 crore)
- (iv) National Institute of Siddha, Tamil Nadu (Rs.0.63 crore)
- (v) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (Rs.1.74 crore)
- (vi) National Institute of Naturopathy, Pune (Rs.0.12 crore)
- (vii) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (Rs. 0.76 crore)

- (2) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.61 crore).

This will entail cash outgo.

- (d) (1) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:
 - (i) Central Council for Research in Ayurveda & Siddha (Rs. 10.20 crore)
 - (ii) Central Council for Research in Unani Medicine (Rs. 4.02 crore)
 - (iii) Central Council for Research in Homoeopathy (Rs. 1.65 crore)
 - (iv) Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (Rs.0.29 crore)
 - (v) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (Rs. 0.50 crore)
 - (vi) Morarji Desai National Institute of Yoga (Rs.0.67 crore)
 - (vii) Institute of Post Graduate Teaching & Research, Jamnagar (Rs.4.36 crore)
 - (viii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs.2.47 crore)
 - (ix) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (Rs.0.05 crore)
- (2) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.92 crore).

This will entail cash outgo

मांग संख्या DEMAND NO.48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	531.75	...	531.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.07	...	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	531.82	...	531.82

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ	2251-Secretariat- Social Services			
स्वीकृत	Voted:	0.02 (का)	0.05 (खb)	0.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.05	0.07

(क) और (ख) यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय (0.07 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु माँगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(a) and (b) The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 0.07 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.49

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	214.96	592.24	807.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	813.99	0.01	814.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1028.95	592.25	1621.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	...	812.13 (का)	812.13
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451- Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	1.86 (खb)	1.86
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	813.99	813.99
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों	स्वीकृत	4858- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Engineering Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	813.99	814.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) निम्नलिखित कम्पनियों के अनुमोदित पूँजी पुनर्गठन योजना के भाग के रूप में दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड संबंधी ब्याज (138.08 करोड़ रुपए) की माफी, ऋण (90.55 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना और इक्विटी (8.31 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना जैसे, आवश्यक लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु; दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. संबंधी ब्याज और दंड ब्याज (45.95 करोड़ रुपए) की माफी और इक्विटी (113.63 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालने हेतु, तथा भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लि. संबंधी बकाया ऋण (224.80 करोड़ रुपए) और ब्याज (190.81 करोड़ रुपए) की माफी हेतु।
- (ii) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. को दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए आधिकारिक परिसमापक के वेतन और प्रशासनिक व्यय (0.10 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु तथा नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि. को अपने कर्मचारियों की दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार बकाया देयताओं (1.58 करोड़ रुपए) के भुगतान और ऋणदाताओं को विविध देयताओं का एकबारगी निपटान के रूप में भुगतान हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (0.23 करोड़ रुपए)।
- (a) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of interest (Rs.138.08 crore), write off of loan (Rs.90.55 crore) and write down of equity (Rs.8.31 crore) as on 31.3.2006 in respect of National Instruments Limited; waiver of interest and penal interest (Rs.45.95 crore) as on 31.3.2007 and write-down of equity (Rs.113.63 crore) in respect of Bharat Wagon and Engineering Company Ltd., a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd; and write off of outstanding loan (Rs.224.80 crore) and waiver of interest (Rs.190.81 crore) in respect of Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd. as part of approved capital restructuring plan of these companies.
- (ii) for providing grants-in-aid to National Industrial Development Corporation Ltd. (Rs.0.10 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and administrative expenses for the period 1.4.2008 to 31.3.2009 and to National Instruments Limited towards payments of outstanding dues of its employees (Rs.1.58 crore) as on 31.10.2006 and sundry creditors dues (Rs.0.23 crore) as one time settlement.

चूंकि लेखा समायोजनों (812.13 करोड़ रुपए) की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी तथा अतिरिक्त व्यय (1.91 करोड़ रुपए) की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोजन के जरिए की जाएगी, अतः उपरोक्त पूरक अनुदानों में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) (i) यह पूरक अनुदान आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ऋण (79.81 करोड़ रुपए) का भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बीडब्ल्यूईएल) में इक्विटी के रूप में रूपांतरण करने हेतु मांगा गया है; और (ii) यह पूरक अनुदान बीडब्ल्यूईएल में कम्पनी को अनुमोदित पूंजी पुर्नगठन योजना के रूप में इक्विटी निवेश (24.32 करोड़ रुपए) के लिए भी मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As the accounting adjustments (Rs.812.13 crore) will be matched by receipts and additional expenditure (Rs.1.91 crore) will be met through reappropriation of savings available within the same Section of the Grant, the above supplementaries will not entail cash outgo.

(b) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

(c) (i) This supplementary Grant is sought for carrying out necessary accounting adjustment viz. conversion of Government of India loan (Rs.79.81 crore) outstanding as on 31.3.2008 into equity in Bharat Wagon and Engineering Company Ltd. (BWEL); and (ii) the supplementary grant is also sought for equity investment (Rs.24.32 crore) in BWEL, as part of approved capital restructuring plan of the Company. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

सरकारी उद्यम विभाग
DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)।

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	14.50	...	14.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.79	...	0.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	15.29	...	15.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	...	0.79	0.79
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	...	0.79	0.79

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है (0.79 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

This supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.79 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.51

गृह मन्त्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.10	...	0.10
स्वीकृत	Voted:	889.17	70.23	959.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.10	...	0.10
स्वीकृत	Voted:	255.36	...	255.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1144.73	70.23	1214.96
भारित	Charged:	0.20	...	0.20
स्वीकृत	Voted:	1144.53	70.23	1214.76

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय	2052-Secretariat General			
सामान्य सेवाएं	Services	Voted:	...	33.04 (का)
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Charged:	...	0.10 (ख)
भारित		Voted:	0.52 (ग)	175.71 (घ)
स्वीकृत				176.23
3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	3454-Census Surveys & Statistics	Voted:	0.60 (ङ)	45.49 (च)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.12	254.34	255.46
भारित		Charged:	...	0.10
स्वीकृत		Voted:	1.12	254.24

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

(क) (i) वाणिज्यिक मंत्रालय से कस्टोडियन ऑफ एनीमी प्रोपर्टीज के नव हस्तान्तरित कार्यालयों पर स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (0.79 करोड़ रुपए)।

(ii) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान हेतु। (32.25 करोड़ रुपए)।

चूंकि वाणिज्य मंत्रालय के बजट से 0.79 करोड़ रुपए इसमें 32.25 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान।

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान हेतु। (0.52 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) (i) meeting the establishment related expenditure on newly transferred offices of Custodian of Enemy Properties from Department of Commerce (Rs.0.79 crore)

(ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling (Rs.32.25 crore)

As an amount of Rs.0.79 crore will be surrendered from the budget of Department of Commerce, this will entail a cash outgo of Rs.32.25 crore.

(b) payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) case.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of

इसमें नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के लिए कार्यशालाओं/विचारगोष्ठियों के आयोजन पर होने वाले व्यय (1.08 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु,
- (ii) चौथे इंटरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन फ़ेडरलिज्म के आयोजन पर हुए व्यय (10.00 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।
- (iii) फोरम ऑफ फेडरेशन, कनाडा के सम्बन्ध में भारत के वार्षिक अंशदान का भुगतान (0.25 करोड़ रुपए)।
- (iv) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान हेतु। (175.71 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 11.33 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 175.71 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ड और च) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

ceiling (Rs.0.52 crore). This will entail cash outgo.

- (d) (i) meeting expenditure on organizing workshops/seminars for Commission on Centre-State Relations (Rs.1.08 crore)
- (ii) payment towards expenditure incurred on 4th International Conference on Federalism. (Rs.10.00 crore).
- (iii) payment of India's annual contribution to the Forum of Federations, Canada (Rs.0.25 crore).
- (iv) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling (Rs.175.71 crore).

As savings of Rs.11.33 crore are available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.175.71 crore.

- (e)&(f): meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling . This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

मंत्रिमण्डल
CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	010
	स्वीकृत	Voted:	302.69	80.00	382.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	41.78	...	41.78
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	344.57	80.00	424.57	
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	344.47	80.00	424.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2013-मंत्रि परिषद	स्वीकृत	2013- Council of Ministers	Voted:	...	13.96 (क)
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055- Police	Voted:	...	27.82 (ख)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	41.78

(क) और (ख): यह पूरक अनुदान द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और उच्चतम सीमा में बटोतरी के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा

(a) & (b) : The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.53

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	3.89	7.05	10.94
स्वीकृत	Voted:	16519.82	5344.49	21864.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.04	0.80	0.84
स्वीकृत	Voted:	5065.79	0.02	5065.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21589.54	5352.36	26941.90
भारित	Charged:	3.93	7.85	11.78
स्वीकृत	Voted:	21585.61	5344.51	26930.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055- Police			
भारित	Charged:	...	0.04 (का)	0.04
स्वीकृत	Voted:	...	5065.79 (खब)	5065.79
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	...	5065.83	5065.83
भारित	Charged:	...	0.04	0.04
स्वीकृत	Voted:	...	5065.79	5065.79
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परियोजना	4055- Capital Outlay on Police			
भारित	Charged:	...	0.80 (गक)	0.80
स्वीकृत	Voted:	0.01 (घद)	0.01 (जे)	0.02
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	0.01	0.81	0.82
भारित	Charged:	...	0.80	0.80
स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	5066.64	5066.65
भारित	Charged:	...	0.84	0.84
स्वीकृत	Voted:	0.01	5065.80	5065.81

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

(क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के दावों में क्षतिपूर्ति का भुगतान। चूंकि अनुदान के राजस्वस्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और उच्चतम सीमा के वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय का पूर्ति हेतु (5065.79 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant/appropriation is required for :

(a) payment of compensation in a Motor Accident Claims Tribunal (MACT) case. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(b) (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling (Rs.5065.79 crore).

- (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (8.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (0.20 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 8.20 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 5065.79 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य के तहत विवाचन पंचाटों का भुगतान (0.58 करोड़ रुपए)।
- (ii) माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक वाद के अधिनिर्णय में भुगतान (0.22 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) दिल्ली पुलिस का मोटर वाहन संबंधी व्यय (0.75 करोड़ रुपए)।
- (ii) दिल्ली पुलिस का मशीन एवं उपस्कर संबंधी व्यय (0.25 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ङ) भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग के लिए (110.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ii) meeting expenditure on Other Administrative Expenses of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (Rs.8.00 crore).
- (iii) meeting expenditure on Wages of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (Rs.0.20 crore).

As savings of Rs.8.20 crore are available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.5065.79 crore.

- (c) (i) payment of Arbitration Awards under Indo-Pak Border Works (Rs.0.58 crore).
- (ii) payment awarded by Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in a court case (Rs.0.22 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

- (d) (i) expenditure on Motor Vehicles of Delhi Police (Rs.0.75 crore).
- (ii) expenditure on Machinery and Equipment of Delhi Police (Rs.0.25 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) flood lighting on Indo -Bangladesh Border (Rs.110.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	999.03	26.20	1025.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	84.35	...	84.35
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1083.40	26.20	1109.60
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1083.38	26.20	1109.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235- Social Security and Welfare	Voted: ...	10.00 (का)	10.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं संबंधी राहत	स्वीकृत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	1.51 (खb)	1.51
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	72.84 (गc)	72.84
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: ...	84.35	84.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:

(क) (i) आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।

(ii) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित परिवारों को भूमि की कमी संबंधी दावों के निपटान हेतु सहायता प्रदान करने हेतु (47.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः 10.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) आपदा जोखिम प्रबंधन पर दूसरा एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (0.13 करोड़ रुपए)।

(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और उच्चतम सीमा के संवर्धन के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.51 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में 0.13 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, अतः 1.51 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ग) (i) वर्ष 2002 में गुजरात साम्प्रदायिक दंगों में आवासीय संपत्तियों को हुई क्षति के संबंध में अतिरिक्त राहत प्रदान करने हेतु (50.00 करोड़ रुपए)।

(ii) भागलपुर, बिहार में साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।

(iii) वर्ष 1984 के दंगों पीड़ितों को वर्द्धित क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (12.84 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the expenditure on:

(a) (i) providing assistance to victims of terrorist violence (Rs.10.00 crore).

(ii) providing assistance to displaced families of Pak Occupied Kashmir (PoK) for settlement of land deficiency claims (Rs.47.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.10.00 crore.

(b) (i) 2nd Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Management (Rs.0.13 crore).

(ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling (Rs.1.51 crore).

As savings of Rs.0.13 crore are available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.1.51 crore.

(c) (i) providing additional relief towards damage to residential properties in 2002 Gujarat communal riots (Rs.50.00 crore).

(ii) providing relief and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (Rs.10.00 crore).

(iii) providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.12.84 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1768.39	72.00	1840.39	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	165.00	...	165.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1933.39	72.00	2005.39	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	15.00 (का)	150.00 (खb)	165.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	15.00	150.00	165.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए मांगा गया है:-

This supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :

(क) पुदुचेरी सरकार का सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम।

(a) Tsunami Rehabilitation Programme of Government of Puducherry.

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.56

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	855.00	1.50	856.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	2.17	...	2.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	857.17	1.50	858.67

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य		2052-Secretariat-General				
सेवाएँ	स्वीकृत	Services	Voted:	0.19 (का)	0.35 (खb)	0.54
2216-आवास निर्माण	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	0.79 (गc)	0.84 (घd)	1.63
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.98	1.19	2.17

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, पेंशनों आदि के लिए भवन सामग्री तथा तकनीकी संवर्धन परिषद को सहायता अनुदान (0.66 करोड़ रुपए) के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु; तथा राष्ट्रीय सहकारी आवास निर्माण संघ को सहायता अनुदान (0.13 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा पेंशन आदि के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय (0.52 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.32 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a)&(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (c) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Building Material & Technical Promotion Council (Rs.0.66 crore); and Grants-in-aid to National co-operative Housing Federation (Rs.0.13 crore) towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (d) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Central Government Employees Welfare Housing Organisation (CGEWHO) (Rs.0.52 crore) towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government; and for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.0.32 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.57

स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	40667.00	...	40667.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	282.35	761.54	1043.89	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	40949.35	761.54	41710.89	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	Voted:	1.00 (क)	281.03 (ख)	282.03
2251-सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat- Social Services	Voted:	...	0.32 (ग)	0.32
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	1.00	281.35	282.35
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण	6202-Loans for Education, Sports, Arts and Culture	Voted:	761.54 (घ)	...	761.54
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	761.54	...	761.54
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	762.54	281.35	1043.89
टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates do not include the recoveries which are adjusted in reduction of expenditure.					
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण	6202-Loans for Education, Sports, Arts and Culture		(-) 641.54	...	(-) 641.54

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी है:-

- (क) (i) नवोदय विद्यालय समिति को भवन-निर्माण गतिविधियों तथा प्रचालनात्मक खर्चों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (195.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली को बाल भवनों के नेटवर्क को विस्तार/सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) तीन स्वैच्छिक अभिकरणों अर्थात् (क) समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, कुशीनगर उ.प्र. (0.11 करोड़ रुपए); (ख) बाल एसोसिएशन आवास शिक्षा सेवा समिति, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश (0.07 करोड़ रुपए); (ग) बापूजी ग्रामीण विकास समिति, कर्नाटक (0.08 करोड़ रुपए) को "पहुंच तथा इक्विटी" योजना के तहत सहायता अनुदान।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) to meet the additional expenditure on construction activities and operational expenses (Rs.195.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid to National Bal Bhawan, New Delhi for expanding/strengthening of network of Bal Bhavans (Rs.5.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid to three voluntary agencies viz. (a) Samaj Kalyan Shiksha Sansthan, Kushinagar, U.P. (Rs.0.11 crore); (b) Children's Association Residence Education Seva Samithi, Tirupati, Andhra Pradesh (Rs.0.07 crore); (c) Bapuji Grameen Vikas Samiti, Karnataka (Rs.0.08 crore) under the scheme "Access & Equity".

(iv) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में 200.26 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है, अतः इसमें 1.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) (1) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.59 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(2) निम्नलिखित संस्थानों हेतु सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदानः

- (i) राष्ट्रीय बाल भवन (1.04 करोड़ रुपए);
- (ii) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (21.05 करोड़ रुपए);
- (iii) केन्द्रीय विद्यालय समिति (213.47 करोड़ रुपए);
- (iv) नवोदय विद्यालय समिति (39.88 करोड़ रुपए);
- (v) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसाइटी (5.00 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.32 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) "राष्ट्रीय साधन तथा योग्यता छात्रवृत्ति योजना" के तहत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत निधि (750.00 करोड़ रुपए) का सृजन और योजना का प्रशासनिक व्यय (11.54 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से 120.00 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, और 641.54 करोड़ रुपए की शेष राशि भारत के लोक लेखे में धारित सामाजिक तथा ढांचागत विकास निधि से पूरी की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(iv) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.00 crore).

As savings of Rs.200.26 crore is available within the same section of the grant, this entail cash outgo of Rs.1.00 crore.

(b) (1) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.59 crore).

(2) Grant-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :-

- (i) National Bal Bhawan (Rs.1.04 crore);
- (ii) National Council of Educational Research and Training (Rs.21.05 crore);
- (iii) Kendriya Vidyalaya Samiti (Rs.213.47 crore);
- (iv) Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs.39.88 crore);
- (v) Central Tibetan School Society (Rs.5.00 crore).

This will entail cash outgo.

(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.32 crore). This will entail cash outgo.

(d) To create a Corpus Fund for providing scholarships to students under the "National Means-cum-Merit Scholarship Scheme" (Rs.750.00 crore) and for administrative expenses of the Scheme (Rs.11.54 crore).

As an amount of Rs.120.00 crore will be surrendered from Revenue Section of the grant, and the balance amount of Rs.641.54 crore will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

उच्च-शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	10852.87	...	10852.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	554.68	...	554.68
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	11407.55	...	11407.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	1.75 (का)	359.37 (खb)	361.12
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	...	183.94 (गc)	183.94
2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251-Secretariat Social Services	Voted:	...	9.62 (घd)	9.62
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.75	552.93	554.68

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) (1) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई को शास्त्रीय तमिल भाषा के विकास हेतु सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए)।
- (2) तीन मानित विश्वविद्यालय नामतः चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, हावड़ा को सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपए)।
- (3) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय (1.75 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 29.00 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है अतः इसमें 1.75 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और महंगाई भत्ता तथा वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.68 करोड़ रुपए)।
- (2) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता अनुदान।
- (i) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (2.02 करोड़ रुपए);
- (a) (1) Grants-in-aid to the Central Institute of Classical Tamil, Chennai for development of classical Tamil Language (Rs.9.00 crore).
- (2) Grants-in-aid to three Deemed Universities viz. Chennai Mathematical Institute, Indian Law Institute, New Delhi and Ramakrishna Mission Vivekananda University, Howrah (Rs.20.00 crore).
- (3) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.1.75 crore). As saving of Rs.29.00 crore is available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs.1.75 crore.
- (b) (1) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling (Rs.3.68 crore).
- (2) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:-
- (i) Indian Council of Social Science Research (Rs.2.02crore);

- (ii) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (1.32 करोड़ रुपए);
- (iii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला (0.96 करोड़ रुपए);
- (iv) यूजीसी (केन्द्रीय और मानित विश्वविद्यालयों सहित) (338.44 करोड़ रुपए)।
- (v) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च (0.34 करोड़ रुपए);
- (vi) शास्त्री इंडियन इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट (0.17 करोड़ रुपए);
- (vii) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा (1.78 करोड़ रुपए);
- (viii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (6.44 करोड़ रुपए);
- (ix) नेशनल बुक ट्रस्ट (2.81 करोड़ रुपए);
- (x) ऑरोविले फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए);
- (xi) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (1.31 करोड़ रुपए);

इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और महंगाई भत्ता संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता अनुदान:-

- (i) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (7 आईआईसी)- (75.00 करोड़ रुपए);
- (ii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (6 आईआईएम)-2.39 करोड़ रुपए);
- (iii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बंगलौर (12.67 करोड़ रुपए);
- (iv) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (20 एनआईटी) (67.30 करोड़ रुपए)।
- (v) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर (1.49 करोड़ रुपए);
- (vi) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई (3.24 करोड़ रुपए);
- (vii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, रांची, (1.65 करोड़ रुपए);
- (viii) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली (1.94 करोड़ रुपए);
- (ix) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च (चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और चंडीगढ़ (5.87 करोड़ रुपए);
- (x) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संगरूर (2.75 करोड़ रुपए);
- (xi) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद (3.92 करोड़ रुपए);
- (xii) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद (4.85 करोड़ रुपए);
- (xiii) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, (चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और कानपुर में 4 केन्द्र) (0.87 करोड़ रुपए);

इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (ii) Indian Council of Historical Research (Rs. 1.32 crore);
- (iii) Indian Institute of Advance Studies, Shimla (Rs.0.96 crore);
- (iv) UGC (Including Central and Deemed Universities)-(Rs.338.44 crore);
- (v) Indian Council of Philosophical Research (Rs.0.34 crore);
- (vi) Shastri Indo-Canadian Institute (Rs.0.17 crore);
- (vii) Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra (Rs. 1.78 crore);
- (viii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (Rs.6.44 crore);
- (ix) National Book Trust (Rs.2.81 crore);
- (x) Auroville Foundation (Rs.0.10 crore);
- (xi) National University of Education Planning & Administration (Rs.1.31 crore);

This will entail cash outgo.

(c) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :-

- (i) Indian Institutes of Technology (IITs)- (Rs.75.00 crore);
- (ii) Indian Institutes of Management (6 IIMs)- (Rs.2.39 crore);
- (iii) Indian Institute of Sciences, Bangalore (Rs. 12.67 crore);
- (iv) National Institutes of Technology (20 NITs)- (Rs.67.30 crore);
- (v) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior- (Rs. 1.49 crore);
- (vi) National Institute for Industrial Engineering, Mumbai (Rs.3.24 crore);
- (vii) National Institute for Forge and Foundry Technology, Ranchi -(Rs.1.65 crore);
- (viii) School of Planning and Architecture, Delhi (Rs. 1.94 crore);
- (ix) National Institute of Technical Teachers Training & Research (at Chennai, Calcutta, Bhopal and Chandigarh)-(Rs.5.87 crore);
- (x) Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Sangrur-(Rs.2.75 crore);
- (xi) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Rs.3.92 crore);
- (xii) Indian School of Mines, Dhanbad (Rs.4.85 crore);
- (xiii) Board of Apprenticeship Training (4 centres at Chennai, Mumbai, Kolkata and Kanpur)-(Rs.0.87 crore).

This will entail cash outgo.

(d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and Bonus based on enhanced ceiling.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1497.71	412.33	1910.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	238.19	...	238.19
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1735.93	412.33	2148.26
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1735.90	412.33	2148.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला तथा संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.03 (का)	0.53 (का)	0.56
2220-सूचना तथा प्रचार	स्वीकृत	2220- Information and Publicity	Voted:	0.02 (का)	30.49 (खb)	30.51
2221-प्रसारण	स्वीकृत	2221- Broadcasting	Voted:	0.01 (का)	202.63 (गc)	202.64
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251- Secretariat-Social Services	Voted:	...	4.48 (का)	4.48
जोड़ (परक)		Total (Supplementary)	0.06	238.13	238.19	

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित के लिए की गयी है:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के सम्बन्ध में होने वाले अतिरिक्त व्यय (5.07 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा पेंशनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय (26.77 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए तथा साथ ही (i) प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया (0.54 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूणे (1.70 करोड़ रुपए), (iii) सत्यजीत रे भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (0.48 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय जन संचार संस्थान (0.87 करोड़ रुपए) और (v) बाल फिल्म सोसाइटी भारत (0.13 करोड़ रुपए) को वेतनों एवं पेंशनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से कार्यान्वयन पर वेतन के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित वेतन तथा बोनस पर अतिरिक्त व्यय (0.01 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा साथ ही प्रसार भारती को अतिरिक्त सहायता अनुदान (202.62 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु।
- इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought:

- (a) For meeting additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs 5.07 crore).
- (b) For meeting additional expenditure on salaries and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 26.77 crore) and also towards providing additional grants-in-aid to (i) Press Council of India (Rs.0.54 crore), (ii) Film & Television Institute of India, Pune (Rs.1.70 crore), (iii) Satyajit Ray Film & Television Institute of India, Kolkata (Rs.0.48 Crore), (iv) Indian Institute of Mass Communication (Rs.0.87 crore) and (v) Children's Films Society, India (Rs.0.13 crore) towards meeting additional expenditure on salaries, pensions on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government.
- (c) For meeting additional expenditure on salaries and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 0.01 crore) and also towards providing additional grants-in-aid to Prasar Bharati (Rs. 202.62 crore) for meeting additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government.

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2368.36	129.65	2498.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	117.35	625.00	742.35
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2485.73	754.65	3240.38
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2485.71	754.65	3240.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251-Secretariat - Social Services	Voted:	...	4.88 (का)
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	स्वीकृत	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & other Backward classes	Voted:	0.11 (खब)	0.98 (गक)
2230-श्रम एवं रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	9.02 (घद)	52.24 (ङक)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.12 (चफ)	...
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	50.00 (छग)	...
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	59.25	58.10
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6250-अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत	6250-Loans for other Social Services	Voted:	620.00 (जह)	...
6552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	स्वीकृत	6552-Loans for North Eastern Areas	Voted:	5.00 (झि)	...
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	625.00	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	684.25	58.10

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों में वे वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय को घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6250-अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण		6250-Loans for other Social Services	(-) 625.00	...	(-) 625.00

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति

The supplementary grants are required for :-

(a), (b), (c), (d), (e) & (f) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government

हेतु (67.35 करोड़ रुपए)। इसमें नगद व्यय होगा।

- (छ) राज्यों को 146 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन/उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु तथा अनुदेशक प्रशिक्षण स्कन्धों की स्थापना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत पहले से हाथ में ली गयी 242 आईटीआई हेतु द्वितीय वर्ष की आवश्यकता के लिए भी सहायता अनुदान (50 करोड़ रुपए)। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ज) तथा (झ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य (620 करोड़ रुपए) तथा पूर्वोत्तर राज्यों (5 करोड़ रुपए) में 300 आईटीआई को कवर करने के लिए संबंधित आईटीआई के प्रबंधन समिति संस्थान को प्रत्येक आईटीआई के सम्बन्ध में 2.50 करोड़ रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। प्रस्तावित व्यय की पूर्ति भारतीय लोक लेखे में धारित "सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि" से वसूलियों द्वारा की जाएगी।

and bonus on enhanced ceiling (Rs.67.35 crore). This will entail cash outgo.

- (g) Grants-in-aid to States for 146 Industrial Training Institutes (ITIs) for establishment of Centres of Excellence/Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings and also for second year requirement for 242 ITIs already taken up for upgradation under Vocational Training Improvement Project (VTIP) (Rs.50 crore). This will entail cash outgo.
- (h) & (i) providing interest free loan of upto Rs.2.50 crore per ITI to Institute Management Committee (IMC) of the concerned ITI for covering 300 ITIs in various States/Union Territories (Rs.620 crore) and also in North Eastern States (Rs.5 crore). The proposed expenditure will be matched by recoveries from the "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Accounts of India.

मांग संख्या DEMAND NO.61

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	15.50	...	15.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1.87	...	1.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17.37	...	17.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	Voted: ...	1.87	1.87

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

विधि एवं न्याय मंत्रालय

LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	685.84	0.03	685.87	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	208.28	...	208.28	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	894.12	0.03	894.15	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2020-आय और व्यय पर	2020-Collection of Taxes on				
कर संग्रहण	Income and Expenditure	Voted:	...	6.60 (का)	6.60
2052-सचिवालय -	2052-Secretariat -				
सामान्य सेवाएं	General Services	Voted:	...	8.66 (खब)	8.66
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration				
.	of Justice	Voted:	...	0.40 (गं)	0.40
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern				
	Areas	Voted:	...	1.08 (घद)	1.08
2015-चुनाव	2015-Elections	Voted:	...	191.54 (ङे)	191.54
स्वीकृत					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	208.28	208.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for :

(क) और (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय के पूर्ति (7.68 करोड़ रुपए)।

(a) & (d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 7.68 crore).

(ख) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस का भुगतान (8.11 करोड़ रुपए)।

(b) (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 8.11 crore)

(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, पेंशन आदि के लिए सहायता अनुदान के कारण भारतीय विधि संस्थान के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय (0.55 करोड़ रुपए) की आवश्यकता की पूर्ति।

(ii) meeting additional expenditure requirements of Indian Law Institute on account of grants-in-aid towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 0.55 crore).

(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर निम्नलिखित स्वायत्तशासी निकायों को वेतन पेंशन आदि के सम्बन्ध में सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्ती विवाद निवारण केन्द्र (आईसीएडीआर)- 0.09 करोड़ रुपए।

(ii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) - 0.31 करोड़ रुपए

(ङ) लोक सभा 2009 के आम चुनावों के दौरान काम आनेवाली 1.80 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद (190 करोड़ रुपए) तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान खरीदी गई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (1.54 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

इसमें नकद व्यय होगा।

(c) meeting additional expenditure for the following autonomous bodies on account of grants-in-aid towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

(i) International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) - Rs.0.09 crore.

(ii) National Judicial Academy (NJA) - Rs. 0.31 crore

(e) meeting additional expenditure for purchase of 1.80 lakh Electronic Voting Machines for use during General Elections to Lok Sabha 2009 (Rs. 190 crore) and for the additional Electronic Voting Machines purchased during the financial year 2004-05 (Rs. 1.54 crore).

This will entail cash outgo.

संख्या NO.63 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)।

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	58.57	...	58.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	12.41	...	12.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	70.98	...	70.98

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय	2014- Administration of			
प्रशासन	Justice	Charged:	...	12.41
			12.41	12.41

यह पूरक विनियोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 1931.11	8.31	1939.42
	स्वीकृत		Voted: 53.63	...	53.63
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1984.74	8.31	1993.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.95 (का)	50.87 (खb)	51.82
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	1.04 (गc)	...	1.04
3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	...	0.77 (घd)	0.77
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.99	51.64	53.63

यह पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क)और(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख)(i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय (14.15 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर खादी तथा ग्रामाद्योग आयोग मुम्बई (24.82 करोड़ रुपए), कॉयर बोर्ड, कोचि (3.73 करोड़ रुपए) सैन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, (सीटीटीसी), भुवनेश्वर (0.45 करोड़ रुपए) इंडो डेनिस टूल रूम, (आईडीटीआर), जमशेदपुर (0.44 करोड़ रुपए), सैन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), कोलकाता (0.64 करोड़ रुपए), सैन्ट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना (0.76 करोड़ रुपए), सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद (0.46 करोड़ रुपए), इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद (0.48 करोड़ रुपए), इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद (0.45 करोड़ रुपए)

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a)&(d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

(b)(i) meeting additional expenditure on account of salaries (Rs.14.15 crore) on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

(ii) meeting additional expenditure on account of grants-in-aid to Khadi & Village Industries Commission (KVIC), Mumbai (Rs.24.82 crore); Coir Board, Kochi (Rs.3.73 crore); Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Bhubneshwar (Rs.0.45 crore); Indo Danish Tool Room (IDTR), Jamshedpur (Rs.0.44 crore); Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Kolkata (Rs.0.64 crore); Central Tool Room (CTR), Ludhiana (Rs.0.76 crore); Central Institute of Tool Design (CITD), Hyderabad (Rs.0.46 crore); Indo German Tool Room (IGTR), Aurangabad (Rs.0.48 crore); Indo German

रुपए), इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदोर (0.49 करोड़ रुपए), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स (सीआईएचटी), जालंधर (0.40 करोड़ रुपए), टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (टीआरटीसी), गुवाहाटी (0.06 करोड़ रुपए), प्रसंस्करण तथा उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा (0.26 करोड़ रुपए), प्रसंस्करण तथा उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ (0.12 करोड़ रुपए), ग्लास उद्योग विकास केन्द्र (सीजीडीआई), फिरोजाबाद (0.13 करोड़ रुपए), सुगंध एवं स्वाद विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज (0.13 करोड़ रुपए), इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स (आईडीइएमआई) मुम्बई (0.71 करोड़ रुपए), इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस तथा प्रशिक्षण केन्द्र (ईएसटीसी) रामनगर (0.21 करोड़ रुपए), सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), आगरा (0.10 करोड़ रुपए), सेंट्रल फुटवीयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), चेन्नई (0.10 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद (0.89 करोड़ रुपए) राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईएसबीयूडी), नोएडा (0.41 करोड़ रुपए) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिककरण संस्थान (एमजीआईआरआई), वर्धा (0.48 करोड़ रुपए) को वेतन संबंधी सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में एकमुश्त प्रावधान में बढ़ोतरी हेतु अतिरिक्त व्यय (0.44 करोड़ रुपए) की पूर्ति और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी को सहायता अनुदान के रूप में वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.60 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

Tool Room (IGTR), Ahmedabad (Rs.0.45 crore); Indo German Tool Room (IGTR), Indore (Rs.0.49 crore); Central Institute of Hand Tools (CIHT), Jalandhar (Rs.0.40 crore); Tool Room & Training Centre, (TRTC) Guwahati (Rs.0.06 crore); Process cum Product Development Centre (PPDC), Agra (Rs.0.26 crore); Process cum Product Development Centre (PPDC), Meerut (Rs.0.12 crore); Centre for Development of Glass Industry (CGDI), Firozabad (Rs.0.13 crore); Fragrance & Flavour Development Centre (FFDC), Kannauj (Rs.0.13 crore); Institute for Design of Electrical Measuring Instruments (IDEMI), Mumbai (Rs.0.71 crore); Electronics Service & Training Centre (ESTC), Ramanagar (Rs.0.21 crore); Central Footwear Training Institute (CFTI), Agra (Rs.0.10 crore); Central Footwear Training Institute (CFTI), Chennai (Rs.0.10 crore); National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (NIMSME), Hyderabad (Rs.0.89 crore); National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), Noida (Rs.0.41 crore) and Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Wardha (Rs.0.48 crore), on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(c) Augmentation of the lump sum provision meant for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim for meeting additional expenditure (Rs. 0.44 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings and additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendation Sixth Central Pay Commission as grants-in-aid to Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati (Rs.0.60 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 65

खान मन्त्रालय

MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)।

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	387.06	51.80	438.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	77.02	...	77.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	464.08	51.80	515.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय -		3451-Secretariat -			
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	...	1.95 (का)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	स्वीकृत	2853-Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	3.94 (खब)	69.13 (गक)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	2.00 (घद)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	5.94	71.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क), (ख) तथा (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस पर अतिरिक्त व्यय (68.27 करोड़ रुपए) की पूर्ति।

(ii) राष्ट्रीय शैल यान्त्रिकी संस्थान (0.31 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय खान स्वास्थ्य संस्थान (0.15 करोड़ रुपए) तथा जवाहरलाल नेहरू एलुमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र (0.40 करोड़ रुपए) को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नगद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for the following purposes:

(a)(b)&(d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

(c) (i) meeting additional expenditure (Rs. 68.27 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings.

(ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as additional grants-in-aid to National Institute of Rock Mechanics (Rs.0.31 crore), National Institute of Miners' Health (Rs.0.15 crore) and Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (Rs.0.40crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.66

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिए)।

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	938.83	75.00	1013.83	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	1.72	...	1.72	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	940.55	75.00	1015.55	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251- Secretariat- Social Services	Voted:	...	0.77 (का)	0.77
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250- Other Social Services	Voted:	...	0.95 (खb)	0.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	1.72	1.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) तथा (ख): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for :

(a) & (b): meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.67

नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	593.89	30.20	624.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	3.55	...	3.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	597.44	30.20	627.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक	3451-Secretariat-Economic			
सेवाएं	Services			
स्वीकृत	Voted:	1.51 (का)	2.04 (खb)	3.55

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) तथा (ख): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) and (b) Meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.68

अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिए)।

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	55.00	10.00	65.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
		Voted:	1.38	...	1.38
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	56.38	10.00	66.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2052-सचिवालय- सामान्य				
सेवाएं	स्वीकृत			
		Voted:	...	1.38
				1.38

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.69

पंचायती राज मंत्रालय
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिए)।

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	4780.50	...	4780.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.74	...	0.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	4781.24	...	4781.24

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	0.64 (खब)	0.09 (गक)	0.73
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.65	0.09
			0.74	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) मीडिया एवं प्रचार सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (12 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> | <p>(a) for meeting the additional requirement towards Media and Publicity (Rs.12 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(b) & (c) for meeting the additional expenditure on salaries on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government. This will entail cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO.70

संसदीय कार्य मन्त्रालय
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	6.00	...	6.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.92	...	0.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6.92	...	6.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat -General Services			
स्वीकृत	Voted:	...	0.92	0.92
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.92	0.92

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैं। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 71

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)।

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT				
	भारित	Charged	8.27	9.00	17.27
	स्वीकृत	Voted:	378.72	47.01	425.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged	4.45	...	4.45
	स्वीकृत	Voted:	142.55	...	142.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		533.99	56.01	590.00
	भारित	Charged	12.72	9.00	21.72
	स्वीकृत	Voted:	521.27	47.01	568.28

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014- Administration of Justice	Voted:	...	18.04 (का)	18.04
2051-लोक सेवा आयोग	2051- Public Service Commission	Voted:	...	7.73 (खb)	7.73
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052- Secretariat General Services	Voted:	0.08 (गc)	18.80 (घd)	18.88
2055-पुलिस	2055- Police	Voted:	...	85.95 (झe)	85.95
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070- Other Administrative Services	Charged	...	4.45 (चf)	4.45
		Voted:	...	11.95 (छg)	11.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.08	146.92	147.00
	भारित	Charged:	...	4.45	4.45
	स्वीकृत	Voted:	0.08	142.47	142.55

(क)से(छ)यह पूरक अनुदान/विनियोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोनस के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) to (g) : The supplementary grant/appropriation is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and payment of additional bonus due to enhancement of ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 72

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)।

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2938.00	...	2938.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	65944.54	...	65944.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	68882.54	...	68882.54

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802- Petroleum	Voted: ...	65942.00 (का)	65942.00
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451- Secretariat Economic Services	Voted: ...	2.54 (खब)	2.54
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: ...	65944.54	65944.54

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

8012-विशेष जमा राशियां तथा लेखा	8012-Special Deposits and Accounts	...	(-) 65942.00	(-) 65942.00
------------------------------------	---------------------------------------	-----	--------------	--------------

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:-

- (क) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमानित कम वसूलियों के लिए विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products. This does not entail any cash outgo.
- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

योजना मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिए)।

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	626.00	18.00	644.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	10.83	...	10.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	636.83	18.00	654.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
3451-सचिवालय-				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत			
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:-

(क), (ख) और (ग): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (9.62 करोड़ रुपए)।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान को वेतनों, पेंशनों आदि के सम्बन्ध में सहायतानुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति (1.21 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for :

(a), (b) & (c): meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs.9.62 crore).

(d) meeting additional expenditure requirements of Institute of Applied Manpower Research on account of Grants-in-aid towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.21 crore) .

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	6089.20	306.56	6395.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	29.79	...	29.79	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	6118.99	306.56	6425.55	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	0.47 (का)	26.22 (खb)	26.69
3451-सचिवालय		3451-Secretariat-Economic				
आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	Services	Voted:	...	3.10 (गc)	3.10
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.47	29.32	29.79

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

- (क) और (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा के कारण (12.18 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (3.06 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (9.29 करोड़ रुपए), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (0.31 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (0.77 करोड़ रुपए) तथा संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (0.24 करोड़ रुपए); और विद्युत अपीलीय अधिकरण (0.37 करोड़ रुपए) के वेतनों, पेंशन के भुगतान आदि के लिए सहायता अनुदान।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) and (c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.
- (b) For meeting additional expenditure on account of salaries, enhanced bonus ceiling (Rs.12.18 crore) and on account of Grants-in-aid towards salaries, pension, etc. on implementation of the Sixth Central Pay commission's recommendations as accepted by the Government to National Power Training Institute (Rs.3.06 crore), Central Power Research Institute (Rs.9.29 crore), Bureau of Energy Efficiency (Rs.0.31 crore), Central Electricity Regulatory Commission (Rs.0.77 crore), Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories (Rs.0.24 crore) and Appellate Tribunal for Electricity (Rs.0.37 crore).

This will entail net cash outgo.

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

संख्या NO.75 (विनियोग) (APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	20.00	...	20.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	3.08	...	3.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	23.08	...	23.08

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ राज्यों के प्रशासक	2012-President, Vice President/ Governor, Administrator of Union Territories			
	भारित	Charged:	...	3.08
			3.08	3.08

यह विनियोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.76

लोक सभा
LOK SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)।

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.44	...	0.44
स्वीकृत	Voted:	323.49	...	323.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	24.89	...	24.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	348.82	...	348.82
भारित	Charged:	0.44	...	0.44
स्वीकृत	Voted:	348.38	...	348.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान मंडले	2011-Parliament/State/ Union Territory Legislatures			
स्वीकृत	Voted:	...	24.89	24.89

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.77

राज्य सभा
RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिए)।

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.59	...	0.59
	स्वीकृत	Voted:	113.98	...	113.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	10.28	...	10.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	124.85	...	124.85	
	भारित	Charged:	0.59	...	0.59
	स्वीकृत	Voted:	124.26	...	124.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		2011-Parliament/State/Union			
विधानमंडल	स्वीकृत	Territory Legislatures	Voted:	...	10.28
				10.28	10.28

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- सरकार द्वारा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (10.28 करोड़ रुपए) तथा
- राज्य सभा सचिवालय द्वारा संसदीय अध्ययन में अनुसंधान पीठ की स्थापना हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (0.26 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों का उपयोग के बाद इसमें निवल नकद व्यय 10.28 करोड़ रुपए का होगा।

The supplementary grant is required for:

- meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 10.28 crore) and
- meeting additional expenditure for setting up a Research 'Chair in Parliament Studies' by Rajya Sabha Secretariat (Rs.0.26 crore).

After utilising savings within the same section of the grant, it will entail a net cash outgo of Rs.10.28 crore.

संख्या NO.78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	77.81	...	77.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	11.54	...	11.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		89.35	...	89.35

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051- Public Service Commission			
	भारित	Charged:	...	11.54
			11.54	11.54

यह पूरक विनियोग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.79

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिए)।

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1.69	...	1.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.30	...	0.30
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.99	...	1.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice-President/ Governor, Administrator of Union Territories			
स्वीकृत	Voted:	...	0.30	0.30
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.30	0.30

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.80

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	51569.81	0.50	51570.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	21360.57	21360.57
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	0.50	72930.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	315.00 (का)	315.00
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	21000.19 (खb)	21000.19
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	35.00 (गc)	35.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	4.01 (घd)	6.71
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat- Economic Services	Voted:	3.52 (चf)	3.52
3054-सड़क एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.15 (छg)	0.15
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	6.22	21360.57

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।**Note:** The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	(-) 10500.00	...	(-) 10500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) ग्रामीण आवास के तहत इन्दिरा आवास योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

(ख) (i) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (एनईजीएफ) में 10500 करोड़ रुपए जमा करने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए एनईजीएफ से 10500 करोड़ रुपए के आहरण हेतु। इसमें 10500 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

(ii) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय (0.19 करोड़ रुपए) की पूर्ति। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

a) meeting the additional requirement of Indira Awaas Yojana under Rural Housing. This will entail cash outgo.

(b) (i) For crediting Rs.10500 crore to the National Employment Guarantee Fund (NEGF) and also to draw Rs.10500 crore from NEGF to meet the additional requirement of National Rural Employment Guarantee Scheme. This will entail cash outgo of Rs.10500 crore.

(ii) meeting additional expenditure (Rs.0.19 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

- (ग) ग्रामीण आवास के तहत इन्दिरा आवास योजना के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान में वृद्धि के लिए अपेक्षित। इसमें नगद व्यय होगा।
- (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (1.81 करोड़ रुपए) तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी (2.20 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ङ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (2.70 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना। इसमें नगद व्यय होगा।
- (च) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा आधारित बोनस हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नगद व्यय होगा।
- (छ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (0.15 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना। इसमें नगद व्यय होगा।
- (c) augmentation of the lump sum provision meant for the projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim in respect of Indira Awaas Yojana under Rural Housing. This will entail cash outgo.
- (d) providing additional grants-in-aid to National Institute of Rural Development (Rs. 1.81 crore) and Council for Advancement of Peoples' Action and Rural Technology (Rs.2.20 crore), on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (e) providing additional grants-in-aid to National Institute of Rural Development (Rs.2.70 crore), on account of salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (f) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.
- (g) providing additional grants-in-aid to National Rural Roads Development Agency (Rs.0.15 crore) on account of salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government.

मांग संख्या DEMAND NO.81

भू स्रोत विभाग
DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)।

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2403.90	...	2403.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.79	...	0.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	2404.69	...	2404.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic			
स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.79
				0.79

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.82

पेयजल आपूर्ति विभाग
DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)।

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	8501.90	...	8501.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	100.42	...	100.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	8602.32	...	8602.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	32.44 (का)	...	32.44	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	10.00 (खb)	...	10.00	
3601-राज्य सरकारों को सहायतानुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	57.56 (गc)	...	57.56	
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.42 (घd)	0.42	
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	100.00	0.42	100.42	

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215- Water Supply and Sanitation	(-) 32.44	...	(-) 32.44
3601-राज्य सरकारों को सहायतानुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	(-) 67.56	...	(-) 67.56
जोड़	Total	(-) 100.00	...	(-) 100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) और (ग) राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि (32.44 करोड़ रुपए) तथा राज्य सरकारों (57.56 करोड़ रुपए) को जलाभाव आवासीय स्थानों में प्रत्येक विद्यालय में पेयजल प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंडालोन वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु कुल 90 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान करना तथा राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को डीडीपी क्षेत्र में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु 3.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहायता अनुदान।

(ख) ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंडालोन वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम के कार्यान्वयन सम्बन्धी पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) & (c) For providing grants-in-aid to the State Boards, Authorities etc. (Rs.32.44 crore) and State Governments (Rs.57.56 crore) amounting to Rs.90 crore for implementation of Standalone Water Purification System in Rural Schools, in order to provide potable water to each school in water deficient habitations and additional grants-in-aid to State Boards, Authorities. etc. of Rs.3.06 crore for meeting the expenditure on Rural Water Supply Programme in the DDP Areas.

(b) Provision for the projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim towards implementation

परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान।

ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंडालोन वॉटर प्योरीफिकेशन सिस्टम संबंधी प्रस्तावित व्यय (100 करोड़ रुपए) भारत की लोक निधि में स्थित 'सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि' से पूरा किया जाएगा। डीडीपी क्षेत्र में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि की 3.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता को अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के पुन-विनियोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उपर्युक्त पूरक अनुदानों में नगद व्यय नहीं होगा।

- (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

of Standalone Water Purification System in Rural Schools.

The proposed expenditure (Rs.100 crore) on Standalone Water Purification System in Rural Schools will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India. The additional requirement of Rs.3.06 crore of State Boards, Authorities etc. under Rural Water Supply Programme in the DDP Areas will be met through reappropriation of savings available within the same Section of the Grant. The above supplementaries will not entail cash outgo.

- (d) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.83

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)।

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	1723.48	66.90	1790.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	118.15	...	118.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1841.65	66.90	1908.55
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	1841.63	66.90	1908.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Economic				
सेवाएँ	स्वीकृत	Services	Voted:	...	10.00 (का)	10.00
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research	Voted:	34.66 (खb)	73.49 (गc)	108.15
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	34.66	83.49	118.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for :

- | | |
|---|---|
| <p>(क) और (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" योजना के तहत स्वायत्त संस्थाओं और व्यावसायिक निकायों को वेतन एवं पेंशन सहायता अनुदान (34.50 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस (0.16 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) & (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.</p> <p>(b) (i) meeting additional expenditure on grants-in-aid (Rs.34.50 crore) on account of Salaries and Pensions to Autonomous Institutions and Professional Bodies under the Scheme "Assistance to other Scientific Bodies" on implementatin of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.</p> <p>(ii) meeting additional expenditure on account of salaries (Rs.0.16 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 84

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	2071.40	6.60	2078.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	207.09	...	207.09	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2278.49	6.60	2285.09	
स्वीकृत	Voted:	2278.49	6.60	2285.09	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय -	3451-Secretariat -				
आर्थिक सेवाएं	Economic Services	Voted:	...	1.06 (का)	1.06
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	Voted:	118.97 (खb)	87.06 (गc)	206.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted	118.97	88.12	207.09

यह अनुदान निम्नलिखित अदृश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बैठनों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को वेतन और पेंशन सहायता के संबंध में सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for:

(a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(b) & (c) meeting additional expenditure on grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)।

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT			
स्वीकृत		Voted:	919.00	...	919.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	12.32	...	12.32
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	931.32	...	931.32

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय -		3451-Secretariat -			
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	...	3.64 (का)
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific			
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	8.57 (खब)	0.11 (गक)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted	8.57	3.75
					12.32

यह अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) और (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर गुडगाँव (1.07 करोड़ रुपए); ट्रांसलेशनल हेल्थ साइन्स एंड टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद (0.24 करोड़ रुपए), जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर (0.40 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सैल विज्ञान केन्द्र (0.96 करोड़ रुपए), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली (2.31 करोड़ रुपए), राजीव गांधी सेन्टर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरुवतनपुरम (1.25 करोड़ रुपए); इंस्टीट्यूट फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल (0.48 करोड़ रुपए); नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली (0.49 करोड़ रुपए) और सेन्टर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक स्टिकस हैदराबाद (1.37 करोड़ रुपए) को दिए जाने वाले सहायता अनुदान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। इसमें नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for:

(a) & (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure on grants-in-aid on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to National Brain Research Centre, Gurgaon (Rs. 1.07 crore); Translational Health Science & Technology Institute, Faridabad (Rs. 0.24 crore); Institute of Life Sciences, Bhubaneswar (Rs. 0.40 crore), National Centre for Cell Sciences (Rs. 0.96 crore); National Institute of Immunology, New Delhi (Rs. 2.31 crore); Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Thiruvananthapuram (Rs. 1.25 crore); Institute for Bio-resources and Sustainable Development, Imphal (Rs. 0.48 crore); National Institute for Plant Genome Research, New Delhi (Rs. 0.49 crore) and Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostic, Hyderabad (Rs. 1.37 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

पोत परिवहन विभाग

DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)।

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT			
स्वीकृत		Voted:	1052.51	415.24	1467.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
		Voted:	17.20	1.30	18.50
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	1069.71	416.54	1486.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3051-पतन तथा दीप		3051-Ports and Light			
स्तम्भ	स्वीकृत	Houses	Voted:	10.47 (का)	10.47
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:	4.10 (खब)	4.10
3451- सचिवालय -		3451-Secretariat -			
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	2.63 (गक)	2.63
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	Voted:	17.20	17.20
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5051-पतन तथा दीप स्तम्भों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted:	1.30 (घद)	1.30
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.30	18.50

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय के पूर्ति हेतु। इस राशि को महानिदेशालय (दीप स्तम्भों तथा दीप पोतों) की प्राप्ति से पूरा किया जाएगा। इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय के पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) (i) समुद्री किनारे से 1000 नॉटिकल मील की दूरी तक सभी समुद्री जलयानों की पहचान तथा खोज खबर रखने के लिए लम्बी दूरी की पहचान तथा खोज खबर प्रणाली की स्थापना हेतु (3.00 करोड़ रुपए)।

(ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण अतिरिक्त व्यय के पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 3.00 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए उसमें 1.30 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This amount will be met out of the receipts of Directorate General (Light Houses and Light Ships). This supplementary will not entail any cash outgo.

(b) and (c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

(d) (i) For meeting expenditure for setting up of the Long Range Identification & Tracking System for identifying and tracking all Ocean going vessels upto a distance of 1000 nautical miles from the shore (Rs. 3.00 crore).

(ii) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling.

As savings of Rs 3.00 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs 1.30 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.87

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग
DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.50	7.00	7.50
स्वीकृत	Voted:	12956.73	13346.26	26302.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	13.22	...	13.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12970.45	13353.26	26323.71
भारित	Charged:	0.50	7.00	7.50
स्वीकृत	Voted:	12969.95	13346.26	26316.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	...	13.22	13.22

इस पूरक अनुदान की मांग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु की गयी है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकारिता मन्त्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:		2320.00	139.00	2459.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:		12.72	...	12.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2332.72	139.00	2471.72

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्यपिछड़ा वर्ग का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	...	2.00 (का)	2.00
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- Social Security and Welfare	Voted:	...	7.54 (खb)	7.54
2251-सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251- Secretariat - Social Services	Voted:	...	3.18 (गc)	3.18
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	...	12.72	12.72

यह अनुदान निम्नलिखित अदेश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) एवं (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान (5.18 करोड़ रुपए) तथा वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा से सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून (1.57 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई (1.20 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मनो विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद (0.60 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता (1.08 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक (0.90 करोड़ रुपए), पं. दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली (1.15 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय बहु अक्षमता व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई (0.27 करोड़ रुपए), भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली (0.21 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मनो मन्दन एवं बहु अक्षमता जन कल्याण ट्रस्ट, नई दिल्ली (0.21 करोड़ रुपए), डा. अम्बेडकर संस्थान, नई दिल्ली (0.07 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली (0.28 करोड़ रुपए) को वेतन; पेंशन आदि के सम्बन्ध में सहायता अनुदान तथा वेतन भुगतानों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The Supplementary grant is required for the following purposes:

(a) and (c) For meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 5.18 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceiling.

(b) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid towards salaries, pension etc. to National Institute for Visually Handicapped, Dehradun (Rs. 1.57 crore), National Institute for Hearing Handicapped, Mumbai (Rs. 1.20 crore), National Institute for Mentally Handicapped, Secundrabad (Rs. 0.60 crore), National Institute for Orthopaedically Handicapped, Kolkata (Rs. 1.08 crore), National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack (Rs. 0.90 crore), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Institute for Physically Handicapped, New Delhi (Rs. 1.15 crore), National Institute for Empowerment with Persons with Multiple Disabilities, Chennai (Rs. 0.27 crore), Rehabilitation Council of India, New Delhi (Rs. 0.21 crore), National Trust for Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities, New Delhi (Rs. 0.21 crore), Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi (Rs. 0.07 crore) and National Institute of Social Defence, New Delhi (Rs. 0.28 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.

This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.89

अंतरिक्ष विभाग
DEPARTMENT OF SPACE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिए)।

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.41	0.35	0.76
	स्वीकृत	Voted:	2294.11	1779.20	4073.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	220.95	5.00	225.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2515.47	1784.55	4300.02
	भारित	Charged:	0.41	0.35	0.76
	स्वीकृत	Voted:	2515.06	1784.20	4299.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services		...	1.47 (का)	1.47
3252-उपग्रह प्रणालियां	3252-Satellite Systems		18.93 (खb)	3.84 (गc)	22.77
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	Voted:	20.35 (घd)	176.36 (ङe)	196.71
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	39.28	181.67	220.95
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	Voted:	5.00 (चf)	...	5.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	44.28	181.67	225.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) से (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (20.35 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा; और

(ii) 'नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर' (एनआरएससी) पूर्वनाम 'नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी' (एनआरएसए) की स्थापना संबंधी व्यय (3.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 20.35 करोड़ रुपए का निवल व्यय होगा।

(ङ) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्द्धित उच्चतम सीमा पर बोनस

The supplementary grant is sought for:

(a) to (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo

(d) (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs.20.35 crore); and

(ii) meeting establishment related expenses of 'National Remote Sensing Centre' (NRSC) erstwhile 'National Remote Sensing Agency' (NRSA) (Rs. 3.00 crore).

After utilising the savings available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 20.35 crore.

(e) (i) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay

पर अतिरिक्त व्यय (176.36 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु और

- (ii) 'नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर' (एनआरएससी) पूर्वनाम 'नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी' (एनआरएसए) की स्थापना संबंधी व्यय (27.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात् इसमें 176.36 करोड़ रुपए का निवल व्यय होगा।

- (च) 'नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर' (एनआरएससी) हैदराबाद के अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के हैदराबाद में निर्माण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून में होस्टल सह पुस्तकालय भवनों का निर्माण, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मियापुर (हैदराबाद), अर्थ स्टेशन शादनगर के लिए अधिगृहित भूमि के लिए प्रतिभूतियों का भुगतान, 'नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर', हैदराबाद के लिए डाटा उत्पादों, जाटा मांगे और हवाई सर्वेक्षण सुविधाओं का संवर्धन जैसे सिविल कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs. 176.36 crore); and

- (ii) meeting establishment related expenses of 'National Remote Sensing Centre' (NRSC) erstwhile 'National Remote Sensing Agency' (NRSA) (Rs. 27.00 crore).

After utilising the savings within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 176.36 crore.

- (f) meeting expenses on civil works viz. construction of additional staff quarters at Hyderabad, hostel cum library buildings at Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun, family accommodation for the Central Industrial Security Force, Miyapur (Hyderabad), payment of compensation for land acquired for Earth Station, Shadnagar and for augmentation of data products, data requisition and aerial survey facilities for 'National Remote Sensing Centre' (NRSC), Hyderabad. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 90

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	1874.72	24.28	1899.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	56.89	...	56.89
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1931.61	24.28	1955.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat - General Services	Voted: ...	0.60 (का)	0.60
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat - Economic Services	Voted: ...	2.39 (खब)	2.39
3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	स्वीकृत	3454-Census Surveys and Statistics	Voted: 2.03 (गं)	51.76 (घद)	53.79
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted: 0.11 (ङे)	...	0.11
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: 2.14	54.75	56.89

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क), (ख), (ग) और (ङ): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (5.13 करोड़ रुपए)।

(घ) (i): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (35.69 करोड़ रुपए)

(ii): भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पेंशनों आदि के सम्बन्ध में सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति (16.07 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for :

(a), (b), (c) & (e) : meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs.5.13 crore).

(d) (i): meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling (Rs.35.69 crore)

(ii): meeting additional expenditure requirements of Indian Statistical Institute on account of grants-in-aid towards salaries, pensions, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.16.07 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	104.02	15.50	119.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	2.88	...	2.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	106.90	15.50	122.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat - Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	...	2.88	2.88

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.92

कपड़ा मन्त्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	3064.53	258.98	3323.51	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	245.05	0.01	245.06	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	3309.58	258.99	3568.57	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.32 (का)	55.74 (खb)	56.06
2852-उद्योग	2852- Industries	Voted:	180.00 (गc)	7.38 (घd)	187.38
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	...	1.61 (ङe)	1.61
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	180.32	64.73	245.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860- Loans for Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	180.32	64.74	245.06

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गई है:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (0.32 करोड़ रुपए) की पूर्ति। छह केन्द्रों को मेगा-कलस्टर (25 करोड़ रुपए) के रूप में विकसित करने अर्थात्, हथ-करघा में वाराणसी और सिबसागर, विद्युत करघा में भिवण्डी और इरोड तथा अवसंरचना और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प में नारसापुर और मुरादाबाद, ऊन विकास बोर्ड (0.50 करोड़ रुपए) को प्रशासनिक व्यय के लिए सहायता, अभिकल्प एवं तकनीकी उन्नयन योजना (3 करोड़ रुपए), कल्याण तथा अन्य योजनाएं (0.15 करोड़ रुपए) के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान तथा कल्याण एवं अन्य योजनाओं (0.15 करोड़ रुपए) के लिए कुल राशि 28.97 करोड़ रुपए होगी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 28.65 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद इसमें 0.32 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमाओं

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) meeting additional expenditure (Rs.0.32 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings; taking up six centres for development as mega-clusters (Rs.25 crore) viz. Varanasi and Sibsagar under Handlooms, Bhiwandi and Erode under Powerlooms and Narsapur and Moradabad under Handicrafts in order to scale up infrastructure and production; assistance to Wool Development Board (Rs.0.50 crore) towards administrative expenses and additional grants-in-aid under Design and Technical Upgradation Scheme (Rs.3 crore) and Welfare and other Schemes (0.15 crore) amounting to Rs.28.97 crore. After taking into account savings of Rs.28.65 crore available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.0.32 crore.

(b) meeting additional expenditure (Rs.24.84 crore) on account of salaries on implementation of

पर आधारित बोनस भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (24.84 करोड़ रुपए) की पूर्ति तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सिल्क बोर्ड को वेतन संबंधी अतिरिक्त सहायता अनुदान (30.90 करोड़ रुपए)। इसमें नगद व्यय होगा।

- (ग) तकनीकी उन्नयन निधि योजना में अतिरिक्त व्यय (300 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु; एकीकृत टेक्स्टाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) में प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन, अध्ययन, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त तंत्र इत्यादि (1 करोड़ रुपए) से सम्बन्धित व्यय की अदायगी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता तथा विदेशी निवेश संवर्धन योजना (4.94 करोड़ रुपए) में प्रावधान हेतु 305.94 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 125.94 करोड़ रुपए की बचतों को शामिल करने के बाद इसमें 180 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।
- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान एवं वर्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (3.85 करोड़ रुपए) की पूर्ति तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त सहायता अनुदान (3.53 करोड़ रुपए)। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान एवं वर्धित उच्चतम सीमाओं पर आधारित बोनस भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (1.61 करोड़ रुपए) की पूर्ति। इसमें नगद व्यय होगा।
- (च) बकाया वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए ब्रिटिश इण्डिया कॉर्पोरेशन (25 करोड़ रुपए) के संसाधनों में अंतर को पूरा करने हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings and additional grants-in-aid (Rs.30.90 crore) to Central Silk Board on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This will entail cash outgo.

- (c) meeting additional expenditure under Technology Upgradation Fund Scheme (Rs.300 crore); to defray expenses on administrative expenditure, evaluation, studies, publicity, IT enabled mechanism etc. (Rs.1 crore) under the Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) and augmentation of provision under the Foreign Investment Promotion Scheme (Rs.4.94 crore) amounting to Rs.305.94 crore. After taking into account savings of Rs.125.94 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 180 crore.
- (d) meeting additional expenditure (Rs.3.85 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings and additional grants-in-aid (Rs.3.53 crore) to National Institute of Fashion Technology on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This will entail cash outgo.
- (e) meeting additional expenditure (Rs. 1.61 crore) on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceilings. This will entail cash outgo.
- (f) meeting the gap in resources of British India Corporation (Rs.25 crore) for payment of outstanding salaries and wages. As savings are available within the Capital Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.93

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)।

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	486.00	561.00	1047.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	5.70	...	5.70	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	491.70	561.00	1052.70	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-	3451-Secretariat-				
आर्थिक सेवाएं	Economic Services	Voted:	...	0.38 (क)	0.38
3452-पर्यटन	3452-Tourism	Voted:	...	5.32 (ख)	5.32
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	5.70	5.70

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

(क)और(ख):सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित बोनस की उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

(a)and(b):Meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and enhanced bonus ceilings. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

जन जातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	1820.49	...	1820.49	
स्वीकृत	Voted:	263.05	50.01	313.06	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	4.27	...	4.27	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2087.81	50.01	2137.82	
भारित	Charged:	1820.49	...	1820.49	
स्वीकृत	Voted:	267.32	50.01	317.33	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes				
स्वीकृत	Voted:	2.21 (क) (a)	0.82 (ख) (b)	3.03	
2251-सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat - Social Services				
स्वीकृत	Voted:	...	1.24 (ग) (c)	1.24	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.21	2.06	4.27	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क) सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों, पेंशन आदि के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. में सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited towards salaries, pensions, etc., on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (b) and (c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.95

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिए)।

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
	<i>भारित</i>	<i>Charged:</i>	<i>0.01</i>	<i>...</i>	<i>0.01</i>
	<i>स्वीकृत</i>	<i>Voted:</i>	<i>1234.01</i>	<i>750.83</i>	<i>1984.84</i>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	<i>भारित</i>	<i>Charged:</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>स्वीकृत</i>	<i>Voted:</i>	<i>116.14</i>	<i>205.00</i>	<i>321.14</i>
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1350.16	955.83	2305.99
	<i>भारित</i>	<i>Charged:</i>	<i>0.01</i>	<i>...</i>	<i>0.01</i>
	<i>स्वीकृत</i>	<i>Voted:</i>	<i>1350.15</i>	<i>955.83</i>	<i>2305.98</i>

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
गृह मंत्रालय					
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	2.50 (का) 2.50
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245-Relief on accounts of Natural Calamities	Voted:	...	0.01 (खb) 0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat- Economic Services	Voted:	1.00 (का) ...	1.00
2055-पुलिस		2055-Police	Voted:	0.30 (का)	20.00 (का) 20.30
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Service	Voted:	3.83 (का)	2.50 (का) 6.33
विद्युत मंत्रालय					
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	3.00 (का)	5.00 (का) 8.00
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय					
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2406-वानिकी एवं वन्यजीव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वीकृत	2406-Forestry and Wildlife	Voted:	0.50 (का)	14.00 (का) 14.50
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical & Public Health	Voted:	2.00 (का)	7.00 (का) 9.00
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग					
राजस्व भाग					
मुख्य शीर्ष					
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	5.00 (का)	18.00 (का) 23.00

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा विभाग		Department of Secondary Education & Higher Education				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.00 (क्रा)	12.00 (क्रा)	15.00
पोत परिवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3051-पत्तन तथा द्वीप समूह	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	0.50 (क्रा)	5.00 (क्रा)	5.50
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2059-सार्वजनिक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	2.00 (क्रा)	9.00 (क्रा)	11.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	21.13	95.01	116.14
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय		Ministry of Environment & Forests				
राजस्व भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4406- Capital Outlay on Forestry and Wild Life	Voted:	...	5.00 (क्रा)	5.00
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
राजस्व भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4216-आवास निर्माण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4216- Capital Outlay on Housing	Voted:	200.00 (ग्रं)	...	200.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	200.00	5.00	205.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	TOTAL (Supplementary)	Voted:	221.13	100.01	321.14

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

- सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु (121.13 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- अस्थाई शरण स्थलों में निवास कर रहे सुनामी प्रभावित लोगों को मुफ्त राशन कार्ड की आपूर्ति (49.19 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए स्थायी शरण स्थलों का निर्माण (200 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:-

- Salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.121.13 crore). This entails cash outgo.
- Supply of free ration to Tsunami affected people residing in temporary shelters (Rs.49.19 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Construction of permanent shelters for the persons affected by Tsunami (Rs.200 crore). This entails cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.97

दादरा और नागर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिए)।

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1079.63	31.35	1110.98	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	14.18	...	14.18	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1093.81	31.35	1125.16	
स्वीकृत	Voted:	1093.81	31.35	1125.16	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014- Administration of Justice	Voted:	...	0.12	0.12
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	2039-State Excise	Voted:	...	0.02	0.02
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052- Secretariat General Services	Voted:	...	0.11	0.11
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration	Voted:	...	0.24	0.24
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	2.72	2.72
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070- Other Administrative Services	Voted:	0.04	0.05	0.09
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	3454- Census, Survey and Statistics	Voted:	...	0.02	0.02
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2410-फसल कार्य	2401-Crop Husbandry	Voted:	0.02	...	0.02
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	2402- Soil & Water Conservation	Voted:	0.24	...	0.24
2403-पशु पालन	2403- Animal Husbandry	Voted:	...	0.06	0.06
2404-डेयरी-विकास	2404- Dairy Development	Voted:	...	0.03	0.03
2425-सहकारिता	2425- Cooperation	Voted:	...	0.04	0.04
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2029-भू-राजस्व	2029- Land Revenue	Voted:	...	0.06	0.06
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	0.04	0.19	0.23
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	2801- Power	Voted:	0.09	0.45	0.54
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2406- Forestry & Wild Life	Voted:	0.01	0.73	0.74
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425- Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3456-नागरिक आपूर्ति	3456- Civil Supplies	Voted:	...	0.03	0.03

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2210-विकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वीकृत		2210-Medical & Public Health Voted:	0.11	0.78	0.89
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग		DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा स्वीकृत		2202-General Education Voted:	0.38	3.36	3.74
उच्च शिक्षा विभाग		DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा स्वीकृत		2202-General Education Voted:	0.99	0.99	1.98
2203-तकनीकी शिक्षा स्वीकृत		2203-Technical Education Voted:	0.47	...	0.47
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2205-कला तथा संस्कृति स्वीकृत		2205-Art and Culture Voted:	...	0.05	0.05
लघु उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग स्वीकृत		2851-Village and Small Industries Voted:	0.03	...	0.03
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2220-सूचना तथा प्रचार स्वीकृत		2220-Information and Publicity Voted:	...	0.02	0.02
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2230-श्रम तथा रोजगार स्वीकृत		2230-Labour and Employment Voted:	0.13	0.10	0.23
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2041-वाहनों पर कर स्वीकृत		2041-Taxes on Vehicles Voted:	0.02	0.01	0.03
3054-सड़क तथा पुल स्वीकृत		3054-Roads and Bridges Voted:	...	0.37	0.37
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन स्वीकृत		3452-Tourism Voted:	...	0.01	0.01
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण स्वीकृत		2058-Stationery & Printing Voted:	0.03	...	0.03
2059-सार्वजनिक निर्माण कार्य स्वीकृत		2059-Public Works Voted:	...	0.40	0.40
2217-शहरी विकास स्वीकृत		2217-Urban Development Voted:	...	0.05	0.05
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता स्वीकृत		2215-Water Supply & Sanitation Voted:	0.09	...	0.09
2702-लघु सिंचाई स्वीकृत		2702-Minor Irrigation Voted:	...	0.23	0.23
2711-बाढ़ नियंत्रण स्वीकृत		2711-Flood Control & Drainage Voted:	...	0.18	0.18
सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण स्वीकृत		2235-Social Security & Welfare Voted:	...	0.05	0.05

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2810-गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत	2810-Non Conventional					
	स्वीकृत	Source of Energy	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	2.71	11.47	14.18
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2.71	11.47	14.18

इस पूरक अनुदान की मांग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु की गयी है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This entails cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिए)।

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	493.58	47.27	540.85	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	12.03	...	12.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	505.61	47.27	552.88	
स्वीकृत	Voted:	505.61	47.27	552.88	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.40	0.40
2012-राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice-President/Governor, Administrator of Union Territories	Voted:	...	0.08	0.08
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	Voted:	...	0.08	0.08
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	2039-State Excise	Voted:	...	0.32	0.32
2040-बिक्री कर, व्यापार आदि पर कर	2040-Taxes on Sales, Trade etc.	Voted:	...	0.05	0.05
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration	Voted:	...	0.35	0.35
2054-राजकोष तथा लेखा प्रशासन	2054-Treasury and Accounts Administration	Voted:	...	0.24	0.24
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	1.50	1.50
2056-जेल	2056-Jails	Voted:	...	0.06	0.06
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.30	0.30
2225-अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	...	0.05	0.05
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	3454-Census Surveys, and Statistics	Voted:	...	0.05	0.05
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	0.08	0.08
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	Voted:	...	0.08	0.08
2405-मात्स्यिकी	2405-Fisheries	Voted:	...	0.05	0.05

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2029-भू राजस्व	स्वीकृत	2029-Land Revenue	Voted:	0.05	...	0.05
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	...	0.08	0.08
विद्युत मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF POWER REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	0.40	0.60	1.00
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	...	0.15	0.15
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.30	1.85	2.15
प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	2.40	2.40
उच्च शिक्षा विभाग राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.20	0.68	0.88
2202-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	0.14	0.10	0.24
महिला तथा बाल विकास विभाग राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.08	0.08
लघु उद्योग मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.05	...	0.05

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2230-श्रम तथा रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	0.04	0.22	0.26
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2041-वाहनों पर कर	स्वीकृत	2041-Taxes on Vehicles	Voted:	...	0.02	0.02
3054-सड़क तथा पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.05	0.60	0.65
पोत परिवहन मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF SHIPPING REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
3051-पत्तन तथा दीप स्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	...	0.10	0.10
पर्यटन मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF TOURISM REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452- Tourism	Voted:	...	0.03	0.03
शहरी विकास मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted:	0.10	...	0.10
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	...	0.02	0.02
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	...	0.08	0.08
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	TOTAL REVENUE SECTION		1.33	10.70	12.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.33	10.70	12.03

इस पूरक अनुदान की मांग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु की गयी है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This entails cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

लक्षद्वीप
LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिए)।

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	385.69	180.07	565.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	17.73	0.02	17.75	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	403.42	180.09	583.51	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.48	0.48
2012-राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन	2012-President, Vice-President/ Governor, Administrator of Union Territories	Voted:	...	0.03	0.03
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	Voted:	...	0.15	0.15
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration	Voted:	...	0.28	0.28
2054-राजकोष तथा लेखा प्रशासन	2054-Treasury and Accounts Administration	Voted:	...	0.32	0.32
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	0.06	2.92	2.98
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	0.19	0.07	0.26
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	0.58	0.58
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	Voted:	...	0.56	0.56
2405-मत्स्यिकी	2405-Fisheries	Voted:	...	0.45	0.45
2425-सहकारिता	2425-Cooperation	Voted:	...	0.21	0.21
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2029-भू राजस्व	2029-Land Revenue	Voted:	...	0.31	0.31
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation	Voted:	...	0.03	0.03
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programme	Voted:	...	0.11	0.11

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत	स्वीकृत	MINISTRY OF POWER REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2801-Power	Voted:	...	1.35	1.35
उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3475-Other General Economic Services	Voted:	...	0.10	0.10
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2210-Medical and Public Health	Voted:	...	1.70	1.70
माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2202-General Education	Voted:	0.23	2.88	3.11
युवा मामले तथा खेलकूद मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा मामले	स्वीकृत	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2204-Sports and Youth Affairs	Voted:	...	0.07	0.07
संस्कृति मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2205-कला तथा संस्कृति	स्वीकृत	MINISTRY OF CULTURE REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2205-Arts and Culture	Voted:	...	0.09	0.09
लघु उद्योग मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	स्वीकृत	MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2851-Village and Small Industries	Voted:	...	0.56	0.56
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार	स्वीकृत	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2220-Information and Publicity	Voted:	...	0.19	0.19
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार	स्वीकृत	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2230-Labour and Employment	Voted:	...	0.14	0.14
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3425-Other Scientific Research	Voted:	...	0.17	0.17

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
3435-परिस्थितिकी तथा पर्यावरण	स्वीकृत	3435-Ecology and Environment	Voted:	...	0.11	0.11
पोत परिवहन मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
3051-पत्तन तथा दीप स्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted:	...	1.13	1.13
कपड़ा मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	...	0.01	0.01
पर्यटन मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	...	0.18	0.18
शहरी विकास मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted:	...	0.53	0.53
2059-सार्वजनिक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	0.81	0.81
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	...	0.29	0.29
2216-आवास निर्माण	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	0.05	0.05
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.17	0.17
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
2810-गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत	स्वीकृत	2810-Non-conventional Sources of Energy	Voted:	...	0.17	0.17
नागरिक विमानन मंत्रालय						
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
3053-नागरिक विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	0.05	0.05
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.48	17.25	17.73
गृह मंत्रालय						
पूंजी भाग						
मुख्य शीर्ष						
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted:	...	0.02	0.02
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.48	17.27	17.75

इन पूरक अनुदान की मांग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु की गयी है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This entails cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिए)।

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	25.55	26.00	51.55
	स्वीकृत	Voted:	935.76	2019.38	2955.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	12.09	400.00	412.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		973.40	2445.38	3418.78
	भारित	Charged:	25.55	26.00	51.55
	स्वीकृत	Voted:	947.85	2419.38	3367.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	6.45 (का)	6.45
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
2216-आवास निर्माण	2216-Housing	Voted:	...	4.56 (गक)	4.56
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	Voted:	...	1.07 (घद)	1.07
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	12.08	12.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	Voted:	400.00 (ङे)	...	400.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	400.01	12.08	412.09

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) चुनिंदा शहरों में हवाई अड्डों के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (22 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन तथा बोनस की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.
- (b) Grants-in-aid for Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport in Selected Cities (Rs.22 crore). As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

- | | |
|--|---|
| <p>(घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (0.45 करोड़ रुपए); दिल्ली शहर कला आयोग (0.22 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय शहर कार्य संस्थान (0.40 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(d) For meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to National Capital Region Planning Boards (Rs.0.45 crore); Delhi Urban Art Commission (Rs.0.22 crore); and National Institute of Urban Affairs (Rs.0.40 crore) towards salaries, pensions, etc on implementation of the Sixth Central Pay commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.</p> |
| <p>(ङ) वर्ष 2008-09 के दौरान, पास थ्रु असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में, दिल्ली मेट्रो रेल निगम को ऋण उपलब्ध कराना। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(e) For providing loan to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) as Pass Through Assistance (PTA) during the year 2008-09. This will entail cash outgo.</p> |

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारति	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	794.12	355.18	1149.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	112.65	...	112.65
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	907.77	356.18	1263.95
	भारति	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	906.77	355.18	1261.95

II. इस प्रकट अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i>				
मुख्य शीर्ष				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	0.71 (क़ा)	111.94 (ख़ब)	112.65
		Voted:		

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) सराकर द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(ख) सराकर द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (111.54 करोड़ रुपए) तथा राजघाट समाधि समिति (0.40 करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, पेंशन आदि के सम्बन्ध में सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.111.54 crore) and for meeting additional expenditure on account of Grants-in-aid to Rajghat Samadhi Committee (Rs.0.40 crore) towards salaries, pensions, etc., on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

The Supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 103

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिए)।

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	...	3.00	3.00
	स्वीकृत	Voted:	793.57	109.76	903.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	112.70	1.61	114.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		906.27	114.37	1020.64
	भारित	Charged:	...	3.00	3.00
	स्वीकृत	Voted:	906.27	111.37	1017.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	4.80 (का)	...	4.80
2701-वृहद् एवं मध्यम सिंचाई	स्वीकृत	2701- Major and Medium Irrigation	Voted:	9.32 (खb)	28.87 (गc)	38.19
2702-लघु सिंचाई	स्वीकृत	2702- Minor Irrigation	Voted:	6.21 (घd)	17.16 (ङe)	23.37
2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	स्वीकृत	2711- Flood Control and Drainage	Voted:	2.82 (चf)	6.49 (छg)	9.31
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	3075- Other Transport Services	Voted:	...	2.35 (जh)	2.35
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451- Secretariat- Economic Services	Voted:	...	4.68 (झi)	4.68
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	30.00 (ञj)	...	30.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	53.15	59.55	112.70
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5075- Capital Outlay on other Transport Services	Voted:	1.61 (टk)	...	1.61
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	54.76	59.55	114.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ट): सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा (46.12 करोड़ रुपए)

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस (4.38 करोड़ रुपए) के भुगतान आदि तथा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (4.94 करोड़ रुपए) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (k) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling. This will entail cash outgo (Rs.46.12 crore).

(b) For meeting additional expenditure on account of salaries, bonus on enhanced ceiling (Rs.4.38 crore) and Grants-in-aid to National Water Development Agency (Rs.4.94 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

- (ग) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान एवं पेंशन (1.59 करोड़ रुपये) के संबंध में सहायता अनुदान के लिए तथा वेतन भुगतानों एवं वर्धित बोनस उच्चतम सीमा (27.28 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग़) बिहार राज्य सरकार को "नदी प्रबन्धन और सीमा क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्माण कार्य" की चालू योजना के तहत ईस्टर्न एफ्लक्स बंद आफ कोसी बैराज में तट के टूटने सम्बन्ध कार्य से निपटने के लिए धन राशि जारी करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (c) For meeting additional expenditure on account of salaries, enhanced bonus ceiling limit (Rs.27.28 crore) and on account of Grants-in-Aid towards salaries and pension (Rs.1.59 crore) to National Institute of Hydrology on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (j) For release to State Government of Bihar for taking up the breach closure in the Eastern Afflux Bund of Kosi Barrage under the ongoing scheme "River Management and Works related to Border Areas". This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 देखिए)।

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	7262.00	...	7262.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	13.07	...	13.07	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	7275.07	...	7275.07	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा	2235- Social Security				
तथा कल्याण	and Welfare				
स्वीकृत	Voted:	2.43 (का)	5.40 (खb)	7.83	
2236-पोषण	2236- Nutrition				
स्वीकृत	Voted:	0.07 (गc)	2.42 (घd)	2.49	
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251- Secretariat - Social Services				
स्वीकृत	Voted:	...	2.75 (ङe)	2.75	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.50	10.57	13.07	

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु की गयी है:

(क) 1. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता अनुदान:

(i) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (0.43 करोड़ रुपए);

(ii) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (1.92 करोड़ रुपए)

2. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस (0.08 करोड़ रुपए) के के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों में सहायता अनुदान:

(i) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकारिता और बाल विकास संस्थान (2.28 करोड़ रुपए)

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.28 करोड़ रुपए)

(iii) सेन्ट्रल एडॉपशन रिसर्च एजेंसी (0.20 करोड़ रुपए)

The Supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) 1. Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

(i) National Commission for Protection of Child Rights (Rs.0.43 crore);

(ii) Central Social Welfare Board (Rs. 1.92 crore)

2. For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs.0.08 crore).

This will entail cash outgo.

(b) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

(i) National Institute of Public Cooperation & Child Development (Rs.2.28 crore)

(ii) National Commission for Women (Rs.0.28 crore)

(iii) Central Adoption Resource Agency (Rs. 0.20 crore)

(iv) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (2.64 करोड़ रुपए)

इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और वर्धित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस के भुगतान अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (2.42 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ड.) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों और वर्धित बोनस के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु (2.75 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(iv) Central Social Welfare Board (Rs. 2.64 crore)

This will entail cash outgo.

(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 0.07 crore).

This will entail cash outgo.

(d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 2.42 crore).

This will entail cash outgo.

(e) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling (Rs. 2.75 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिए)।

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Supplementary Estimate of	Voted:	977.29	134.52	1111.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	the amount now required:				
स्वीकृत		Voted:	551.07	...	551.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1528.36	134.52	1662.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
REVENUE SECTION	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-	2251-Secretariat-			
सामाजिक सेवाएं	Social Services	Voted:	...	1.47 (का)
2204-खेल एवं युवा सेवाएं	2204-Sports and Youth Services	Voted:	541.90 (खb)	7.70 (गc)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	541.90	9.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतानों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.47 करोड़ रुपए)।

(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.47 crore).

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

(ख) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.73 करोड़ रुपए)।

(b) (i) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.73 crore).

(ii) निम्नलिखित संस्थाओं को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान:

(ii) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

1. नेहरु युवा केन्द्र संगठन (8.28 करोड़ रुपए)

1. Nehru Yuva Kendra Sangathan (Rs.8.28 crore)

2. भारतीय खेल प्राधिकरण (23.89 करोड़ रुपए)

2. Sports Authority of India (Rs.23.89 crore)

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय खेल संघ को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (145.00 करोड़ रुपए)

(iii) Grants-in-aid to Sports Authority of India (SAI) and National Sports Federation to meet the additional expenditure for preparation of Indian Teams for Commonwealth Games, 2010 (Rs.145.00 crore).

(iv) भारतीय खेल प्राधिकरण को राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरणों के स्टेडियमों के स्तरोन्मत्त/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (210.00 करोड़ रुपए)

(iv) Grants-in-aid to Sports Authority of India to meet the additional expenditure for upgradation/renovation of SAI Stadia for Commonwealth Games, 2010 (Rs.210.00 crore).

(v) राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय/जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय/दिल्ली पब्लिक

(v) Grants-in-aid to meet the additional expenditure for development and upgradation/

स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में प्रतियोगिता/प्रशिक्षण स्थलों के विकास एवं स्तरोन्नत/जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (146.00 करोड़ रुपए)

(vi) अखिल भारतीय टेनिस संघ को राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के लिए टेनिस स्टेडियमों के स्तरोन्नत/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)

(vii) सीआरपीएफ को राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में कदरपुर और घुड़गांव में बिगबोर शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)

इसमें नगद व्यय होगा।

(ग) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.83 करोड़ रुपए)

(ii) निम्नलिखित संस्थाओं को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन (2.76 करोड़ रुपए)
2. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (0.10 करोड़ रुपए)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण (3.26 करोड़ रुपए)
4. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (0.75 करोड़ रुपए)

इसमें नगद व्यय होगा।

renovation of competition/training venues at Delhi University/Jamia Millia Islamia University/Delhi Public School, R.K. Puram, New Delhi, for Commonwealth Games, 2010 (Rs.146.00 crore).

(vi) Grants-in-aid to All India Tennis Association to meet the additional expenditure for upgradation/renovation of Tennis Stadia for Commonwealth Games, 2010 (Rs.3.00 crore).

(vii) Grants-in-aid to CRPF to meet the additional expenditure for construction of Big Bore Shooting Range at Kadarpur, Gurgaon in connection with Commonwealth Games, 2010 (Rs.5.00 crore).

This will entail cash outgo.

(c) (i) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.83 crore).

(ii) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

1. Nehru Yuva Kendra Sangathan (Rs.2.76 crore)
2. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Rs.0.10 crore)
3. Sports Authority of India (Rs.3.26 crore)
4. Lakshmibai National Institute of Physical Education (Rs.0.75 crore).

This will entail cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2007-08 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2007-08.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2007-2008 Budget Estimates 2007-2008	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	दिल्ली दुग्ध योजना (मु.शी. 2404) (आयोजना-भिन्न) Delhi Milk Scheme (M.H.2404) (Non-Plan)	154.55	36.54	योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए। To meet the additional requirement of fund in the scheme.
		भारत का मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मु.शी. 2405) Fishery Survey of India (M.H. 2405)	22.00	7.6870	- तदैव - - do -
		समुद्री मात्स्यिकी, आधारभूत ढाँचा और और फसल पश्च कार्यकलापों का विकास (मु.शी.3601) Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations (M.H.3601)	18.00	5.50	- तदैव - - do -
		पशुधन जनगणना के संचालन में राज्यों को सहायता (मु.शी.3601) Assistance to States in conduct of Livestock Census (M.H.3601)	51.90	7.5268	- तदैव - - do -
2.	खान मंत्रालय Ministry of Mines	1. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण राजस्व भाग क. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अनुसंधान Geological Survey of India Revenue Section A. Research & Development Laboratory Research ख. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण भूमि, हवाई एवं समुद्री सर्वेक्षण B. Survey & Mapping Ground, Aerial & Marine Survey	3.76 29.38	1.00 1.80	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की पूर्ति के लिए। To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region & Sikkim. - तदैव - - do -

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2007-2008 Budget Estimates 2007-2008	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
		ग. खनिज अन्वेषण			- तदैव -
		इकनॉमिक मिनरल्स			
		C. Mineral Exploration			
		Economic Minerals	11.75	1.30	- do -
		घ. अन्य व्यय			
		विभिन्न कार्यकलापों पर			- तदैव -
		विविध प्रमुख व्यय			
		D. Other Expenditure			
		Miscellaneous Major			- do -
		Expenditure on different			
		operations	7.55	2.21	
		सूचना एवं प्रौद्योगिकी			- तदैव -
		Information & Technology	5.15	4.69	- do -
		पूँजी भाग			
		अन्य व्यय			
		पूँजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण			- तदैव -
		Capital Section			
		Other Expenditure			
		Acquisition of Capital Assets	51.60	1.30	- do -
		2. भारतीय खान ब्यूरो			
		राजस्व भाग			
		क. स्थापना			- तदैव -
		II. Indian Bureau of Mines			
		Revenue Section			
		A. Establishment	11.49	0.07	- do -
		ख. प्रशिक्षण			- तदैव -
		B. Training	0.16	0.12	- do -
		ग. सूचना एवं प्रौद्योगिकी			- तदैव -
		C. Information & Technology	2.35	0.30	- do -
		पूँजी भाग			
		अन्य व्यय			
		पूँजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण			- तदैव -
		Capital Section			
		Other Expenditure			
		Acquisition of Capital Assets	0.93	1.21	- do -

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2007-2008 Budget Estimates 2007-2008	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियाँ Remarks
1	2	3	4	5	6
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग Department of Road Transport and Highways	सड़क स्कंध और सीमा सड़क संगठन Roads Wing and Border Roads Organisation 5054-सड़क एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय (मुश्ती.) 01-राष्ट्रीय राजमार्ग (उप मु.शी.) 01.337-सड़क निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) 02-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम 02.02-बीअरडीबी के तहत निर्माण कार्य 02.02.53-मुख्य निर्माण कार्य 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges (MH) 01-National Highways (Sub MH) 01.337-Road Works (Minor Head) 02-Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas 02.02-Works under BRDB 02.02.53-Major Works 02.03-सड़क स्कंध/राज्य लोक निर्माण विभागों के तहत निर्माण कार्य 02.03.53-मुख्य निर्माण कार्य 02.03-Works under Roads Wing/State PWDs 02.03.53-Major Works	700.00 400.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम संबंधी व्यय को दोनों मामलों के संबंध में उस क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों से पूरा करने हेतु । To meet expenditure on Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Region out of funds earmarked for that Region in respect of both the cases.
4.	जल संसाधन मंत्रालय	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान 786-बाढ़ नियंत्रण-अन्य अनुदान 03-नदी प्रबन्धन गतिविधियाँ और सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध निर्माण कार्य 03.00.31-सहायता अनुदान			चूंकि, राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किए जाने हेतु निधियों को ब.अ. 2007-08 चरण में मु.शी. 2711 के इकाई "लघु निर्माण कार्य" में रखा गया है, जो राज्य सरकार को सहायता अनुदान जारी करने हेतु उचित मुख्य शीर्ष नहीं हो सकता है। बाद में मु.शी. 3601 के तहत निधियाँ प्रदान करने हेतु पुनर्विनियोजन के जरिए 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक पूरक अनुदान लिया गया।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2007-2008 Budget Estimates 2007-2008	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
	Ministry of Water Resources	3601-Grants in aid to State Governments 03- Grants for Central Plan Schemes 786- Flood Control - Other Grants 03- River Management Activities and Works related to Border Areas 03.00.31-Grants-in-aid	0.00	9.98	As funds for release to Grants-in-aid to States Governments kept in the unit "Minor Works" under Major Head-2711 at BE 2007-08 stage which could not appropriate for release of Grants-in-aid to State Governments. Later, a token supplementary was taken to provide the funds under Major Head 3601 by way of re-appropriation.